खण्ड-300, अंक-4
शुक्रवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(15 दिसम्बर, 1972 ई0)

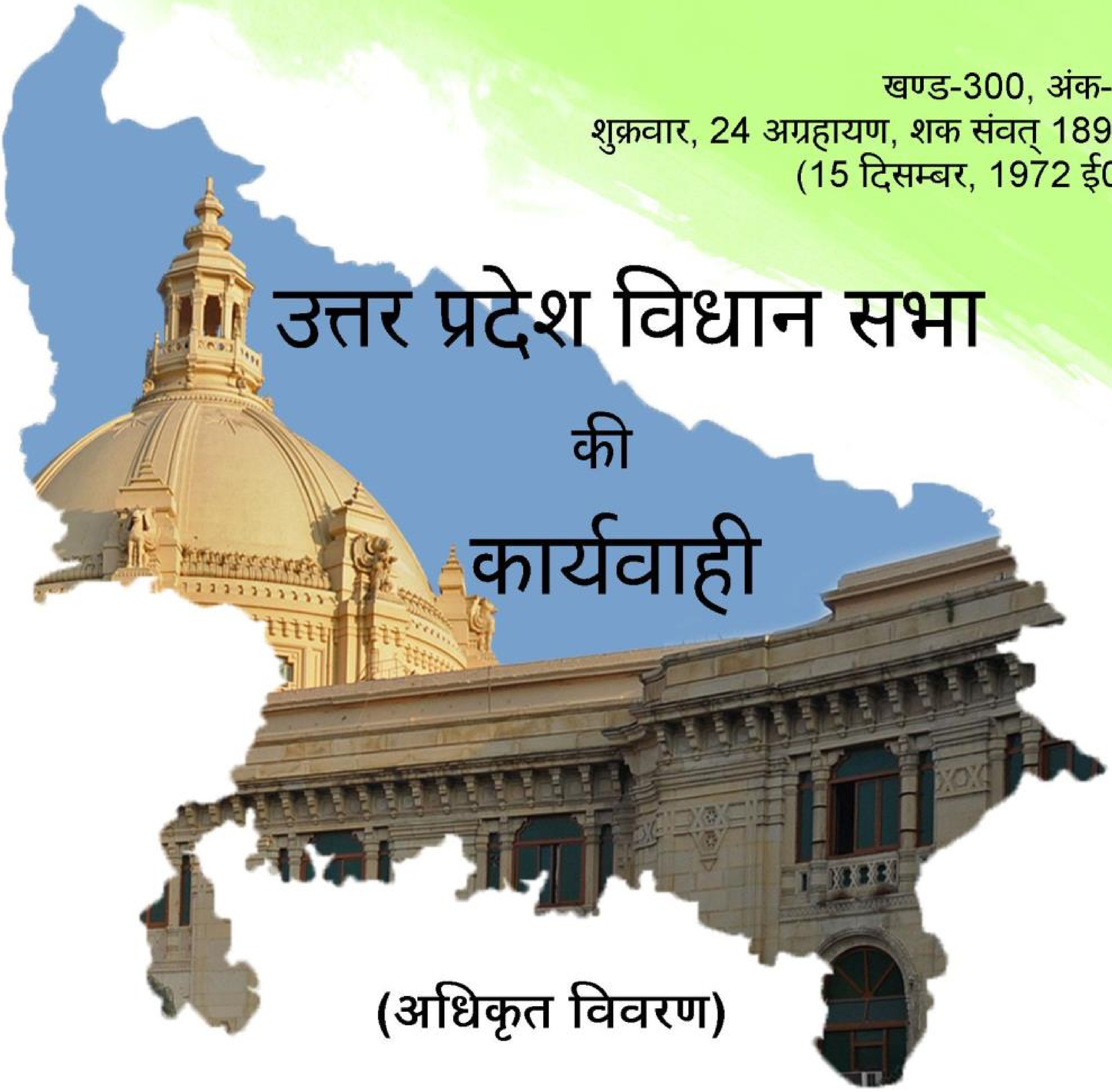

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार 15 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–376

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द शर्मा, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गया प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी,
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह ,श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बैशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री

भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पान्डेय श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री

सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—राज्य सूचना मंत्री श्री पी०डी० टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

होम्योपैथिक छात्रों की मांग सम्बन्धी स्मृति-पत्र

**1—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्र अपनी मांगों के सम्बन्ध में गत 1 1/2 वर्ष से आन्दोलन रत हैं? क्या इस सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, राज्य चिकित्सा मंत्री से प्रश्नकर्ता ने एक शिष्ट मण्डल के रूप में दिनांक 27 सितम्बर, 1972 को मिलकर कोई स्मृति-पत्र दिया था? यदि हां, तो शासन ने क्या निर्णय होम्योपैथिक छात्रों के विषय में लिया है?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

छात्रों की मांगों का सिलसिला काफी समय से चल रहा है, राज्य स्वास्थ्य मन्त्री जी को एक मांग-पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1972 को मिला था जो कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों की ओर से था। इस मांग-पत्र में निहित मांगों की स्थिति संलग्न तालिका में स्पष्ट कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 514–515 पर)

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके अन्दर देखें। मैंने पूछा था कि इस सम्बन्ध में श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, राज्य चिकित्सा मंत्री से प्रश्नकर्ता ने एक शिष्ट मंडल के रूप में मिल कर कोई ज्ञापन दिया था? मंत्री जी से तो अनेक शिष्ट मंडल मिलते

[श्री रामगोपाल सण्ड]

रहतेहैं और इसलिये उन्होंने जो उत्तर दिया है वह लम्बा चौड़ा दिया है क्योंकि उन शिष्ट मंडलों ने प्रदेश की दूसरी समस्याओं को भी उठाया होगा। लेकिन इसी से सम्बन्धित में एक प्रश्न पूछूंगा। क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि प्रश्न कर्ता ने इसी तारीख को डेढ़ और दो के बीच उन्हें पत्र दिया था क्या यह सही है कि मंत्री जी ने उसका उत्तर भी दिया था ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सण्ड जी कृपापूर्वक मिलते रहते ह। मुझे निश्चित तिथि तो याद नहीं कि वह कब मिले। हां, होम्योपैथिक विद्यार्थियों के सिलसिले में मिले जरूर हैं और बात भी हुई है लेकिन निश्चित तारीख मुझे याद नहीं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे, यद्यपि यह उत्तर गलत है, मैं नोटिस नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि समस्या हल हो, मैंने जो पत्र दिया था और अनेक लोगों ने भी दिया होगा, इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज में पिछले डेढ़ वर्ष से हड़ताल चल रही है और तीन अध्यापक निकाले गये हैं और वहां के छात्र चाहते हैं कि सरकार इस कालेज को ले ले। क्या वह कोई ऐक्ट बनाने जा रहे हैं कि डेढ़ वर्ष से चलने वाली विद्यार्थियों की हड़ताल समाप्त हो और असंतोष दूर हो ?

श्री अध्यक्ष—

वहां पर कोई हड़ताल चल रही है ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

जी हां।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

मान्यवर, ऐक्ट में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, तीन अध्यापक निकाले गये हैं और दो-तीन छात्र पकड़ लिये गये जिनमें श्री रामनिवास राय, आजमगढ़ के और श्री गणेशदत्त त्रिपाठी गाजीपुर के हैं। भूतपूर्व एडवोकेट जनरल श्री के० एल० मिश्रा जो प्रबन्धक हैं उन्होंने भी एक पत्र लिखा था कि यह विद्यालय ले लिया जाय। तो यह असंतोष वहां कब दूर होगा और उस कालेज को कब लेने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कब लेने जा रहे हैं यह प्रश्न नहीं है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, जब ऐक्ट में संशोधन हो जायगा तो उसमें यह आ जायेगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस प्रकार की सस्थाओं को लेने के लिये कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ऐक्ट में जब इस प्रकार का संशोधन कर लेंगे तभी यह हो सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस विषय में छात्रों न आंदोलन किया था और जो लड़के गिरफ्तार किये गये थे वह कब छोड़ दिये जायेंगे ? दूसरी बात यह कि अभी उनकी परीक्षा के बारे में उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन फिर भी होम्योपैथी के छात्रों की कुछ अन्य मांगें ह उनके बारे में क्या विचार किया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

साधारणतः किसी आन्दोलन में कोई छात्र गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन किन्हीं छात्रों ने हिन्सात्मक घटनाएं या तोड़फोड़ का कार्य किया है तो वे गिरफ्तार किये गये होंगे। उन्हें छोड़ने पर शासन ने विचार नहीं किया है। जहां तक छात्रों की परीक्षा का प्रश्न है, उसकी व्यवस्था की जा रही है और मांगों के सम्बन्ध में शासन सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

जब शासन मानता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा सस्ती और अच्छी है तो उसका पृथक निदेशालय स्थापित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

एक डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के संबंध में कोई विवाद था जिसके संबंध में आपने कोई मान्यता न देना तय किया था ? फिर किन कारणों से उसको मान्यता प्रदान कर दी ? मंत्री जी ने कहा था कि इसको मान्यता नहीं दी जायगी क्योंकि मैनेजमेंट और मैनेजर भ्रष्ट हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में पड़ कर मान्यता प्रदान कर दी है और आप ने विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

राजनीतिक दबाव होगा तो माननीय सदस्यों का ही होगा और कोई दबाव शासन पर है नहीं। कानपुर के कालेज का जो मसला था वह शायद कोर्ट में गया हुआ था, उस पर कोई निर्णय हुआ, वह निश्चयपूर्वक याद नहीं है कि क्या हुआ ? उसी के आधार पर मान्यता दी है।

श्री रामकुमार दीक्षित—

सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। कानपुर के कालेज की मान्यता भ्रष्ट मैनेजमेंट के आधार पर छीन लेने के बाद किस आधार पर आपने पुनः प्रदान कर दी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यता समाप्त नहीं की गयी। उनका प्रवेश रोका गया था। प्रथम वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी आश्वासन दिया गया कि छात्रों की अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा, लेकिन यह सदन इस बात का साक्षी है कि कई साल से उनकी समस्या अटकी है। क्या माननीय मंत्री जी कोई निश्चित अवधि बतला रहे हैं कि तब तक समाधान हो जायगा और विद्यार्थी अपनी क्लासेज में पढ़ना शुरू कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि उन छात्रों की अनेक समस्याओं का समाधान हो चुका है और जो रह गयी हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। यदि समस्याएं ऐसी हैं जो वास्तव में स्वीकार करने योग्य हैं उन पर शीघ्र ही निर्णय सरकार लेगी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि पिछले महीनों जो होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद और आसपास के छात्रों ने वार्ता की थी तो आप ने कहा था कि मैनेजमेंट के बारे में जो असंतोष है उसको देखते हुये उसे हाथ में लेने का विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके लिए बिल आयेगा, तो क्या इसी सत्र में उसको लाने की योजना बना रहे हैं या बिल नहीं लायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो संशोधन इस ऐक्ट में किया जाने वाला है, प्रयास वही किया जा रहा है कि इसी सत्र में उस को ले आयें।

श्री रामगोपाल सण्ड—

डेढ़ वर्ष हो गया, लड़के पकड़े गये, जेल में हैं आप कब विधान लागू करेंगे होम्योपैथिक कालेजों के संबंध में लड़के 12 तारीख से बन्द हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैंने अभी निवेदन किया कि इस सत्र में रखने का विचार कर रहे हैं।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में झगड़ा व मारपीट

**2—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के छात्र, डाक्टरों एवं कर्मचारियों के बीच 30 सितम्बर, 1972 को झगड़ा हो गया और इस घटना में दर्जनों छात्र घायल हो गये हैं तथा अस्पताल का सारा काम काज ठप्प पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां। यह सही है कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के छात्रों और कर्मचारियों आदि के बीच 30 सितम्बर, 1972 की शाम झगड़ा हुआ था। कर्मचारियों तथा इन्टर्नस की ओर अलग-अलग रिपोर्टें पुलिस में लिखाई गई जिनकी स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, जो कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज का टीचिंग अस्पताल है, में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को आदेश दे दिये गये है कि वे कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में जांच कर अपनी आख्या दे ताकि मेडिकल कालेज व चिकित्सालय में असन्तोष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना न रहे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों का विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 516–517 पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इस झगड़े का मूल कारण क्या था और उसमें कितने कितने कर्मचारी और छात्र घायल हुए हैं और कौन इसकी जांच कर रहा है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसमें जांच तो पुलिस ही कर रही है। पुलिस को रिपोर्ट लिखायी गयी है दोनों तरफ से। कर्मचारियों की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि उनके 22 सदस्यों के चोटें आयी हैं लेकिन केवल 21 व्यक्तियों ने अपना डाक्टरी मुआयना कराया था जिनमें से केवल 12 के बदन पर साधारण चोटें आयी थीं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

इस घटना के बाद कितने कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस दिया गया और उनमें से कितने कर्मचारी काम पर वापस ले लिये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिन कर्मचारियों ने हिंसात्मक घटनायें की थीं उनको छोड़ कर बाकी वापस ले लिये गये ऐसी मेरी सूचना है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो घटना वहां पर हुई क्या सरकार उसकी कोई विभागीय जांच करा कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

छात्रों और कर्मचारियों, दोनों ओर से रिपोर्टें दर्ज करायी गयी हैं। तो ये रिपोर्टें किस धारा में हैं और इनका विवरण क्या है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

कर्मचारियों की ओर से मुकदमा नं० 767, धारा 147, 148, 149, 323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत विचाराधीन है और छात्रों की ओर से मुकदमा नं० 767, धारा 147, 323, 336, 504 और 506 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम होकर विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाग के कौन से बड़े आफिसर जांच के लिये गये तथा जो उनकी मांगें हैं उनके विषय में सरकार कब तक निर्णय लेगी ? क्या मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि डाक्टर के कम्पाउन्डर ने एक किलो चीनी लाकर उनके यहां दी, और उनकी पत्नी ने जब उसको तौला तो वह 15 छटांक ही निकली, इसलिये डाक्टर की पत्नी ने उसको बुरा भला कहा और उसके खिलाफ यह कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

निदेशालय से एक व्यक्ति जांच के लिये भेजा गया है। जांच के बाद शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। शकर वाले मामले में जो माननीय सदस्य ने कहा है, यदि ये उसे लिखकर मुझे देंगे तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा। वैसे मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो कर्मचारी 3 साल से अधिक सेवा के हैं और अस्थायी हैं, क्या उनको मंत्री जी स्थायी करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने यह पूछा था कि जिनकी सेवा 3 वर्ष से अधिक हो गयी है क्या उनको मंत्री जी स्थायी करेंगे तथा जिनसे 8 घंटे से अधिक सेवा ली जाती है उनको अतिरिक्त भत्ता देने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जैसे-जैसे स्थायी पदों का सृजन किया जाता है उनको भी स्थायी किया जाता है। जहां तक अतिरिक्त भत्ता देने का सवाल है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिन छात्रों का डाक्टरी मुआयना हुआ है उनका नाम क्या है तथा उनकी चोटों का वर्णन क्या है, किस प्रकार की उनकी चोटें हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इन्टर्नस की रिपोर्ट में 11 व्यक्तियों को चोट लिखाई बताई गई है, उनमें से 10 ने डाक्टरी जांच कराई और सब के शरीर पर साधारण चोटें पाई गईं। इनमें इन्टर्न, डाक्टर और हाउस सर्जन सभी शामिल हैं।

श्री धर्मवीर—

यह कर्मचारियों और छात्रों में जो संघर्ष हुआ है उसका मुख्य कारण प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और अधिकारीगण हैं, तो क्या मंत्री जी छात्रों और कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने के बजाय प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे, जिनके कारण से छात्रों, कर्मचारियों और मरीजों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है ? क्या उनके खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? और उस मैनेजमेंट का वहां से स्थानान्तरण करके साधारण स्थिति प्रदान करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जांच करने पर जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसमें करीब 2 दर्जन व्यक्ति घायल हुए, तो क्या इस पर भी वहां सुव्यवस्था कायम करने के लिए मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हैं कि जिनके कारण यह घटना हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई डिसिप्लनरी ऐक्शन लिया जाए ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसीलिए जांच कराई जा रही है।

बुलन्दशहर में मलेरिया का प्रकोप

**3—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि सितम्बर, 1972 से बुलन्दशहर में मलेरिया का भयानक प्रकोप हुआ और अब भी जिले के 20 हजार व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हैं तथा सैकड़ों मृत्युयें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का कैसे मुकाबला कर रही है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिला बुलन्दशहर में सितम्बर, 1972 से मलेरिया का प्रकोप हुआ। 24-11-72 तक मलेरिया ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 3,079 पायी गयी। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु मलेरिया बुखार से नहीं हुई। रोग की रोकथाम हेतु 44 मलेरिया पीड़ित ग्रामों में कीट-नाशक दवा का छिड़काव किया गया तथा 67 गांवों में केन्द्रीकृत छिड़काव करवाया गया। स्थिति अब नियंत्रण में है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में सब विभागों में मलेरिया विभाग ही ऐसा है, जिसके सरकारी कर्मचारी प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में पहुंचे हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि प्रदेश से यह बीमारी समाप्त हो गई है, तो फिर बुलन्दशहर में यह रोग क्यों उभड़ा ? इसका कारण क्या है, क्या इसकी मंत्री जी जांच कराएंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इसका पता लगाया जाता है। यह बात सही है अपने प्रदेश में यह बीमारी खत्म हो गई थी। लेकिन प्रदेश के बाहर से जो आदमी आ जाते हैं, उनके इन्फेक्शन से इस प्रदेश में हो जाता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा—इस दौरान में मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मुझे निश्चित जानकारी है कि बुखार आने से करीब 60-70 लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या कोई अन्य किस्म का बुखार चला था, जिसके कारण ये मृत्युयें हुईं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जो सूचना उपलब्ध है, उसमें मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई, यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो वह निश्चित रूप से गांव और व्यक्तियों के नाम आदि भी बताएं, जिससे जांच कराई जा सके। यों तो अन्य बीमारियों से स्थान-स्थान पर अनेक मृत्युयें हुआ ही करती हैं, इसकी जांच का सवाल कहां उठ सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया समाप्त हो गया, बाहर से इनफेक्शन आ गया अब महामारी बुलन्दशहर में चल रही है, दूसरे जिलों में इसका इनफेक्शन न पहुंच जाय इसकी रोकथाम के लिए मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उनकी रोकथाम की व्यवस्था की गयी है। कहीं आगे बढ़ने की आशंका नहीं है। न वहीं भयानक स्वरूप है। उससे मृत्यु भी नहीं हुई है। यह सूचना गलत है कि उससे कोई मृत्यु हुई है।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बाहर से आये हुए लोगों के कारण मलेरिया पैदा हो रहा है। माननीय मंत्री जी रूस गये हुए थे। रूस से आने के बाद क्या उन्होंने अपने को एग्जामिन करवाया कि इनके अन्दर मलेरिया के तत्व नहीं आ गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जाड़ों में मलेरिया नहीं आता, रूस से अगर आये हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि सरकार को यह आभास हो जाने के बाद कि मलेरिया लगभग समाप्त हो गया, प्रदेश के इस विभाग के कर्मचारियों का रिट्रेंचमेंट कर दिया और मलेरिया की रोकथाम में कमी कर दी गयी इसलिए मलेरिया बढ़ने लगा और दूसरे डी० डी० टी० जिसका उपयोग किया जा रहा है उससे मच्छर नहीं मरते हैं, इम्म्यु हो गये हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

ऐसा नहीं है कि मलेरिया का काम खत्म कर दिया है। इरैडिकेशन का काम समाप्त हो रहा है। मेंटिनेंस के लिए स्टाफ रहता है वह बराबर निगाह रखता है। खून लेते रहते हैं। स्लाइड्स आती रहती हैं। मलेरिया फिर से न हो जाय, कहीं से इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है। स्टाफ हमारे पास रहता है।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

बहराइच जिला जो जंगल से घिरा पड़ा है, दस-बारह साल पहले जिस प्रकार मलेरिया की हालत वहां थी उससे बदतर हालत हो गयी है, वहां मलेरिया का भारी प्रकोप बढ़ गया है। क्या माननीय मंत्री जी वहां मलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाएंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि जो प्रक्रिया की जाती है मलेरिया के रोकथाम में मच्छर रह सकता है लेकिन उसके काटने पर मलेरिया रोग हो यह सम्भावना नहीं रहती। इस प्रकार के कार्य निरन्तर चलते रहते हैं कि जिससे मलेरिया की रोकथाम हो सके। माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान की सूचना देंगे तो वहां विशेष व्यवस्था की जायगी।

श्री पारसनाथ सिंह—

बहराइच जिला कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये।

सरकार बनाम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी का मुकदमा

**4—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेकंड अपील नं० 1979/1967, सरकार बनाम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी जिसमें श्री सिद्दीकी को 20,806.25 रुपये का भुगतान देने का निर्णय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किया था, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई डिवीजन, देवरिया द्वारा कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसल के बाद यह मामला अब सरकार के सामने किस लिए विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह सही है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि उनको बहाल कर दिया जाय । उनको तनख्वाह दी जाय या न दी जाय, हाईकोर्ट ने फैसला नहीं किया है । चूंकि वर्कचार्ज कर्मचारी है इसलिए मामला विचाराधीन है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सबसे पहले 13-6-67 को सिविल जज की डिग्री हुई, कि इनको माना जायगा कि सर्विस में कंटीन्यु कर रहे हैं, उसकी एक लाइन यह है—"ऐंड दि प्लेंटिफ स्टिल कंटीन्यु इन सर्विस इज डिक्रीड विद कास्ट्स", यह माना जायगा कि वह सर्विस में कंटीन्यु कर रहे हैं, इसकी अपील हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, हाई कोर्ट ने यह कर दिया कि 13-5-67 के जजमेंट तथा डिक्री के खिलाफ जो एस० पी० मिश्रा, सिविल जज, देवरिया ने पास की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील की थी उसे डिसमिस कर दिया और पहली अपील 67 में हुई जिससे डिसमिस कर दिया गया तब विचाराधीन क्या है जबकि दोनों अदालतों के डायरेक्शंस बिल्कुल क्लीयर हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जो आदमी रखा गया था वह वर्कचार्ज में था । उसको कितनी तनख्वाह दी जाय इस पर जब ला डिपार्टमेंट से राय आ जायगी तब हम देख लेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मेरा प्रश्न यह है कि फैसले में यह साफ दिया हुआ है "दी, प्लेन्टिफ स्टिल कंटिन्युज इन सर्विस इज डिक्रीड विथ कास्ट्स ।" वह अब भी नौकरी में जारी है तो उसमें लीगल राय की क्या जरूरत है ? वह कर्मचारी तनख्वाह पाने का तो अधिकारी है ही । कास्ट सरकार दे या न दे इस पर तो ला डिपार्टमेंट राय दे सकता है लेकिन यह सवाल कहां से पैदा होता है कि उसको अब तक तनख्वाह नहीं दी गयी और नौकरी पर नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वर्कचार्ज की एक्सप्लेन कर दीजिये तो अच्छा है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

इसमें वर्कचार्ज का सवाल कहां आता है ? 1967 तक वह कर्मचारी सर्विस में माना जायेगा जैसा कि हाई कोर्ट का आर्डर है । उसमें कोई दखल नहीं दे सकता । वर्कचार्ज है या नहीं इसका सवाल पैदा नहीं होता । लिहाजा उतने समय तक उसका वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह---

वर्कचार्ज में प्योरली टेम्पोरेरी आदमी रखा जाता है। रेगुलर टेम्पोरेरी में भी वह नहीं माना जाता। ला डिपार्टमेंट से राय मांगी गयी है। उस व्यक्ति ने छुट्टी ली और बिना सुचना दिये हुए अपने अधिकारी को गैरहाजिर हो गया। उसपर उसे बरखास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने फैसला इसलिये यह किया है कि बरखास्त करने का अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता होता है। उसने बरखास्त न करके सहायक अभियन्ता ने किया। इस बिना पर वह सर्विस में बहाल कर दिया गया। वेतन उसका दिया जाय इस पर ला डिपार्टमेंट की राय मांगी गयी है। राय आ जायगी माफिक तो जरूर दे दिया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

मंत्री जी को शायद पूरी इत्तिला नहीं है। मैं जो सूचना दे रहा हूं उसको वह सुनने की कृपा करें। यह गलत है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने आर्डर नहीं दिया था और सहायक अभियन्ता ने दिया था। सिविल जज ने जो आर्डर किया है उसमें साफ है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का 31 अगस्त 1959 का आर्डर एक्जिक्यूटिव इंजीनियर का 4-9-1957 का आर्डर तथा एसिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर का 1-6-1957 का आर्डर इल्लीगल तथा अल्ट्रावायर्स है .....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे तो दिया है.....

श्री रामधारी शास्त्री--

मेरा कहना है कि उनका यह कहना गलत है कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ने आर्डर नहीं किया। आर्डर सुपरटेंडिंग इंजीनियर ने ही किया था।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने जब वे देवरिया गये तो वही सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर जिस के खिलाफ शिकायतें हैं उसकी गाड़ी पर वहां गये थे ?

श्री राजबिहारी सिंह--

श्रीमन्, यह गलत है। मैं सरकारी गाड़ी पर गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, यह एक छोटे कर्मचारी का मामला है डिक्री हुये वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस अपील का जजमेंट किस तारीख को हुआ था, किस तारीख को राय मांगने के लिये इस मामले को ला-डिपार्टमेंट को भेजा गया था ? क्यों अभी तक ला-डिपार्टमेंट से राय नहीं आई ? क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई रिमाइन्डर ला-डिपार्टमेंट को भेजा है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, जल्दी ही ला-डिपार्टमेंट को भेजा गया है और कहा गया है कि वे जल्दी इस पर अपनी राय दे दें।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आप के सामने आदेश पढ़ रहा हूं,

The appeal is allowed with cost throught the judgment out decree of the lower court are set aside. The plantiffs suit for declaration that orders dated 1.6.57 passed by the Assistant Machanical Engineer, the order dated 4.9.57 passed by the Executive Engineer and the order dated 31st August 1959 passed by the Superintending Engineer are illegal and ultra-vires and the Plaintiff still continues in service is decreed with costs."

तो उसके विरुद्ध सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में अपील हुई और वह खारिज हो गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब अदालत फैसला कर देती है तो क्या सरकार अदालत से भी ऊपर हो गई है कि 3—3 साल तक उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी। किन नियमों के आधार पर यह तय नहीं हो पाया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह एक ऐसे कर्मचारी का मसला है जो कि रेगुलर सर्विस में नहीं है और इसीलिये लाडिपार्टमेंट से राय मांगी गई है। जब राय आ जायेगी और उसके अनुसार पैसा दिया जायेगा।.....

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जिसको पत्र आपने ला-डिपार्टमेंट को लिख कर भेजा है वह किस आधार पर भेजा है और जैसा कि आपने कहा कि आपने जानकारी चाही है तो क्या आप सदन को बतलायेंगे कि आपने ला-डिपार्टमेंट से क्या सलाह लिया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

उस पत्र की भाषा क्या है, मेरे पास इस समय वह पत्र नहीं है। उसे मंगा कर बता सकता हूं कि उसमें क्या लिखा गया है।

(श्री जगदम्बा प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने उन्हें बुलाया है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने में जब वे देवरिया गये थे तो वहां सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ अनेक प्रकार की शिकायतें वहां के लोगों ने, तथा कई राजनीतिक दल के लोगों ने की और वहां सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर उस छोटे कर्मचारी को परेशान कर रहा है, ऐसी शिकायतें सरकार को मिलीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो नया सवाल है, अगर आपको मालूम हो तो बतला दें।

श्री राजबिहारी सिंह—

मैं देवरिया गया था और माननीय सदस्य के कहने पर ही गया था लेकिन वे वहां गैरहाजिर थे। मैं दूसरे काम से गया था लेकिन उस इंजीनियर के खिलाफ किसी व्यक्ति ने एक क्षण भी कोई शिकायत नहीं की।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं और सदन सुप्रीम होता है। तो अगर सदन कोई प्रश्न पूछता है तो सरकार उसका उत्तर देने से भाग सकती है ? क्योंकि इसमें साफ दिया हुआ है कि 20,806.25 रुपये की डिग्री अदालत ने दे दी, फिर इसके बाद भी एल० आर० की ओपीनियन मांगने का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि यह सरकार है और यह कानूनी रुख हमेशा किसी स्टेज पर भी ले सकती है। उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया तो उसे क्या हम वापस थोड़े करा सकते हैं ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

निर्मला महिला चिकित्सालय में कौड़ीराम (गोरखपुर) के विरुद्ध आरोप

*1—श्री शान्तिचरण पिडारा (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री रामपलट हरिजन, बांसगांव द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1972 को "निर्मला महिला चिकित्सालय" कौड़ीराम, गोरखपुर के संबंध में कोई शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि डाक्टर निर्मला बिना किसी डिग्री के ही दवा बेचती है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाया जाता है और अन्य प्रकार का नाजायज दुष्कर्म कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी हां। जांच कराई गई। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

बलिया जिले के ग्रामों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में नगरपालिका के पूर्वांचल के कुछ गांवों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अप्रैल सन् 1972 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि जन गांवों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट लागू किया गया है उनमें अखार नगवां, जनाड़ी, सहरसपाली, गांव ऐसे हैं जिनमें वर्तमान कानून के अन्तर्गत उन गांवों के कुछ हिस्सों से ही जमींदारी प्रथा का खात्मा हो रहा है और बहुतांश हिस्से में इसलिये नहीं हो रहा है कि यह हिस्से कभी भी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे हिस्सों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट 1, 1951 कब तक लागू होगा ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां। उल्लिखित 4 ग्राम बलिया जनपद में नगरपालिका बलिया, के पूर्वांचल में स्थित उन 19 ग्रामों में से हैं जिनमें 1 अप्रैल, 1972 से 1951 ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 लागू किया गया है। ग्राम अखार के सम्पूर्ण भू-भाग में तथा ग्राम जनाड़ी, नगवां और सहरसपानी के केवल उतने भू-भागों में जमींदारी समाप्त हुई है जो 17 फरवरी, 1958 की विज्ञप्ति द्वारा नगरपालिका की सीमा से पृथक किये गये थे। उक्त 3 ग्रामों में से ग्राम सहरसपाली के उस भाग में, जो नगरपालिका की सीमा से बाहर था, जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दिनांक 1-7-1952 को ही जमींदारी समाप्त हो चुकी थी। ग्राम नगवां व जनाड़ी के शेष भागों में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 2-क के अन्तर्गत अधिनियम का प्रसार करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है यह कार्य कब तक हो सकेगा इसके लिये निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम नगवां और जलाली के जिस भाग का उल्लेख किया गया है वह कभी नगरपालिका के अन्तर्गत नहीं रहा है ? यदि हां, तो वह ऐक्ट यहां क्यों नहीं लागू किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर ये दो गांव जिनका जिक्र किया गया है, ऐसे गांव थे कि ये नदी के कटाव से प्रभावित होते थे और कभी-कभी बिहार में चले जाते थे तो उनके कागजात भी वहीं चले जाते थे और जब ये यहां आ जाते थे तो वहां से कागजात आने में देर होती थी। इन दोनों गांवों के कागजात अभी तक बिहार से प्राप्त नहीं हुये हैं और कुछ प्राप्त हुये हैं, इसलिये देर लग रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है क्योंकि ग्राम नगवां जलाली कभी नगरपालिका या बिहार में नहीं गया ? यदि हां, तो कैसे इसका जिक्र हुआ, यदि नहीं तो जलाली ग्राम कब बिहार में गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी हो सकी है वह यह है कि इन दो गांवों का कुछ हिस्सा ऐसा था जो बिहार में चला जाता था लेकिन अगर आपका ऐसा खयाल है तो मेरी सूचना गलत है और मैं उसको दुरुस्त कर लूंगा।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मंत्री जी बार-बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो जमीन बाढ़ से कट गई वह बिहार में चली गई लेकिन कागजात कैसे बिहार में चले गये। वे तो आपके यहां तहसील में होंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आपके प्रश्न को सही मान कर उत्तर दे रहा हूं कि यह गांव कभी-कभी बिहार में चला जाता था और उसकी सीमा का विवाद चलता रहता था क्योंकि नदी की मिड स्ट्रीम सीमा का निर्धारण होता था और यह अक्सर बदला करती थी। कभी वह वहां चले जाते थे और कभी यहां आ जाते थे।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जब ये गांव उधर चले जाते थे तो उनके कागजात कैसे बिहार में चले जाते थे और हमारे यहां उपलब्ध नहीं होते थे ? मैं जानना चाहता हूं कि आपका इससे क्या मतलब है ? कागजात तो आपकी तहसील में रहते होंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जब ये गांव बिहार में चले जाते थे तो कागजात वहां जाते थे और यहां आते थे तो कागजात यहां आ जाते थे।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी समझा रहे हैं कि गांव उधर चले जाते थे और इधर आ जाते थे लेकिन सवाल यह है कि नगवां जलाली कभी बिहार में नहीं गया। तो जो क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन से इस तरह से गया उसकी जमींदारी आप कब तोड़ेंगे और जिन्होंने विभाग से गलत रिपोर्ट दी है वह क्षेत्र बिहार में चला गया और आया उनके खिलाफ आप क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसकी कार्यवाही तो चल रही है लेकिन जैसा आपने बताया हमारी सूचना यही थी कि इन गांवों का कुछ भाग नगरपालिका में था लेकिन माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा कि उनका कोई भाग नगरपालिका क्षेत्र में नहीं रहा। जब नगरपालिका क्षेत्र में जमींदारी खत्म हुई तो वहां भी वह खत्म की गई, जो क्षेत्र बाहर रह गया था उसमें से एक गांव का तो हो गया है और जो रह गया है उसकी परीक्षा हो रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने यह नहीं कहा कि कोई हिस्सा नगरपालिका क्षेत्र में नहीं था, मैंने कहा कि न बिहार में कोई हिस्सा गया न कागजात गये या आये। मैंने कहा कि मेरी सूचना को सही मान कर कि विभागसे यह भूल हुई है कि जिन्होंने नगरपालिका का क्षेत्र रखकर बाकी की जमींदारी समाप्त की, क्या मंत्री जी इन बाकी क्षेत्रों की जमींदारी का उन्मूलन फौरन करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, जरूर करेंगे।

श्री बलबीर सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन गांवों के सम्बन्धित कागजात कब-कब गये और आये, कौन सी तारीखों और कौन-कौन साल में गये और कब-कब लौटे ?

श्री अध्यक्ष—

इतना ज्ञान इन्हें कैसे हो सकता है....

श्री बलवीर सिंह—

वह गलत बयानी कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो सफाई कर दी और जानकारी दे दी।

श्री रामकुमार दीक्षित—

प्रदेश के ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां अब भी जमींदारी उन्मूलन कानून लागू नहीं किया गया है उनको भी क्या सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत लेने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, वह हम कर ही रहे हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद)—

प्रदेशीय सरकार ने अभी तक नगरपालिका और टाउन एरिया क्षेत्र की जमींदारी को नहीं तोड़ा है और उनको तोड़ने का क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वहां भी जमींदारी समाप्त करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

नगरपालिकाओं में जो कृषि क्षेत्र थे उनकी जमींदारी सब तोड़ दी गई है, उनके अन्यथा जो क्षेत्र थे उनकी जमींदारी तोड़ने पर अभी विचार हो रहा है।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में किशोरी नामक मरीज की मृत्यु

*3—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में दिनांक 12 मई 1972 को एक किशोरी नामक मरीज की मृत्यु औषधियों के अभाव के कारण हो गई थी ? यदि हां, तो क्या वास्तव में अस्पताल में दवाओं का अभाव था ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ? यदि हां, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सरोजिनी नायडू चिकित्सालय, आगरा में किशोरी नामक एक रोगी की मृत्यु दिनांक 12-5-72 को नहीं बल्कि 18-5-72 को हुई थी। यह सही नहीं है कि रोगी की मृत्यु औषधियों के अभाव में हुई परन्तु इस मामले की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

17 मई, 1972 को रात को ग्लूकोज स्टोर में होते हुये भी रोगीके लिये उपलब्ध नहीं हो सका। इस मामले में यह संतुष्टि कर ली गई है कि किसी आवश्यक औषधि के अभाव में रोगी की मृत्यु नहीं हुई परन्तु जांच के फलस्वरूप इस मामले में तीन डाक्टर (दो हाउस फिजिशियन और एक रेजिडेन्ट मेडिकल आफिसर) तथा स्टोर के फार्मेसिट की असावधानी पाई गयी है। इन चारों को चेतावनी और फार्मेसिस्ट को चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्वयं ही ऐसा है कि इसमें दोनों बातें बतायी गयी हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि रोगी की मृत्यु दवाओं के अभाव में नहीं हुयी दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मृत्यु जो हुयी हैं वह वहां के कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुयी है। इसलिए डाक्टरों कोसजा दी जा रही हैऔर फार्मेसिस्ट कोचरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देने रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मरीज को रात भर किसी डाक्टर ने अटेन्ड नहीं किया। उसकी गम्भीर दशा थी उसे कोई दवा नहीं दी गयी और जो बड़े डाक्टर अर्थात् हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं उन्होंने जो दवा लिखी वह उसे नहीं दी गयी। माननीय मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल गलत है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी दूबारा इन्क्वायरी कराने कीकृपा करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने अपने उत्तर में कहीं यह नहीं कहा है कि रोगीकी मृत्यु दवाओं के अभाव में या असावधानी के कारण हुयी बल्कि एक चीज कही कि रोगी को ग्लूकोज नहीं मिला। वे दूसरी कम्पनी का ग्लूकोज चाहते थे लेकिन स्टाक में दूसरी कम्पनी का ग्लूकोज उपलब्ध था। फिर भी लापरवाही होने के कारण डाक्टरों को चेतावनी दी गयी और फार्मेसिस्ट की चरित्रपंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है यदि वे हमें लिख कर देंगे तो हम फिर से इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्रीमन्, कितनी गम्भीर घटना है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि 17 को ग्लूकोज स्टोर में मौजूद रहते हुए भी मरीज को ग्लूकोज नहीं दिया गया जिसके कारण मरीज 18 तारीख को मर गया। कितनी बड़ी लापरवाही की गयी लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं कि डाक्टरों को चेतावनी दे दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उन डाक्टरों को क्यों निलम्बित नहीं किया?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने स्पष्ट किया है कि रोगी की मृत्यु दवाओं के अभाव के कारण नहीं हुयी है बल्कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुयी है। जांच के दौरान यह तथ्य अवश्य प्रकाश में आया कि रोगी को ग्लूकोज नहीं मिला। और वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी विशेष कम्पनी का ग्लूकोज चाहिए थी। जब स्टोर कीपर ने कहा कि यहां का बना हुआ तो ग्लूकोज मौजूद है तो उसी पर ग्लूकोज को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। इसलिए डाक्टरों को चेतावनी दे दी गयी और फार्मेसिस्ट को चरित्रपंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है। लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य जांच करवाना चाहते हैं तो अगर वे लिख कर देंगे तो जांच करायी जा सकती है।

श्री हुकुम सिंह परिवार—

श्रीमन्, यह रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है। मरीज की गम्भीर दशा थी लेकिन उसे रात भर किसी डाक्टर ने अटेन्ड नहीं किया, उसे कोई दवा नहीं मिली। श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आये दिन सरोजनी नायडू चिकित्सालय, आगरा में ऐसी घटनायें होती रहती है, उनकी शिकायतें भी होती हैं लेकिन उन्हें दबा दिया जाता जाता है और इस शिकायत को भी दबाये जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले की किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

माननीय सदस्य ने एक आम बात कह दी । मैंने तो उनकी मांग को मान लिया है कि अगर वे चाहेंगे तो इस मामले में दुबारा जांच करा दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

उनका चार्ज है कि जो रिपोर्ट है वह गलत है । तो आप फिर से जांच करा लीजिये ।

जिला स्वास्थ्य विभाग मैनपुरी का व्ययगत अनुदान

*4---श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य विभाग मैनपुरी ने 31 मार्च, 1972 ई० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कितने राजकीय अनुदान को कोषागार से नहीं निकाला ? जो अनुदान लैप्स हुआ उसका दायित्व किस अधिकारी पर है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

1,91,309 रु० नहीं निकला । इस धनराशि के लैप्स होने का दायित्व निर्धारित किये जाने हेतु आवश्यक जांच की जा रही है ।

लखनऊ नगरमहापालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*5---श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करगे कि लखनऊ नगरमहापालिका ने स्वास्थ्य अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों पर उनके द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में दिनांक 5 अक्तूबर, 1971, 11 दिसम्बर, 1971 व 16 फरवरी, 1972 को उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित गम्भीर आरोपपूर्ण पत्र मंत्रीजी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाहियां अब तक की गई हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जी हां ।

5 अक्टूबर, 1971 को प्राप्त हुए पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में जांच कराये जान पर स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए । अतः उस सम्बन्ध म किसी और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

11 दिसम्बर, 1971 व 16 फरवरी, 1972 को प्राप्त हुए पत्रों में लगाये गये आरोपों के बारे में विभागीय जांच की जा रही है ।

[दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बिल्हौर तहसील (कानपुर) के छः गांवों में जमींदारी उन्मूलन की मांग

*1---श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की बिल्हौर तहसील स्थित छः गांवों में अब भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और कब तक इन गांवों की जमींदारी समाप्त की घोषणा सरकार द्वारा की जायगी ?

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

पूरे प्रदेश में अभी तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का प्रसार ऐसे आस्थानों या आस्थानों के भाग पर नहीं किया गया है जो केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानिक अधिकारिकी के स्वामित्व में हैं। तहसील बिल्हौर के भी ऐसे क्षेत्रों में ही जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का प्रसार होना शेष है--

शासन ने केन्द्रीय सरकार एवं स्थानीय अधिकारिकी के स्वामित्व वाली भूमि पर जमींदारी विनाश करने का कोई निणय नहीं लिया है।

भुवाली क्षय रोगाश्रम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*2--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भुवाली क्षय रोगाश्रम के कर्मचारीगण वहां के अधीक्षक डा० ताराचन्द के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कई दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद अब हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति करने के साथ-साथ अधीक्षक को स्थानान्तरित करने के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

क्षयरोगाश्रम, भुवाली के कुछ कर्मचारियों ने 30-8-72 एवं 31-8-72 को भूख हड़ताल की तत्पश्चात् 1-9-72 से 6-9-72 तक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

मांगों पर विचार करने के उपरान्त उन पर उचित कार्यवाही की गयी। अधीक्षक का स्थानान्तरण हो गया है।

आगरा में बाढ़ से क्षति

*3--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या यह सही है कि इस वर्ष आगरा की बाढ़ से 25 करोड़ रुपये की हानि हुई और 200 व्यक्ति की मृत्यु हुई, एक हजार मकान या तो नष्ट हो गये या उनकी क्षति असावधानी के कारण हुई? अगर हां, तो क्या सरकार बाढ़ पीड़ित जनता को मुआवजा देने पर विचार करेगी और उन अधिकारियों को दण्ड देगी जिनकी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं, यह बात सही नहीं है कि किसी अधिकारी की असावधानी के कारण क्षति हुई। आगरा जिले में बाढ़ 10-11 अगस्त, 1972 की रात्रि में राजस्थान के कई बांधों के अचानक टूट जाने के कारण आयी जिसके फलस्वरूप 3.5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की क्षति हुई, 22 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 21 व्यक्ति लापता हैं तथा 9,107 मकान क्षतिग्रस्त हुए। क्षति के लिये मुआवजा देने का नियम नहीं है। पीड़ितों को गृह-निर्माण अनुदान, अहेतुक सहायता, आपदा तकाबी नियमानुसार दी गई तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों का शिक्षा-शुल्क माफ किया गया। किसी अधिकारी को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग के प्रधान व द्वितीय लिपिकों की पदोन्नति एवं स्थायीकरण

*4--श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से दिनांक 31 जुलाई, 1972 तक कुल कितने प्रधान व ज्येष्ठ लिपिकों के स्थान रिक्त हुये थे? उन स्थानों पर ज्येष्ठ व द्वितीय लिपिकों की पदोन्नति स्थान रिक्त होने के बाद नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों से कितने प्रधान व द्वितीय लिपिक को स्थायी किया गया और अब तक कितने द्वितीय लिपिक अस्थायी हैं? सरकार उन्हें कब तक स्थायी करने का विचार कर रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

31 जुलाई, 1972 से पहले तीन वर्षों में प्रधान लिपिकों के 5 स्थान तथा ज्येष्ठ लिपिकों के 21 स्थान प्रदेश के चिकित्सा विभाग में रिक्त हुए। प्रधान लिपिक के एक स्थान को छोड़कर उक्त सभी रिक्त स्थानों पर ज्येष्ठ एवं द्वितीय वर्ग के लिपिकों की पदोन्नति कर दी गयी है।

लक्ष्मण झूला, जिला देहरादून में स्थान न मिलने से लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट की स्थापना नहीं हो सकी है। अतः वहां प्रधान लिपिक का पद नहीं भरा जा सका है।

गत तीन वर्षों में कोई प्रधान लिपिक स्थायी नहीं किया गया किन्तु 88 द्वितीय लिपिक स्थायी किये गये। इस समय 587 द्वितीय लिपिक अस्थायी हैं। जैसे-जैसे स्थायी पद उपलब्ध होते जायेंगे उनका स्थायीकरण भी वैसे ही किया जायेगा। प्रधान लिपिकों का स्थायीकरण भी विचाराधीन है।

बुलन्दशहर में वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण रद्द किया जाना

*5—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में वैक्सीनेटरों के भी तबादले डी० एम० एच० ओ० ने जुलाई, 1972 में किये थे, मौजूदा डी० एम० एच० ओ० ने उनको रद्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा० एस० आर० जैन ने जुलाई, 1972 में जनपद बुलन्दशहर के पांच वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण किया था। वर्तमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा० लक्ष्मण स्वरूप ने पांचों मामलों में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये हैं।

इलाहाबाद और शमशाबाद (आगरा) के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*6—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहाबाद और शमशाबाद, जिला आगरा के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? अगर हां, तो उपरोक्त अस्पतालों का प्रान्तीयकरण कब तक हो जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। जब जिला परिषद् इन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किए जाने, इनसे सम्बन्धित चल व अचल सम्पत्ति को निःशुल्क शासन को स्थानान्तरित करने तथा अस्पताल पर हो रहे आवर्तक व्यय के बराबर की धनराशि को या तो शासन को प्रति वर्ष अंशदान के रूप में देने को अथवा उतनी ही धनराशि जिले में अतिरिक्त चिकित्सा सेवा पर व्यय करने के लिए राजी हो जायेगी, इनके प्रान्तीयकरण पर निर्णय लिया जा सकेगा।

सूखा पीड़ितों को राहत देने की कार्यवाही

*7—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जुलाई तथा अगस्त, 1972 में कम वर्षा होने के कारण भुखमरी तथा पशुओं के चारे की समस्या के लिये कौन सा पग उठाया गया? सरकार ने बची फसल की रक्षा तथा सिंचाई की कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई? क्या सरकार ने टेस्ट वर्क्स भी प्रारम्भ किये हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूखा पीड़ितों को राहत देने के लिए जो कार्यवाही की गई, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

[श्री उदित नारायण शर्मा]

1—सूखाग्रस्त इलाकों में उदारता के साथ सस्ते गल्ले की दूकाने खोली गयीं।

2—निराश्रितों को अहेतुक सहायता वितरित की गई और की जा रही है।

3—पशुओं के चारे की समस्या हल करने के लिए वन विभाग के चरागाह तथा नहरों के किनारे की भूमि निःशुल्क चराई के लिए आदेश जारी किए गए। साथ ही उचित दर पर भूसा उपलब्ध कराने के लिए भूसे के ठेकेदार की नियुक्ति की गई है।

4—सभी नहरों और नलकूपों को पूरी क्षमता से चलाने की व्यवस्था की गई। खराब नलकूपों को ठीक कराने तथा आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों एवं उपभोक्ताओं को बिजली देने में कटौती की गई।

5—जिन क्षेत्रों में फसल नहीं बोयी जा सकी या बोने पर खराब हो गई वहां बाजरे की बुवाई करायी गयी।

6—किसानों को उर्वरक तथा कीटाणुनाशक दवाएं उपलब्ध करायी गयी। साथ ही 173 टन शंकर बाजरे का बीज तथा कुछ क्षेत्रों में स्थानीय बीज दिए गए।

7—रबी के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया और उसे मुस्तैदी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

8—इस समय प्रदेश के 15 जिलों में 599 टेस्ट वर्क चलाये जा रहे हैं जिन पर 45,907 मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ 26 जिलों को टेस्ट वर्क चलाने के लिए धन दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त समस्त जिलों में लिंक रोड पर मिट्टी का कार्य टेस्ट वर्क द्वारा कराने के लिए धन का आवंटन किया गया है।

विकास खण्ड मछवा (मिर्जापुर) के विरुद्ध शिकायत

*8—श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मछवा के डाक्टर के खिलाफ दिनांक 28 जुलाई से लगायत दिनांक 15 अगस्त, 1972 तक कितने शिकायती-पत्र वहां की जनता द्वारा भेजे हुये प्राप्त हुए? शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उक्त अवधि में वहां की जनता द्वारा तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें डाक्टर के खिलाफ मुख्यतः भ्रष्टाचार, अनियमितता व दुराचरण की शिकायतें हैं। शिकायतों की जांच कराई गई। जांच आख्या प्राप्त हो गई है और उस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। डाक्टर का वहां से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

सुल्तानपुर में परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सहायकों की पुनर्नियुक्ति

*9—श्री शचीन्द्रनाथ बक्शी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971-72 में जिला सुल्तानपुर में परिवार नियोजन के जिन स्वास्थ्य सहायकों की सेवा से मुक्त करके पुनः उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया था क्या उनको वही (फंडामेंटल रूल 22, फाइनेंशियल हैण्ड बुक पार्ट II, वाल्यूम II से IV के अनुसार) पुराना वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री उसे शीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

प्रश्नगत कर्मचारियों को पुराना वेतन दिये जाने के संबंध में सब पहलुओं पर विचारकरके आदेश दिये जायेंगे। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

गद्दी अमिहित एवं बजरंग नगर (जौनपुर) में स्वास्थ्य केन्द्रों की मांग

*10—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या जिला जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड केराकत एवं डोभी के क्रमशः थाना गद्दी अमिहित एवं बजरंग नगर स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी जौनपुर की कोई संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उसे व्यावहारिक रूप कब तक दिया जायगा और नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

शासन की वर्तमान स्वीकृत योजना के अन्तर्गत एक विकास क्षेत्र में एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था नहीं है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जौनपुर की संस्तुति प्राप्त अवश्य हुई है किन्तु उसे कार्यान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

त्वरित योजनान्तर्गत निर्मित रूरा झींझक (कानपुर) पक्की सड़क

*11—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में त्वरित ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रूरा से झींझक 18 कि० मी० कैनाल रोड नहर साख, इटावा की दाईं पटरी को पक्की सड़क बनाये जाने के कार्य में सम्पूर्ण 18 कि० मी० की सड़क में मिट्टी की भराई का कार्य मई, 1972 में पूर्ण हो चुका है इस बनने वाली सड़क के बीच में पड़ने वाले पेड़ों को कटवाने के संबंध में वन विभाग तथा वन मंत्री को क्षेत्रीय विधायक तथा जिलाधिकारी ने अक्तूबर, 1971 से जून, 1972 से कई बार सूचित किया है? यदि हां, तो वन विभाग द्वारा उक्त पेड़ों को न कटवाने का क्या कारण है क्या यह सही है कि उक्त पेड़ों के न कटने से रोलर से मिट्टी की दबाई तथा ईंटों की रोलिंग नहीं की जा सकी जिससे इस बरसात में उक्त सड़क पर डाली गई मिट्टी बह गई और लाखों रुपयों की शासन को हानि उठानी पड़ी? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है और उक्त पेड़ कटवाने की क्या व्यवस्था की गई?

वन तथा पर्यटन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

उत्तर संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 518 पर)

नैनीताल की शिकायती भूमि का निराकरण आदेश

*12—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल के पत्र संख्या 5178/4-1(1), दिनांक 21 मार्च, 1972 द्वारा जिस भूमि को घेरने की शिकायत पर निराकरण का आदेश उप अरण्यपाल, रामनगर बन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) को दिया गया था, इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, नैनीताल के पत्र सं० 5178/4-1 (आर), दिनांक 21-3-72 द्वारा जिस भूमि के संबंध में जांच का आदेश उप अरण्यपाल, रामनगर बन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) को दिया गया था, उस पर उप अरण्यपाल ने आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपने पत्र सं० 4151/25-1, दिनांक 28-6-72 द्वारा श्री बाला दत्त सुयाल को सूचित कर दिया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में वे न्यायालय द्वारा निर्णय करा लें।

धौन्तरी–सेम (उत्तरकाशी) मार्ग

*13—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी में वन विभाग की ओर से कोई मार्ग धौन्तरी से सेम तक निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ? क्या इस मार्ग के निर्माण से जिन जमीनों या फसल को क्षति पहुंची है उसका मुआवजा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला उत्तरकाशी में वन विभाग की ओर से धौन्तरी से सेम तक एक मोटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। इसका निर्माण वित्तीय वर्ष 1971–72 में प्रारम्भ किया गया था और उसी वर्ष सम्पूर्ण भी किया गया। इस मार्ग के निर्माण में विलीन एवं क्षतिग्रस्त हुई फसल एवं भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी भूमि के स्वामित्व एवं मूल्य का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा होना था जो अभी नहीं हो पाया है।

पर्वती जिलों में चकबन्दी योजना

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वा)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में चकबन्दी करने की योजना पर विचार किया गया है या विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से वहां पर चकबन्दी का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रदेश के पर्वतीय जिलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और चकबन्दी योजना के विस्तार किए जाने की सम्भावना पर विचार करने हेतु जिला देहरादून के तीन ग्रामों में प्रयोगात्मक ढंग से परीक्षण भी किया जा रहा है। इन ग्रामों से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही पर्वतीय जिलों में योजना के विस्तार के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

फर्रुखाबाद जिले के निलम्बित अमीन

*15—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माल मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले के कुछ अमीनों को सन् 1968 में निलम्बित किया गया था और उन्हें अब तक चार्ज शीट नहीं दी गई, न उनका बकाया वेतन ही दिया गया? यदि हां, तो वह कौन-कौन अमीन हैं और किस तिथि को निलम्बित किये गये थे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राजस्व विभाग के अधीन कोई ऐसा अमीन नहीं है।

*16—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

केन्द्रीय कर्मचारियों से प्राप्त धन का प्रतिशत कोषागार में जमा किया जाना

*17—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतयेगी कि लखनऊ के सिविल सर्जन ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से 385 नं० रसीद पर जो रुपया पिछले पांच वर्ष में पाया उसका 25 प्रतिशत रुपया कोषागार में जमा कर दिया? यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। रु० 2,525.00 जमा किया।

बलवा सम्बन्धित मुकदमा सरकार बनाम मोहम्मद अली खां (मुरादाबाद)

*18—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कोई मुकदमा ईदगाह, मुरादाबाद पर बलवा होने के सिलसिले में सरकार बनाम मोहम्मद अली खां वगैरा अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद में नवम्बर, 1968 से चल रहा है? यदि हां, तो इसके निर्णय में इतना समय लगने तथा पुलिस की ओर से अब तक शहादत न पेश किये जाने के क्या कारण हैं? सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

बलिया जिले में जमींदारी उन्मूलन

*19—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया शहरी क्षेत्र टाउन एरिया सिकन्दरपुर, मनियर और सहतवार में जमींदारी उन्मूलन कब किया गया तथा वहां के जमींदरों को प्रतिकर बाण्ड अब तक कितना दिया जा चुका है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इन तीनों टाउन एरिया में जमींदरी उन्मूलन 1 जुलाई, 1964 को हुआ था। भूतपूर्व जमींदारों को अब तक कोई प्रतिकर बांडों में नहीं दिया गया है।

*20–21—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

(10वें मंगलवार के लिये प्र० सं० 5–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बलिया जिले के गैर-आबादी क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन

*22—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में स्थित टाउन एरिया सिकन्दरपुर, मनियर और बांसडीह के गैर आबादी क्षेत्र का जमींदारी उन्मूलन हो चुका है? यदि हां, तो कब तथा जमींदारों को मुआवजे का बाण्ड कब दिया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इन तीनों टाउन एरिया जमींदारी उन्मूलन 1 जुलाई, 1964 को हुआ था। भूतपूर्व जमींदारों को अब तक कोई प्रतिकर बांडों में नहीं दिया गया है।

कुमाऊं तथा उत्तराखण्ड के ग्रामीणों को भूमिधरी अधिकार से लाभान्वित करने की मांग

*23—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं तथा उत्तराखंड के ग्रामीण आदि अंचलों में रहने वाले अनुसूचित जाति में से शिल्पकार जति के व्यक्तियों को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियमों के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकार से लाभान्वित कराने के लिये कोई अनुदान के रूप में उस भूमि का निर्धारित लगान के 20 गुने देय धनराशि की व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी मण्डल चार बिसवां (सीतापुर) के विरुद्ध शिकायतें

*24—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी मन्डल 4 उत्तरी बिसवां, जिला सीतापुर के विरुद्ध भरसड़ा व अन्य कई गांवों के किसानों ने राजस्व विभाग के मन्त्री, राज्य मन्त्री व उप मन्त्री को एक शिकायती-पत्र दिया था जिसमें जिले के लगभग सभी विधायकों ने जांच हेतु संस्तुति की थी तथा जिसके आधार पर उप संचालक दिनांक 23 जुलाई, 1971 को सम्बोधित -पत्र में की गई शिकायतों की जांच हेतु गये थे? यदि हां, तो कौन-कौन शिकायतें थीं और क्या जांच रिपोर्ट मन्त्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध राजस्व विभाग के मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा उप मन्त्री के पास तो नहीं, परन्तु उप मन्त्री जी परिवहन विभाग के पास कतिपय विधायकों तथा एक संसद सदस्य व उप मुख्य सचेतक मंण्डल की संस्तुति सहित एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी, ने दिनांक 23-7-1971 को प्रारम्भ की थी। परन्तु उनके स्थानन्तरित हो जाने के कारण जांच दूसरे उप संचालक द्वारा की गई।

2—सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें थीं :—

(1) छोटे किसानों के भी 2 चक बनाये गये हैं, जबकि 80 प्रतिशत एक चक दिये जाने के आदेश शासन से है।

(2) चक आबंटन के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कुछ की आपत्तियां लेने से इंकार कर दिया गया और उन्होंने अपना प्रतिवेदन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया है।

(3) कुछ कृपा पात्र किसानों की सारी भूमि एक जगह एकत्र कर दी गई है। यहां तक कि किन्हीं ट्यूब वेल वालों के कई चक और कुछ को एक ही जगह भूमि दे दी गई है, जो भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का ज्वलन्त उदाहरण है।

3—उप संचालक चकबन्दी द्वारा जांच करने पर विदित हुआ कि काश्तकार अपने चकों से सन्तुष्ट हैं और उन्होंने कहा कि चकों को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव की सभी आपत्तियों, अपीलों व निगरानियों का निस्तारण हो चुका है। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 519 पर)

सगड़ी, आजमगढ़ में हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*25—श्री दर्लासगार (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी के ग्राम फरेंदा बस्ती, डेउड़ा, दामोदरपुर, जल्लूपुर गौरी नारायणपुर, गद्दीपुर, औंठी, बलाई, के हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र आबादी तथा चकरोड व नाली आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़, बन्दोबस्त अधिकारी, सगड़ी, डी० डी० सी, सगड़ी के पास दिनांक 1 जून, 1972 में भेजा है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम जमीन फरेंदा तथा डेउड़ा दामोदरपुर के हरिजनों के प्रार्थना-पत्र क्रमशः दिनांक 3 जून, 1972 तथा 5 जून, 1972 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुए ह जिनमें यह कहा

गया है कि हरिजनों की आबादी के लिये पर्याप्त भूमि नहीं सुरक्षित की गयी है। अन्य ग्रामों के हरिजनों से प्रश्नगत अवधि में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच के उपरान्त विदित हुआ कि ग्रामों में हरिजन आबादी के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त भूमि आरक्षित की गयी है। इन ग्रामों में आवश्यकतानुसार चक रोड व नालियों की व्यवस्था भी की गयी है।

*26—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद प्रतापगढ़ में तकावी आदि का वितरण

श्री त्रिलोक चन्द—

*27—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971 ई० में अति वृष्टि के कारण जनपद प्रतापगढ़ में कितना-कितना धन गृह निर्माण व मरम्मत हेतु तथा तकावी के रूप में सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था प्रत्येक तहसीलदार द्वारा कितना-कितना धन विभिन्न मदों में वितरित किया गया और कितना धन वापस कर दिया और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गृह निर्माण अनुदान के लिये 10,20,000 रुपये, गैर खेतिहरों को गृह निर्माण ऋण देने के लिये दो लाख रुपये तथा तकावी के लिये 19,15,000 रुपये शासन द्वारा प्रतापगढ़ जिले को वर्ष 1971–72 में आवंटित किया गया था। पीड़ितों को विभिन्न मदों में वितरित धनराशि का तहसीलदार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" मे दिया गया है। द्वितीय वर्ष समाप्त होने तक गृह-निर्माण अनुदान के मद का 4,69,940 रु० वितरित न हो सकने के कारण शासन को वापस कर दिया गया।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 520 पर)

*28—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[निरस्त]

*29—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल तथा श्री राम प्यारे—

[निरस्त]

भूमापन एवं अभिलेख क्रिया, कार्यालय, गोरखपुर के कार्य का विवरण

*30—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर कमिश्नरी के मुख्यालय गोरखपुर में कोई बन्दोबस्त कार्यालय आज लगभग दो वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो तहसील सदर के कितने गांव का बन्दोबस्त सम्बन्धित कार्यालय द्वारा कर दिया गया एवं कितने गांव का विवाद जिलाधिकारी, गोरखपुर देखने के हेतु प्रेषित है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बन्दोबस्त कार्यालय नहीं बल्कि-भूमापन एवं अभिलेख क्रिया कार्यालय लगभग दो वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा है। तहसीलदार, गोरखपुर के 99 गांवों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है और जिलाधिकारी के देखने हेतु 36 ग्रामों के विवाद विचाराधीन हैं।

माजरा (देहरादून) की सार्वजनिक भूमि

*31—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून स्थित ग्राम माजरा की सार्वजनिक भूमि प्लाट संख्या 35 व 556 पर खन्ड विकास अधिकारी, गढ़विला, जिला देहरादून ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या ग्रामवासियों के बार-बार प्रतिवेदन करने पर भी सरकार उपरोक्त अधिकारी से उपरोक्त भूमि खन्डों को मुक्त करा पाई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उचित नारायण शर्मा—

जिला देहरादून में गढ़ेविला नाम का कोई विकास खन्ड नहीं है। सदस्य महोदय का उद्देश्य सम्भवतः विकास खंड डोईवाला से है जिसके क्षेत्र में स्थित माजरा ग्राम की सार्वजनिक भूमि संख्या 350 गांव सभा के नाम अंकित है। प्लाट संख्या 556/2 श्री राज बहादुर भट-नागर विकास खंड अधिकारी, डोईवाला के नाम अंकित है। यह भूमि इनके नाम गांव सभा की भूमि से परिवर्तन द्वारा आई है। जिस आदेश द्वारा इनका नाम कागजों में प्लाट संख्या 350 में आया जिसके परिवर्तन में इनको 556/2 भूमि मिली उसके औचित्य के बारे में छान बीन की जा रही है।

फैजाबाद, वाराणसी व लखनऊ मण्डल के सेवा मुक्त परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता

*32—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद व वाराणसी व लखनऊ मन्डल में जिलेवार अलग-अलग कितने-कितने परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता वित्तीय वर्ष 1971—72 के प्रारम्भ से 31 जुलाई, 1972 तक सेवा मुक्त किये गये और क्यों ?

श्री बसंतराम बेदी—

सूचना संलग्न है।

[देखिये नत्थी "ब" आगे पृष्ठ 521 पर]

*33—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

*34—35—श्री शमीम आलम—

[4थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 34—35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पड़रौना (देवरिया) के नेत्र पुरुष व खेतान महिला चिकित्सालयों के मेडिकल आफिसरों के विरुद्ध शिकायत तथा स्थानान्तरण

*36—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि देवरिया जनपद के नेत्र पुरुष चिकित्सालय पडरौना के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज श्री डा० एम० पी० शुक्ल और खेतान महिला चिकित्सालय पडरौना की मेडिकल आफिसर इन्चार्ज श्रीमती डा० मोहेन्द्रा के विरुद्ध जनवरी, 1971 से मार्च, 1972 तक कई गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित जनता एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा शिकायती-पत्र जनपद सत्यक, देवरिया एवं राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्य-वाही की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां । शिकायत की जांच सिविल सर्जन, देवरिया से कराई गई किन्तु शिकायतों की पुष्टि नहीं हो सकी ।

*37—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त खेतान महिला चिकित्सालय की मेडिकल आफिसर श्रीमती डा० एस० मोहेन्द्रा उसी चिकित्सालय में लगभग दस वर्ष से अधिक अवधि से नियुक्त हैं, यदि हां, तो कब से और क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित डाक्टर का तत्काल स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं । डा० (श्रीमती) एस० मोहिन्द्रा, खेतान महिला चिकित्सालय में 26 मई, 1968 से तैनात हैं । डा० (श्रीमती) मोहिन्द्रा सेवा-वृद्धि पर चल रही हैं अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट वर्क योजना

*38—श्री सजीवन लाल यादव (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उन्नाव जिले में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जनता को राहत पंहुचाने के लिये सरकार की ओर से कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं क्या यह सही है कि प्रभावित क्षेत्रों में भूमिहीन खेत मजदूरों को काम देने के निमित्त टेस्ट वर्क चालू करने की योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यदि नही, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण—

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जनता को राहत पंहुचाने के लिये आबकारी, बिक्री-कर तथा उद्योग ऋण को छोड़कर एकीकृत संग योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है एवं तकावी वितरण तथा सस्ते गल्ले की दुकानों की व्यवस्था की गई है । भूमि हीन श्रमिकों को काम देने के लिये त्वरित योजना के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त टेस्ट वर्क के द्वारा सिंचाई की गुल का निर्माण तथा जिला परिषद् की सड़कों का निर्माण कराने की योजना है । इसके अतिरिक्त लिंक रोड की मिट्टी का कार्य भी टेस्ट वर्क के फंड से कराने के लिये धन का आवंटन कर दिया गया है ।

पर्यवेक्षक कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पद का विलीनीकरण

*39—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्व विभाग में पर्यवेक्षक कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पद के विलीनीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जा सकेगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पर्यवेक्षक कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पदों के विलीनीकरण के प्रस्ताव को शासन ने विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है ।

विधूना (इटावा) में महिला चिकित्सालय खुलवाने की योजना

*40—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि विधूना कस्बा जिला इटावा में महिला चिकित्सालय खुलवाने के लिये सरकार की कोई योजना है यदि हां तो इसके कब तक खुल जाने की उम्मीद है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 200 ग्रामीण अस्पताल खोलने की योजना है। विधूना में जनाना अस्पताल खोलने का प्रस्ताव उसी योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। यदि विधूना में अस्पताल खोलना उपर्युक्त समझा गया तो इस वित्तीय वर्ष में वह खुल जायगा।

तहसील गोरखपुर में वितरित तकावी

*41—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी तकावी घर एवं बैल पर जनवरी, 1971 से मई, 1972 तक दी गई है? क्या यह भी सत्य है कि कुछ लोगों को कई बार तकावी दी गई है? यदि हां, तो क्या शासन इस बात की जांच कर के जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित तकावी घर एवं बैल हेतु जनवरी, 1971 से मई, 1972 तक दी गई:—

क्षेत्र	तकावी घर	तकावी बैल
	रु०	रु०
1—सहजनवां	1,00,500	2,10,400
2—गोरखपुर	3,24,500	40,500
3—मानीराम	80,200	33,800
4—मंगहा	59,400	69,000
5—कौड़ीराम	67,000	69,200
6—पिपराईच	6,000	6,600
योग ..	6,37,600	4,29,500

कुछ लोगों को दोबारा तकावी दी गई है जिसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट के लिपिक श्री त्रिभुवन नाथ की आत्म-हत्या

*42—श्री रूपनाथ सिंह यादव तथा श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, प्रतापगढ़, आयुक्त फैजाबाद मंडल, राजस्व परिषद् एवं शासन से यह शिकायत कर रहा है कि दिनांक 27 अगस्त, 1972 तक निलम्बित किये गये कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ़ के लिपिक श्री त्रिभुवन नाथ के मामले की जांच रिपोर्ट परगना अधिकारी, पट्टी द्वारा शासनादेश सं० 305/11-बी-1953, दिनांक 30 जनवरी, 1953 द्वारा निर्धारित समय में जिलाधिकारी को प्रेषित न होने पर क्षुब्ध होकर श्री त्रिभुवन नाथ ने दिनांक 27 सितम्बर, 1971 को सई नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली? यदि हां, तो इस मामले में क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। श्री त्रिभुवन नाथ ने 27 सितम्बर, 1971 को सई नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली यह तथ्य भी सही है। यह भी सही है कि यह निलम्बित हुये थे और उससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट भेजने में परगनाधिकारी, पट्टी से बिलम्ब हुआ। घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि जिससे इन दोनों बातों को कार्य और कारण के रूप में सम्बन्धित किया जा सकता है। जांच के समय कुछ और भी तथ्य ऐसे प्रकाश में आये हैं जो भी इस आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। घटना की गम्भीरता को देखते हुये इसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा इसकी विशेष जांच करने के आदेश अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को देकर उनसे चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। बिलम्ब से रिपोर्ट देने के कारण फिलहाल सम्बन्धित अधिकारी को कड़ी चेतावनी दे दी गई है।

गोरखपुर के न्यायालयों की गायब फाइलें

*43—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में दिनांक 20 अक्तूबर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 तक उप संचालक चकबन्दी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में कितने विचाराधीन मुकदमें की फाइलें गायब हो गई हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि के भीतर गोरखपुर जिले में कुल 45 विचाराधीन मुकदमों की पत्रावलियां उप संचालक चकबन्दी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय से गायब होने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। इनमें से 53 विचाराधीन मुकदमों की पत्रावलियां उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय से गायब किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच समाप्त होने के फलस्वरूप श्री दीन दयाल गर्ग, लिपिक दंडित किये जा चुके हैं तथा श्री रूप नरायण लाल अस्थाना, ज्येष्ठ लिपिक को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय की एक विचाराधीन मुकदमें की पत्रावली गायब किये जाने के अपराध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नारी-बारी (इलाहाबाद) का तथाकथित होम्योपैथिक चिकित्सालय

*44—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष इलाहाबाद जिले के नारी-बारी ग्राम सभा तथा बाजार के लिये जो एक होमियोपैथिक चिकित्सालय सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था वह वहां पर क्यों नहीं आज तक स्थापित हुआ ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

गत वर्ष कोई होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत नहीं हुआ।

*45—श्री सर्व सुख सिंह—

क्या सरकार को यह भी सूचना है कि उपर्युक्त चिकित्सालय का सारा सामान नारी-बारी से लगभग एक मील पूर्व किसी व्यक्ति के घर में अस्त-व्यस्त रूप में पड़ा है और उसके द्वारा जनता की कोई सेवा नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रश्न नहीं जठता।

पूर्वी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों को आवास सुविधा

*46—श्री बलसिंगार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में विशेषकर गोन्डा, बहराइच में कितने ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां पर कर्मचारियों को रहने की सुविधा प्रदान की गई है, जिनको नहीं दी गई ? क्या उनको किराया दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

चकबन्दी आयुक्त, कैम्प देवरिया को प्रेषित शिकायती-पत्र

*47—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश कैम्प, देवरिया को विधायक एवं जन प्रतिनिधियों का एक शिकायती-पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1972 को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें थी तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । कथित दिनांक को एक शिकायती-पत्र चकबन्दी आयुक्त (कैम्प देवरिया) को विधायक एवं जन प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था । उपरोक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 522–523 पर)

विकास खण्ड मझवा (मिर्जापुर) के हरिजनों की शिकायत

*48—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुरके विकास खंड मझवा के हरिजनों द्वारा माह अगस्त, व सितम्बर, 1972 में उच्च वर्ग द्वारा उनकी आबादी अपने चक में मिलाने व उनका मकान गिराने का शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उच्च वर्ग द्वारा हरिजनों की आबादी चकों में मिलाने तथा उनके मकानों के गिराने के सम्बन्ध में शासन को विकास खंड मझवा के हरिजनों का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये इस पर किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं जठता है ।

पूरे बेलखरिया (सुल्तानपुर) के निवासियों की शिकायतें

*49—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय) तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या बन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राम बचन यादव, एम० एल० ए० तथा श्री राम निहोर राय, एम०एल०ए० के पत्र के साथ ग्राम पूरे बेलखरिया, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का पत्र माह सितम्बर, 1972 में प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत थी कि उक्त ग्राम में कुछ लोगों ने तमाम हरे वृक्षों को बिना परमिट के ही काट दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां । मामले की छानबीन की जा रही है ।

फतेहपुर चिकित्सालय के डा० एस० सी० मिश्र का स्थानान्तरण

*50—श्री उमाकान्त बाजपेई (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर के चिकित्मालय में डा० एस० सी० मिश्र को कार्य करते हुए 6 वर्ष से अधिक हो गये तथा दो-दो बार जनता की शिकायत पर स्थानान्तरण भी हुआ ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण फिर क्यों रोक दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

डा० एस० सी० मिश्र फतेहपुर में 9 अगस्त, 1967 से तैनात हैं। उनके अन्यत्र स्थानान्तरण पर भूतकाल में विचार किया गया था परन्तु उनकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण अनुकम्पा के आधार पर तबादला रोक दिया गया ।

मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) के लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*51—श्री राम निहोर राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना तहसील में ऐसे कितने लेखपाल हैं जिसके विरुद्ध जनवरी, 1971 से अगस्त, 1972 तक भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायत प्राप्त हुई और उन शिकायतों पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

केवल एक लेखपाल के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत इस अवधि के दौरान प्राप्त हुई । सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर उसके विरुद्ध आरोप की जांच की गई और आरोप निराधार पाया जाने पर सेवा में बहाल कर दिया गया। आवश्यक कार्यवाही हो चुकने के कारण प्रश्न का अन्तिम भाग उत्पन्न नहीं होता ।

गोरखपुर जिले में सूखे से क्षति

*52—श्रीमती मसाली देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के महराजगंज, फरेन्दा, बांसगांव और सदर तहसील में सूखे से हुई क्षति कितनी है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

महराजगंज, फरेंदा, बांसगांव तथा सदर तहसीलों में सूखे से फसलों को हुई क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 7,42,76,300 रुपये है। शासन की ओर से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता दी गई और आपदा एवं बीज व खाद तकावी का वितरण किया गया। विभिन्न स्थानों पर टेस्ट वर्क्स चलाये जा रहे हैं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाई गई हैं।

तिडपिडि व ढोलनपुर (बिजनौर) की सीलिंग की जमीन

*53—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिडपिडि व ढोलनपुर, परगना वाष्टा, तहसील व जिला बिजनौर से जो सीलिंग की जमीनें काश्तकारों को पट्टों पर उठाई गई थी उन जमीनों पर विभाग ने दखल ले लिया है ? यदि हां, तो क्या दखल के समय उन जमीनों में कोई फसल भी खड़ी थी ? यदि हां, तो उन फसलों के कोई तखमीने आदि बनवा कर नीलाम की कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो उन फसलों का क्या हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। दखल के समय ग्राम ढोलनपुर में कोई फसल नहीं थी तथा ग्राम तिरपुड़ी (ग्राम तिडपिडि नहीं जैसा प्रश्न में है) के कुछ क्षेत्र में रबी की फसल खड़ी थी, फसलों का तखमीना गिरदावर कानूनगो द्वारा लिखा गया था। परन्तु फसलें जमीन के भूतपूर्व पट्टेदारों ने काट ली क्योंकि उन्होंने दखल के स्थगन आदेश सिविल जज के न्यायालय से प्राप्त कर लिया था।

सैदपुर (बदायूं) में महिला चिकित्सालय की मांग

*54—श्री मोहम्मद असरार (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया सैदपुर, जिला बदायूं में सरकारी महिला चिकित्सालय खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है? यदि हां, तो उसका पालन कब होगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं।

राजस्व में संग्रह विभाग के लिपिकों का स्थायीकरण

*55—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के संग्रह विभाग में कितने अस्थाई लिपिक है जो दस वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं? क्या सरकार विचार करके इन अस्थाई लिपिक को स्थायी करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रदेश के सभी जिलों में 204 ऐसे अस्थायी लिपिक हैं। इनको स्थाई करने के लिये पहले से ही यह सुविधा मौजूद है कि ये लोग कलेक्ट्रेट में पेड-अपरेन्टिसों की परीक्षा में बैठें। उसे पास करने पर उनका नाम स्थाई पदों पर नियुक्ति के लिये सूची 'बी' में रख लिया जाता है तथा स्थायी रिक्तियां होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाता है।

घोसी (आजमगढ़) मे घाघरा नदी के कटाव-पीड़ितों की सहायता

*56—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के अन्तर्गत भीषण बाढ़ एवं कटाव के फलस्वरूप वर्ष 1970–71 एवं 1971–72 में किन-किन गांवों में किन-किन किसानों की भूमि कट गई है और क्या उन कटाव-पीड़ित किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता अथवा पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1970–71 में 149 किसानों की जमीन कटी और 1971–72 में 32 किसानों की। ऐसे किसानों की सूची संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गयी है। कटान-पीड़ित किसानों को गृह-निर्माण अनुदान आपदा तकावी गृह-निर्माण तकावी एवं बीज तकावी के रूप में सहायता वितरित की गयी। जिनके मकान कटे थे, उन्हें बसाने के लिये ग्राम रसूलपुर, इनामुद्दीनपुर तथा मोलनापुर में भूमि अधिगृहीत की गई है।

(नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 524–528 पर)

फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के छात्रों का शिक्षा शुल्क

*57—श्री मरहम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् 1971 की बाढ़ के कारण फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के ऐसे भी कुछ जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त हैं जिनके छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने के लिये धन की स्वीकृति होने के बाद धन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन विद्यालय ऐसे हैं और उनको कितना-कितना धन मिलना था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मामलों के आवश्यक व्यवस्था कर धन दिलवायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

फर्रुखाबाद जिले में सन् 1971 की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र का ऐसा भी कोई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिसके छात्रों को शिक्षा शुल्क से मुक्ति हेतु धन स्वीकृत किया गया परन्तु स्वीकृत धन उसे दिया नहीं गया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

मेडिकल अफसर, उतरौला (गोंडा) के विरुद्ध शिकायत

*58—श्री श्रीराम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-8-72 को मेडिकल अफसर, उतरौला, जिला गोण्डा के विरुद्ध जनता का जो प्रतिवेदन जिले के सात विधायकों के शिकायत के साथ उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई थी उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मेडिकल आफिसर का स्थानान्तरण कर दिया गया है और शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

नजारत विभाग एवं कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

*59—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील के नजारत विभाग में तथा कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में वर्ष 1970-71 एवं 1971-72 में अलग-अलग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल कितनी भर्ती की गई और उनमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या व प्रतिशत क्या है क्या उक्त भर्ती में जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा 1970 के स्वीकृत सूची के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है तथा इसका उत्तरदायी कौन है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कलेक्ट्रेट नजारत में वर्ष 1970-71 में रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1051 (ए) के अन्तर्गत बनाई गई उम्मीदवारों की सूची का एक वरिष्ठतम अभ्यर्थी नियमानुसार स्थाई किया गया जो अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी नहीं है।

जिला की समस्त तहसीलों में वर्ष 1970-71 में (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की) कोई स्थाई नियुक्ति नहीं की गई।

वर्ष 1971-72 में न तो कलेक्ट्रेट नजारत में न किसी तहसील की नजारत में कोई स्थाई नियुक्ति की गई।

वर्ष 1970 में कोई अलग से सूची स्वीकृत नहीं हुई है बल्कि सन 1970 में अभ्यर्थियों की संख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत को पूरा करने के लिये अनुसूचित जातियों के नये अभ्यर्थियों का नाम सूची बद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला की नजारत में और तहसीलों के स्थाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश आदि के कारण निम्नलिखित संख्या में स्थानापन्न नियुक्तियां की गई हैं—

कार्यालय	समस्त रिक्त स्थान अवकाश आदि से	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की स्थानापन्न नियुक्ति	प्रतिशत	अन्य जाति	प्रतिशत
		वर्ष 1970–71			
समस्त तहसील	152	21	13.8	131	86.2
कलेक्ट्रेट	25	6	24	19	76.00
		वर्ष 1971–72			
समस्त तहसील	164	32	19.5	132	80.5
कलेक्ट्रेट	19	5	26.5	14	73.7

स्थानापन्न नियुक्तियां करते समय अभ्यर्थी सूची के अभ्यर्थियों के वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है परन्तु अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के स्थानापन्न नियुक्तियों में वरीयता दी गई है। फलस्वरुप अन्य जाति के वरिष्ठतम अभ्यर्थियों के मुकाबले में अनुसूचित जाति का कनिष्ठ अभ्यर्थी नियुक्त हुआ है। अतः स्वीकृत सूची में से भर्ती न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हापुड़ में न्यायालय की मांग

*60—श्री लक्ष्मण स्वरुप (जिला मेरठ)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण है जिनकी वजह से हापुड़ के न्यायालय हापुड़ में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं जबकि उच्च न्यायालय की पूरी सहमति हापुड़ में न्यायलय स्थापित करने के लिये हो चुकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

न्यायालयों के लिए कोर्ट–रूम तथा कार्यालय-भवन, तथा उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था अभी न होने के कारण न्यायालय हापुड़ में सृजित नहीं किये जा सके हैं।

*61—श्री लक्ष्मण स्वरूप—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्र० सं० 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*62—श्री बिहारी लाल दोहरे—

[अस्पष्ट होने के कारण निरस्त]

पब्लिक हेल्थ सेण्टर चिकित्सालय सैदपुर (बदायूं) फेमिली प्लानिंग सेन्टर सम्बन्धी निर्माण-कार्य

*63—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक हेल्थ सेण्टर चिकित्सालय सैदपुर जिला बदायूं में फेमिली प्लानिंग सेन्टर के संबंध में निर्माण कार्य के लिये लगभग 73 हजार रुपये की

धनराशि वित्तीय वर्ष 1971–72 में खर्च करने के लिये पड़ी थी परन्तु उसको व्यय करने के लिये शासन द्वारा न तो अनुमति दी गई और न कोई कार्य हुआ यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या यह रुपया वित्तीय वर्ष 1972–73 में खर्च होगा तथा यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता 27–10–72 को राज्य मंत्री को लिखित पत्र द्वारा ध्यान दिलाया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, शासन की अनुमति थी परन्तु निर्माण-कार्य नहीं हुआ । इसका मुख्य कारण यह था कि परिवार नियोजन केन्द्रों के भवन निर्माण पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है परन्तु भूमि की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है । तदनुसार उक्त भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिये टाउन एरिया कमेटी सैदपुर से अनुरोध किया गया था, किन्तु टाउन एरिया कमेटी सैदपुर ने वर्ष 1971–72 में निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित नहीं किया । उक्त टाउन एरिया कमेटी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव वर्ष 1972–73 में 5 मई, 1972 को इस विभाग को प्राप्त हुआ । तदोपरान्त भूमि प्राप्त करके सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता को 16 मई, 1972 को हस्तान्तरित कर दी गई और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यह सम्भावना है कि निर्माण-कार्य इसी वित्तीय वर्ष 1972–73 में पूरा हो जायगा ।

जी हां, प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 27–10–71 मिला था जिसक उपरान्त अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, सैदपुर से पत्र द्वारा तथा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करके उक्त भवन निर्माण हेतु भूमि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया ।

कुमारगंज—खंडासा (फैजाबाद) सड़क के मजदूरों की मजदूरी

*64—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र खंड़ासा, जिला फैजाबाद में कुमार गंज में खंड़ासा तक की कच्ची सड़क को विकास क्षेत्र अधिकारी द्वारा वर्ष 1972 में टेस्ट वर्क से निर्माण कराने के आदेश दिए गए थे (जिसका कार्य चालू है) क्या यह सच है कि उपरोक्त निर्माण कार्य के मजदूरों को निर्धारित मजदूरी स्थानीय विकास अधिकारी द्वारा समय पर नहीं दी जा रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं, प्रश्नगत सड़क का निर्माण टेस्ट वर्क द्वारा नहीं कराया जा रहा है । अतः टेस्ट वर्क पर मजदूरी समय से न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*65—श्री जयराम यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़—इलाहाबाद के बीच गंगा नदी की सीमा निर्धारण

*66—श्री जयराम यादव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद के बीच गंगा नदी की धारा की वर्तमान सीमा को बदल कर नई सीमा निर्धारण हेतु भू-राजस्व परिषद के दिनांक 16–8–71 व 12–10–71 को संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन ने 16 अगस्त, 1971 को राजस्व परिषद को यह आदेश भेजे कि जिन जिलों की राजस्व सीमा नदी की धूरधारा के अनुसार परिवर्तनशील है, और पूरे तौर से प्रदेश के अन्दर ही पड़ती है, उनके बीच स्थायी सीमा निर्धारित करने के लिये प्रस्ताव भेजे। इन आदेशों की प्रतिलिपियां संबंधित जिलाधिकारियों तथा आयुक्तों को भी भेजी गई। ऐसे जिलों में इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ भी शामिल है। दिनांक 12 अक्टूबर, 1971 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की पृच्छा पर इन आदेशों के स्पष्टीकरण के विषय में शासन द्वारा पत्र भेजा गया।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ ने संयुक्त बैठक करके तथा पिछले 100 वर्षों में गंगा की धारा में परिवर्तन का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट आयुक्त को भेजी एवं आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत कर दी है। परिषद की संस्तुति भी शासन को प्राप्त हो गयी है। किन्तु अभी यह पूरा का पूरा मामला शासन के विचाराधीन है।

*67—श्री हरिनाथ तिवारी—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

करमी (आजमगढ़) के आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन निर्माण

*68—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत ग्राम करमी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के निमित्त सरकार ने 1971–72 में कितनी धनराशि स्वीकृत की थी, कितनी धनराशि का भुगतान हो चुका है और शेष धनराशि के भुगतान न होने का कारण क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

छः हजार रुपये।

चार हजार रुपये का।

शेष दो हजार रुपये का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवन का निरीक्षण कराने के पश्चात् किया जायगा।

गधियावा व सदहा (प्रतापगढ़) के काश्तकारों का शिकायती-पत्र

*69—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ ग्राम गंधियावां व सदहा, तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र माह अक्टूबर, 1972 में प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत थी कि वहां के ए0 सी9 ओ0 ने रिश्वत लेकर गलत चकबन्दी की तथा उसमें चकबन्दी कैंसिल करके पुनः चकबन्दी कराने की मांग थी ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

चूंकि शिकायतों की जांच कराने पर आरोप सत्य नहीं पाये गये है, अतः इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

मिर्जापुर के सर्वाइलेन्स इन्सपेक्टर (मलेरिया) के स्थानान्तरण

*70—श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में कितने स्थानीय निवासी सर्वाइलेन्स इन्सपेक्टर (मलेरिया) दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत ह ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मिर्जापुर जनपद में 9 सर्वाइलेन्स इन्सपेक्टर (मलेरिया) स्थानीय निवासी हैं, जो दस वर्षों से अधिक समय से वहां कार्यरत हैं। फिलहाल इनका स्थानान्तरण करने का विचार नहीं है।

आगरा के बाढ़ पीड़ितों को रबी का बीज ऊंचे भाव से दिया जाना

*71—श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा) तथा श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जनपद से बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को रबी का बीज तकावी के रूप में बाजार भाव से बहुत ऊंचे भाव पर दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो क्या सरकार तकावी के रूप में दिये गये बीज का भाव और उन्हीं महीनों में उन वस्तुओं के बीज का बाजार भाव का विवरण प्रस्तुत करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, तकावी के रूप में दिये जाने वाले बीज का मूल्य बाजार भाव से अधिक है। ये बीज राजकीय बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों में पैदा किये जाते हैं। इनका उत्पादन व्यय निम्न कारणों से अधिक आता, है अतः उनका मूल्य भी कुछ अधिक रखना पड़ा :—

(1) आधारी बीज का प्रयोग तथा रोगों से बचाव पर अतिरिक्त व्यय होना,
(2) ग्रेडिंग, क्लीनिंग तथा बीजोपचार पर अतिरिक्त व्यय होना,
(3) पैकिंग व्यय, तथा
(4) परिवहन।

फिर भी राष्ट्रीय बीज निगम तथा तराई विकास निगम की बिक्री दर की तुलना में तकावी वाले बीजों का दाम काफी कम हैं। तुलनात्मक विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 529 पर)

बदायूं के बिसौली तथा इस्लामनगर स्त्री चिकित्सालयों में लेडी डाक्टर की नियुक्ति

*72—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्त्री चिकित्सालय बिसौली तथा स्त्री चिकित्सालय इस्लामनगर जनपद बदायूं में पिछले कितने वर्षों से कोई भी लेडी डाक्टर नियुक्त नहीं की गई? और इसका कब तक प्रबन्ध कर दिया जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

महिला चिकित्सालय बिसौली में 1 मई, 1968 से तथा महिला चिकित्सालय इस्लामनगर जिला बदायूं में 11 जुलाई, 1964 से कोई महिला चिकित्सक कार्य नहीं कर रही है। महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर तैनाती की जायगी।

संग्रह विभाग, बहराइच के अस्थायी लिपिक

*73—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संग्रह विभाग के अस्थायी लिपिक जिला बहराइच में कितने हैं? क्या उनका मर्जर हो जाने के बाद भी जिला बहराइच के कलेक्ट्रेट कार्यालय के पदों पर कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जिला बहराइच में संग्रह अधिष्ठान के 9 अस्थायी लिपिक हैं। मर्जर हो जाने के पश्चात् संग्रह विभाग के लिपिक पद भी कलेक्ट्रेट कैडर में हो गये। अतः यह सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट कैडर के पदों पर ही अस्थायी रुप से कार्य कर रहे हैं।

कैराना पब्लिक हेल्थ सेन्टर (मुजफ्फरनगर) का प्रान्तीयकरण

*74--श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार को मालूम है कि मुजफ्फरनगर जनपद के कैराना पब्लिक हेल्थ सेन्टर के प्रान्तीयकरण के कागजात जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के बाद सरकार में आये हैं? यदि हां, तो सरकार इस पब्लिक हेल्थ सेन्टर का प्रान्तीयकरण करने की कार्यवाही कब तक करने जा रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। कार्यवाई आरम्भ कर दी गई है तथा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

*75--श्री नारायण दास--

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

बहरावती (आगरा) के राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर की नियुक्ति में विलम्ब

*76--श्री रघुनाथ सिंह (जिला आगरा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 15 अगस्त सन् 1972 ई0 से राजाज्ञा द्वारा ग्राम बहरावती जिला आगरा में राजकीय चिकित्सालय चल रहा है उसमें केवल एक कम्पाउन्डर व एक वार्ड ब्वाय ही कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो डाक्टर की नियुक्ति न होने का क्या कारण है? और डाक्टर की नियुक्ति कब तक हो जायगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी हां। एक नव नियुक्त पी0 एम0 एस0 अधिकारी की तैनाती 17 अगस्त, 1972 को की गई थी, किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उनकी तैनाती का आदेश निरस्त करके दूसरे डाक्टर की तैनाती 29 नवम्बर, 1972 को की गई है।

ओझियापुर (बाराबंकी) के निवासियों का बाढ़ क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रार्थनापत्र

*77--श्री देवराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम ओझियापुर, डाकखाना झरसवां जिला बाराबंकी के निवासियों की ओर से 11 अप्रैल, 1972 को मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर प्रस्तुत बाढ़ से हुई क्षति पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत ग्राम से केवल एक व्यक्ति का गृह अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र 11 अप्रैल, 1972 को प्राप्त हुआ था।

प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप जो सहायता दी जाती है, वह तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के लिए दी जाती है। नवम्बर, 1971 में अनुदान वितरण के समय प्रार्थी अनुदान प्राप्त करने को उपस्थित नहीं हुआ। अप्रैल 1972 में अनुदान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं रह गया।

*78—श्री नेत राम सिंह—
[६वें मंगलवार में ता० प्र० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नये बन्दोबस्त द्वारा की गई लगान की बढ़ोत्तरी

*79—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि नये बन्दोबस्त के द्वारा किसानों पर लगान बढ़ाने का निश्चय करके सरकार ने अनुमानतः कितनी धनराशि प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है तथा यह लगान बढ़ोत्तरी कब से की जाने वाली है और इसकी पूरी रूप-रेखा क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

नये बन्दोबस्त का मुख्य उद्देश्य किसानों पर मालगुजारी की बढ़ोत्तरी कर आय बढ़ाने का नहीं बल्कि भूमि के वर्गीकरण तथा नियत मालगुजारी की दर को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप लाना, विभिन्न वर्गों के काश्तकारों द्वारा एक ही प्रकार की भूमि के लिये देय मालगुजारी में समानता लाना तथा भू-अभिलेखों में चली आ रही त्रुटियों को ठीक करना है । इस लिये धनराशि प्राप्त करने का लक्ष्य बनाने का प्रश्न नहीं उठता । जैसे जैसे बन्दोबस्त होता जावेगा नई मालगुजारी लगती जावेगी । रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

कैसरगंज (बहराइच) के लेखपालों का स्थानान्तरण आदेश

*80—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के तहसील कैसरगंज के लेखपालों का जो सामूहिक स्थानान्तरण विगत वर्ष नवम्बर, 1971 में कर दिया गया था वह पुनः स्थगित कर दिया गया तब से अब तक स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है जबकि अनेकों लेखपाल 5 वर्ष से भी अधिक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां लेखपालों के स्थानान्तरण के आदेश किये गये थे, किन्तु उस समय सवा छः एकड़ तक के खातेदारों को मालगुजारी से छूट दी जाने हेतु ऐसे खातेदारों के नकशे बनाने एवं तदुपरान्त कृषि-गणना विधेयक आवश्यक नक्शे बनाने के शीघ्रता के कार्य आरम्भ हो जाने के कारण ये स्थानान्तरण स्थगित कर दिये गये ।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर में चेचक महामारी एवं सेवा निवृत कर्मचारी

1—श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में दिसम्बर, 1971 से जून, 1972 तक चेचक महामारी से कितने और कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

दिसम्बर, 1971 से जून, 1972 तक चेचक महामारी से जिला बुलन्दशहर में 75 गांव प्रभावित हुए । इनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 530—531 पर)

2—श्री जयवीर सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व स्वास्थ्य सहायक जनवरी, फरवरी, 1972 में सेवा नियुक्त किये गये और फिर उनमें कितने 2 माह के अन्दर पुनः नियुक्त किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जनवरी एवं फरवरी, 1972 में किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को जिला बुलन्दशहर में सेवा निवृत्त नहीं किया गया। केवल दो स्वास्थ्य सहायकों को उक्त अवधि में सेवा निवृत्त किया गया था। इनमें से किसी को भी दो माह के अन्दर पुनः नियुक्त नहीं किया गया।

बड़ागांव (वाराणसी) का प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भवन निर्माण

3--श्री जगन्नाथ राय (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बड़ा गांव, वाराणसी का भवन अब तक निर्मित नहीं हुआ जब कि सन् 1962 से अनुदान स्वीकृत है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ागांव का भवन अभी तक निर्मित नहीं हुआ है।

4--श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार उपरोक्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बड़ा गांव, वाराणसी का भवन शीघ्र निर्माण करायेगी।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

शासन इसके लिए प्रयत्नशील है।

टिहरी-गढ़वाल के राजकीय अस्पतालों में डाक्टरों की नियुक्ति

5 --श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जिला टिहरी-गढ़वाल में कौन-कौन से ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जिनमें एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की नियुक्ति का प्राविधान है और उनमें से किस-किस में और कब से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जिला टिहरी-गढ़वाल के जिन सरकारी अस्पतालों में एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की नियुक्ति का प्राविधान है, उनकी सूची संलग्न है। जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और डाक्टर न होने की तिथि सूची में इंगित है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 532 पर।)

कानपुर के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के कार्यकर्त्ताओं व चिकित्सकों को पुरस्कार

6---श्री राम कुमार दीक्षित---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की वर्ष 1970-71 तथा 71-72 में परिवार नियोजन के कार्य-क्रमों तथा रोगियों की औसत उपस्थिति क्या रही ? क्या शासन प्रथम स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सक एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं को उत्साह वर्द्धन की दृष्टि से पुरस्कृत करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जनपद, कानपुर के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की वर्ष 70-71 तथा 71-72 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा रोगियों की औसत उपस्थिति का विवरण संलग्न है। कानपुर जनपद के परिवार नियोजन की उपलब्धि पर प्रथम स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों को उत्साहवर्धक की दृष्टि से किसी भी चिकित्सक अथवा कार्यकर्त्ता को पुरस्कृत नहीं किया गया क्योंकि पुरस्कार संबंधी शासन के नियमों के अन्तर्गत कोई भी योग्य नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 533-534 पर।)

बलिया में गंगा एवं घाघरा के कटान से प्रभावित लोगों की सहायता

7—श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 में बलिया जनपद में दोआबा निर्वाचन क्षेत्र में गंगा एवं घाघरा की कटान से कितने परिवार कटे और उन्हें बसाने के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गई तथा कितनी सहायता अब तक दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

घाघरा नदी से एक तथा गंगा नदी से दो गांवों की आबादी प्रभावित हुई घाघरा से प्रभावित गांव में पुनर्वास की समस्या नहीं है । गंगा से 17 परिवारों के मकान कटे । कटान पीड़ितों को बसाने के लिये प्लाट निर्धारित कर दिये गए हैं एवं उन्हें 2850 रुपये गृह निर्माण अनुदान एवं 250 रुपये आपदा तकाबी के रूप में सहायता दी गई है ।

गढ़वाल, चमोली, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में पक्के शौचालय व मूत्रालय का निर्माण

8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में गत तीन वर्षों में यात्रा सीजन में कुल कितने टेम्पोरेरी शौचालय व मूत्रालय बनाये गये हैं और उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है क्या सरकार इन स्थानों पर पक्के शौचालय आदि बनाने की योजना बना रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल का राष्ट्रीयकृत लीसा

9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल के वनों में पैदा होने वाले लीसे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसकी रूप-रेखा क्या है तथा वन पंचायतों से निकला हुआ लीसा किन-किन प्राइवेट फैक्टरीज को सन् 1970–71 और 72 में (30 जून तक) दिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के वनों में पैदा होने वाले लीसे का राष्ट्रीयकरण अभी नहीं किया गया है । अतः उसकी रूप रेखा का प्रश्न नहीं उठता ।

वन पंचायतों से निकला हुआ लीसा जिन-जिन प्राइवेट फैक्ट्रीज को सन् 1970–71 और 1972 में (30 जून तक) दिया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

जिन्हें केवल वर्ष 1970–71 में वन पंचायतों का लीसा दिया गया:—

1—हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली ।
2—बिहारी लाल साह, कालिका रानीखेत ।
3—सैनिक रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, रानीबाग ।
4—कपूर इन्डस्ट्रीज, हल्द्वानी ।
5—मनोरा ग्राम स्वराज्य संघ, रानीबाग ।
6—जी० सी० खत्री, थल ।
7—हुकुम सिंह मेहरा, रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन यूनिट, पिथौरागढ़ ।
8—टिहरी-गढ़वाल जिला सहकारी संघ, मुनी की रेती ।

जिन्हें वर्ष 1970–71 और 1972 में (30 जून तक) वन पंचायतों का लीसा दिया गया:—

9—शिव लीसा उद्योगशाला, चौकूनी, रानीखेत ।
10—ताकुला विकास क्षेत्र, ग्राम स्वराज्य संघ, सोमेश्वर ।
11—लक्ष्मी विरोजा इंडस्ट्रीज, चितई ।
12—साह लीसा उद्योगशाला, खगभारा ।
13—प्रकाश रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन, कालिका ।
14—पर्वतीय ग्राम स्वराज्य मंडल, जयन्ती ।
15—नैनीताल रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन इंडस्ट्रीज, गरमपानी ।

जिन्हें वर्ष 1972 में (30 जून तक) वन पंचायतों का लीसा दिया गया:—

16—ग्राम स्वराज्य संघ, गोपेश्वर

देहरादून जिले के भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण

10—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जिले में पिछले 5 वर्षों में कितने भूमिहीनों को भूमि वितरण की गई ? उनके नाम क्या हैं, क्या इन भूमि प्राप्तकर्त्ताओं में कोई सरकारी अधिकारी भी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उल्लिखित अवधि में गांव सभा भूमि 501 व्यक्तियों को तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि 86 व्यक्तियों में आवंटित की गई । नामों की सूची काफी बड़ी है, अतः माननीय सदस्य उसका अवलोकन अध्यक्ष जी के कक्ष में कर सकते हैं ।

ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया कि भूमि प्राप्तकर्त्ताओं में कोई सरकारी अधिकारी भी है ।

वन विभाग के अधिकारियों को दी गई सरकारी गाड़ियां

11—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के विभिन्न अधिकारियों के पास जिनका कार्यालय लखनऊ में हैं कितनी सरकारी गाड़ियां, जीपें व अन्य कारें आदि सरकार द्वारा दी गई हैं और जिनके पास गाड़ियां हैं उनमें कितने टूअरिंग डियूटी के अधिकारी हैं और कितने नानटूअरिंग डियूटी के ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के पास जिनका कार्यालय लखनऊ में है 18 सरकारी गाडियां जीपें व अन्य कारें आदि सरकार द्वारा दी गई हैं उनमें से 9 टुअरिंग डियूटी के अधिकारी हैं तथा 2 नान-टुअरिंग डियूटी के ।

बारा (इलाहाबाद) के भूमिहीनों में भूमि का वितरण

12—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जनवरी से अगस्त, 1972 तक इलाहाबाद जिले के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किन-किन भूमिहीनों को और किसके माध्यम से भूमि का वितरण किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि में 220 बीघा 16 बिश्वा 8 धूर भूमि जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई थी परगनाधिकारी, करछना द्वारा 49 व्यक्तियों को तथा गांव सभा में निहित 144 बीघा 7 बिस्वा 6 धूर भूमि 119 व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा आवंटित की गई ।

भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के कक्ष में देख सकते हैं ।

बादल फटने के कारण टिहरी तथा पिथौरागढ़ के मृतक व्यक्ति

13—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल) तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जुलाई, 1972 तथा सितम्बर, 1972 में क्रमशः जनपद टिहरी तथा पिथौरागढ़ में बादल फटने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृतकों की संख्या पृथक-पृथक जिलों में कितनी थी तथा उनके परिवार को शासन की ओर से क्या राहत प्रदान की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

केवल टिहरी गढ़वाल में आठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । पीड़ित परिवारों को 1,960रु० अहेतुक सहायता दी गयी । पिथौरागढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

14—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

(2रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सूखा की सहायतार्थ केन्द्र से प्राप्त धन

15—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक सूखा की सहायता हेतु कितना धन केन्द्र सरकार से मांगा तथा कितना उनको प्राप्त हो गया और वह किस-किस जिले में और किन-किन कार्यों पर खर्च होगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

भारत सरकार से इस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य आदि के लिये 163.813 करोड़ रुपये की मांग की गई थी । भारत सरकार ने अब तक विभिन्न योजनाओं के लिये 40.75 करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकृत किता है । इसके अतिरिक्त आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता पर 10.10 करोड़ रुपये तक व्यय करने की सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी । भारत सरकार ने अभी हाल में इस सीमा को घटाकर 8.10 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसे पूर्ववत् 10.10 करोड़ रुपये ही रहने देने के लिये लिखा जा रहा है ।

उक्त 40.75 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ऋण के विरुद्ध अब तक 10 करोड़ रुपये उर्वरक तथा बीज के लिये अल्पकालीन ऋण के रूप में तथा 5.1875 करोड़ रुपये सिंचाई तथा विद्युतीकरण हेतु दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्राप्त हो चुका है ।

प्राप्त ऋण का उपयोग कृषि राजस्व, सहकारिता, गन्ना विकास, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत शक्ति विभागों द्वारा विभिन्न जिलों को आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है । सहायता कार्यों पर 10.10 करोड़ रुपये को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में टेस्ट वर्क, निःशुल्क सहायता अथवा रियायती दर पर बीज की सम्पूर्ति पेयजल की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा पर आवश्यकतानुसार व्यय किया जा रहा है ।

गोरखपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों के दौरे पर व्यय

16---श्रीमती मसाली देवी---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौड़ीराम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजनी, बरहलगंज तथा खोराबार में 1 जनवरी, 1972 से 9 सितम्बर, 1972 तक डाक्टरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने के सम्बन्ध में कितनी धनराशि पैट्रोल पर खर्च की गई है ? अलग-अलग ब्योरेवार धनराशि कितनी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

दौरे के सम्बन्ध में हुए व्यय का ब्योरा इस प्रकार है---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौड़ीराम पर 1,004 रु० ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजनी पर कुछ नहीं,

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरावार पर 855 रु० 41 पैसे, तथा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हलगंज पर 2,427 रु० 94 पैसे ।

17---श्रीमती मसाली देवी---

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कौड़ीराम बरहलगंज, खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात कितने डाक्टरों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध 1 जनवरी, 1972 से 9 सितम्बर, 1972 तक सरकार को शिकायतें मिलीं और कौन सी कार्यवाही हो रही है ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिहार राज्य से अन्तरित क्षेत्र एवं बलिया के ग्रामों में जमींदारी उन्मूलन सुधार कानून

18---श्री शम्भूनाथ चौधरी ---

विधान सभा के वर्ष 1971 के द्वितीय सत्र में मेरे नाम से प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब सम्बन्धित मौजों में राजस्व सम्बन्धी अधिनियम लागू हो गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन मौजों में कितने-कितने क्षेत्रफल में कब से ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) ऐक्ट, 1968 द्वारा बिहार राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तरिम पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 1972 द्वारा लागू कर दिये गये हैं। उक्त क्षेत्र की पैमाइश न होने के कारण अभी गांव वार क्षेत्रफल देना सम्भव नहीं है ।

19--श्री शम्भू नाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बलिया जनपद में कुछ राजस्व गांव अब भी ऐसे हैं जिनमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून नहीं लागू हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम हैं कितने-कितने क्षेत्रफल के और इनमें उक्त अधिनियम कब तक लागू हो जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आजमगढ़ में स्वास्थ्य सहायकों के रिक्त स्थान

20—श्री दल सिंगार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्वास्थ्य सहायकों की कितनी जगह पिछले वर्ष 1971 से रिक्त हैं और आज तक उनको भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आजमगढ़ जनपद में 20 स्वास्थ्य सहायकों के स्थान रिक्त हैं और उनको भरने के लिये आवश्यक निदेश जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिये जा रहे हैं।

बांगुरी (आगरा) में अस्पताल खोलने की योजना

21—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बांगुरी, ब्लाक शमसाबाद, जिला आगरा में कोई सरकारी अस्पताल खोलने की योजना है ? अगर हां, तो यह अस्पताल कब तक खुल जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

बांगुरी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

चिकित्सालय स्थापति करने के लिये उपयुक्त भवन की तलाश की जा रही है।

विविध विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन, मेरा निवेदन यह है कि आप उस ऊंचे आसन पर विराजमान हैं और जितने सदस्य यहां पर बैठे हैं, तमाम अपेक्षा करते हैं कि आपका जितना भी डेसिजन होगा वह बड़ा ही जुडिशियल होगा। मैं बड़ा दुखी होकर कह रहा हूं कि हमारी विधान सभा हमारी विधान परिषद् जो हैं, उससे पिछड़ गयी है। वहां पर जितने मुख्य विषय इस बारे में हैं, ये पहले उठते हैं। वहां कार्य स्थगन स्वीकार हो जाते हैं। यहां पर तो ऐसे विषय, जैसे आजमगढ़ के अन्दर घटना हुई, ये सब स्वीकार हो जाती है। आपके यहां किसी बात की कोई गम्भीरता नहीं है। आपने परसों यह कहा था कि पास के मामले में दोबारा नेताओं की बैठक होगी। मुख्य मन्त्री जी ने भी इसका समर्थन किया। जब आप नई व्यवस्था बनायेंगे तब तक पुरानी व्यवस्था चलेगी परन्तु एम० एल०एज० एक-एक पास के लिये इधर उधर भटक रहे हैं। उनके पास नहीं बनते। मैं कहना चाहता हूं कि आपने विधान सभा के सदस्यों की स्थिति को बहुत निम्न स्तर पर कर दिया है। आये दिन आपके परिपत्र जारी होते हैं। हमारी औषधियों के बारे में आप हमारे दरवाजे बन्द करते हैं, आप हमारे पास बन्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वहां ऐसे ऊधम नहीं होते हैं। यहां अगर ऐसे ऊधम होते हैं तो क्या करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यहां तो आप बड़े संयमित हैं। जब आप खड़े होते हैं तब हम बैठ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग बाहर से आते हैं वे ऊधम करते हैं आप थोड़े ही करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, आप हमें न्याय देंगे या नहीं ? पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जितने मुख्य विषय थे उनको वाटर-डाउन कर दिया है। आपने कहा था कि जनरल डिस्कशन हो जायगा तभी वह विषय उठाया था। लेकिन वे सब के सब समाप्त हो गये। आपने हमारी गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है जिसको कि हम चाहें और आपसे स्वीकार करायें। आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरा जनरल कन्डमनेशन करते हैं तो प्रस्ताव लाइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर आप कमरे में मान्यबर, सुन लेते तो हम सुनाते, आप कोई न्याय तो कराइये।

श्री अध्यक्ष—

न्याय तो हम करते हैं। आप जिद करते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने पास के लिये क्या किया। पास के लिये हम क्यों भटक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि मैं कहता हूं बुलाउंगा पर आप कहते हैं कि दूसरे दिन ही बुला लिया जाय। अब कितने प्रश्न आ जाते हैं। इस तरह का जो प्रश्न आया था क्या वह प्रश्न उठाना चाहिये था ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप यह बतायें कि मुरादनगर कांड ऐसा था जो...

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत समय लेते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या इस विधान सभा के अन्दर यह जो मुरादनगर कांड गाड़ी के अन्दर हुआ और आजमगढ़ के अन्दर हुआ वह क्यों नहीं उठाना चाहिये था। काउंसिल के अन्दर तो वह उठा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको स्वीकार कर लिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उनको तो आपने वाटर डाउन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि सबको काम रोको प्रस्ताव के अन्दर ले आयें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप जनरेलाइज करते हैं। मैं जनरेलाइज करने की बात नहीं कहता।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि काम रोको आ जाय। वह उसमें आना चाहिये जिस पर आना जरूरी हो। वहीं आ जाय तो वही अकेला प्रश्न होगा वह। आप कृपा करके बैठिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो सवाल उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सदस्यों के पास बन्द कर दिये।

(व्यवधान)

आपके यहां कोई व्यवस्था नहीं है। कल सारा दिन आपने व्यर्थ अनियमित बहस करवायी। यह अक्षमता है आपके सचिवालय की।

14 दिसम्बर, 1972 को श्री अध्यक्ष द्वारा श्री चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करने की प्रार्थना

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अभी हमारे नित्यानन्द स्वामी जी ने जो बात कही वह अपनी ही वेदना नहीं बल्कि सारे विरोधी दल की वेदना है। आपने एक चीज कह दी कि हमने कल का रिजूलेशन जो एलाउ किया था वह हमें नहीं करना चाहिये था। मान्यवर, जो आप रूलिंग दें हम उसके सामने नतमस्तक है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती न हो इसलिए दो-चार शब्द कहना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। रूलिंग देने के बाद प्रथम बार ऐसी बात हुई है, पता नहीं किन कारणों से अन्त में आपने कह दिया कि यह रूलिंग देने में मुझसे गलती हुई...

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह बात नहीं कही। मैंने यह कहा कि गलती हुई। मैंने यह कहा कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि ऐसी रूलिंग होना जरूरी हो गया क्योंकि आपस में मंजूर हो गया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं पढ़ दूं "स्वतन्त्र भारत" में से। इसमें यह लिखा है —"विधान सभा अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर ने विपक्ष की अनुपस्थिति में प्रस्ताव के सर्वसम्मति से गिर जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गलती से स्वीकार कर लिया गया था, भविष्य में ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायगा। यदि ऐसी कोई बात है तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिये।"...

श्री अध्यक्ष—

आप जरा समझ लें। यह बात कार्य मन्त्रणा समिति में मैं रखने वाला था। उसमें यह गलतफहमी हो गयी कि मुख्य मन्त्री जी की कि हम ग्राह्य कर चुके हैं। हमने उनको उसकी कापी नहीं भेजी। फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कोई समय दे दिया जाय। तो यह गलतफहमी थी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मुख्य मन्त्री जी ने तो नहीं कहा कि गलतफहमी हो गयी। उनको यहां खड़े होकर कहना चाहिये था कि मुझे गलतफहमी हो गयी...

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने कहा कि गलतफहमी हुई। उन्होंने यह बात कही कि जब कार्य-मन्त्रणा समिति में रखा है तो ग्राह्य करके रखा होगा...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--
आप मेरी एक बात सुन लें...

श्री अध्यक्ष--
अभी मैं बोल रहा हूं.....

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--
शुरू में ही जब आपने एक फैसला ले लिया था तो फिर यह बात आपने क्यों कहीं ?

श्री अध्यक्ष--
मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेरे पास कापी नहीं आई ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--
क्या मुख्य मंत्री जी समझते थे कि उनकी प्रसंशा के लिये प्रस्ताव रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष--
यह तो गलतफहमी हो गई है लेकिन सवाल तो यह है कि जब दो बड़े आदमी गलतफहमी से ही सही किसी बात को मंजूर कर लेते हैं तब वह लेना ही चाहिये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--
मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने तो चैलेंज किया था कि जो आपने आरोप लगाये हैं तो उस पर आप बहस कर लीजिय । गलतफहमी तो आपने पैदा की कि उसको गलत स्वीकार कर लिया । भ्रम तो मुख्य मंत्री जी की तरफ नहीं आपकी तरफ था । उन्होंने तो कहा था कि अगर आरोप लगाते हैं तो बहस कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--
मैंने यह समझा कि आपने ग्राह्य करके तब कार्य मंत्रणा समिति में भेजा, यह मेरी गलतफहमी हो गई । यह तो स्वाभाविक है । जब ऐसी गलतफहमी को स्वीकार कर लिया तो उस पर कायम रहना चाहिये । इसी लिये मैंने कहा कि जो आपका प्रस्ताव है वह चलना चाहिये लेकिन ऐसा आइंदा के लिये नहीं होना चाहिये । उन्होंने तो रात में भी मुझको फोन किया था । और कहा था कि "जब आपने इसको कार्य मंत्रणा समिति में रखा हम तब समझें कि आपने इसको ग्राह्य कर लिया है" इस लिये समय मुकर्रर कर लीजिये यह उन्होंने इस भ्रम में कहा था । हमने कल फैसला दिया कि यह गलतफहमी हो गई । जब बड़े आदमियों ने इतनी बड़ी पब्लिक के सामने इसको कह दिया तब इसको बदलना नहीं चाहिये इसलिये मैंने कह दिया लेकिन आइंदा के लिये ऐसी चीज न हो । उनके दिल में भी नहीं रह जाय शिकायत करने की बात । चूंकि हमारे आफिस की गलती हुई थी कि प्रस्ताव की नकल मुख्य मंत्री को नहीं भेजी थी । इसलिये मैंने रिग्रेट एक्सप्रेस की । अगर गलतफहमी से ही सही मुख्य मंत्री ने कह दिया है तो भी उसको निभाना है । हमारे देश में तो ऐसी परिपाटी रही है कि राजा हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में अपना सब कुछ दान में दे दिया तो उसको भी उन्होंने निभाया था । जब फैसला कर दिया है तब उसको मान लेना चाहिये और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिये ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
मान्यवर, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरी बात को सुन लें । जो आपने कहा वह मैंने सुना और जो आप तय करते हैं उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं । परन्तु जो आपने कहा उससे मेरे मस्तिष्क को संतोष नहीं प्राप्त हो सका । आपने कहा कि जो बात गलतफहमी में की गई वह अभूतपूर्व थी । आपने यह भी कहा कि इसको अविश्वास के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव में आना चाहिये । आज जब दलबदल का प्रसंग चल रहा है उन परिस्थितियों का अनुमान करके कि जब यहां इस काम के लिये संख्या 85 से कम हो सकती है जितनी कि अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव का सहारा विरोधी पक्ष नहीं ले सकता है । इसके माने तो यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव कभी नहीं ला पायेगा क्योंकि संभव नहीं है वह इतनी संख्या को इस पक्ष में न कर पाये जबकि आज ऐसी परिस्थितियां चल रही है ।

इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कन्टीनजेंसी में इस प्रस्ताव को एलाऊ करना चाहिये था और अलाऊ करना चाहिये । वह उचित प्रस्ताव था । आपने उसे भली-भांति वहां पढ़ कर मंत्रियों को सुनाया था । आप यह कहते हैं कि मुख्य मंत्री को सूचना नहीं थी । मुख्य मंत्री की जगह जब दूसरे मंत्री बोलने लगते हैं तो आप कहते है कि कोई भी मंत्री बोल सकता है । सरकार के प्रतिनिधि तिवारी जी और दूसरे मंत्री मौजूद थे कार्य-मंत्रणा समिति में । कार्य-मंत्रणा समिति में मुख्य मंत्री नहीं आते, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये दूसरे मंत्री मौजूद रहते हैं । दूसरे मंत्री मौजूद थे । उनके सामने आपने कहा । इसलिये वह दलील वाजिब नहीं है कि मुख्य मंत्री को नकल नहीं दी गयी, मुख्य मंत्री के पास प्रतिलिपि नहीं भेजी गयी । यह दलील बिल्कुल नहीं भाती । जब सूचना मिल गयी तो उधर से दौड़दौड़ हो रही थी कि सारे मंत्रिमंडल का भंडाफोड़ न हो । अब आप कहते हैं कि गलतफहमी से ऐसा हुआ । ऐसा कहने से इस पवित्र चेयर पर आंच आती है । आपने भलीभांति देखा और भली भांति पढ़ा । सेक्रेटरी हर दम आपकी सहायता करते हैं । निश्चित रूप से करनी चाहिये थी । मैं इस सिद्धांत को भी मानता हूं । मान्यवर, उन्होंने भी परामर्श दिया आपको और तब आपने निर्णय लिया ।

दूसरी बात और कहना चाहता हूं । एक बात समझ में नहीं आती कि गलतफहमी हो गयी । उनके प्रतिनिधि जानते थे । ग्राह्यता के बारे में अगर मुख्य मंत्री कुछ कहते हैं तो फिर तो इस चेयर की स्वतंत्रता समाप्त हो गयी । वह दलील भी समाप्त हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप. . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे कहने दें । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपने कह दिया कि गलत रूलिंग दी--अभूतपूर्व रूलिंग । जब हम सवाल करते है तो कहा जा सकता है कि अमुक मंत्री गलत काम करते हैं, भ्रष्ट हैं, वहां तो आप परमिट कर देते है । वह मैलाइन की डेफनिशन में नहीं आता । कल पता नहीं कौन सी भावना आपके मस्तिष्क में आयी ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो रूलिंग थी--

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हमारा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है । मुख्य मंत्री ने सहारा लिया कि वह तो वेग है । आपने कहा कि किसी मंत्री का नाम न लें, विभाग का नाम भी न लें जिससे कि मंत्री सम्बद्ध हो जाये । हमने मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन किया मगर था उसका पालन करना असम्भव । इन परिस्थितियों में क्रिटिसिज्म का सारा स्टिंग ही मन्द हो गया आप की रूलिंग की खातिर ।

मान्यवर, स्वामी जी ने कहा कि हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है । आखिर अपोजीशन का कर्त्तव्य ही क्या है ? अपोजीशन सारी पब्लिक की एटेंशन को फोक्स करती हैं । हमने

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

एडजर्नमोशन दिया । उसे एलाऊ कराया । सरकार उस पर तुरन्त कदम उठाती है तो पब्लिक भी समझती है कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया । आपने हमें कह दिया कि कोई, मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान भर में रूलिंग ऐसी नहीं होगी कि मंत्री का नाम न लें, भ्रष्टाचारी मंत्री का नाम न लें, किसी विभाग का नाम न लें ताकि कहीं उससे कोई मंत्री सम्बद्ध हो जाय । हमारे पास कितनी मिसालें थीं । सब बातें फीकी पड़ गयीं । आज हम सब विरोधी पक्ष के लोग इस बात से दुखी हैं कि जो हम कहना चाहते थे कह नहीं पाये । पब्लिक भी समझती होगी कि हम हवा में बात कर रहे थे, हवा में तीर मार रहे थे । आप की रूलिंग ने हमारा गला बन्द कर दिया । हमने आपकी आज्ञा का पालन किया, मगर हमें उससे बड़ा दुख हुआ । आपने कह दिया कि बड़ी गलती हुई है, भविष्य में एलाऊ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

इनका उत्तर दे रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप हमारी बात सुन लीजिये तब उत्तर दीजिये । एक-एक की बात का अलग-अलग उत्तर कहां तक देंगे ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

माननीय माधव प्रसाद जी ने दो बातें कहीं हैं । हम उनका जवाब दे दें । अगर उससे आपको असंतोष न हो तो आगे डिस्कशन चलावें ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपने मुझे समय दिया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पांडे जी आपको सपोर्ट करने के लिये खड़े हुए थे । पहले आप विरोधी पक्ष को सुन लीजिये ।

*श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं आपके सम्मुख एक व्यवस्था का प्रश्न इस आशय का प्रस्तुत करना चाहता हूं कि नियम 313 के अन्तर्गत यह है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें । यह शक्ति आपको प्राप्त है । कल नियम 103, 104, 105 के अन्तर्गत आपने एक प्रस्ताव पर बहस करायी । कृष्णानन्द जी ने जो बहस उठायी उस पर आपने यह आदेश दे दिया कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जायगा । ठीक है व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया और सबने आपकी बात मान ली । बहस हो गयी बावजूद इसके कि उसमें भी बहुत इत्मीनान से किसी व्यक्ति का नाम लिया जा सकता था क्योंकि नियम' 105(3) में लिखा है कि उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा । तो व्यक्तिगत हैसियत के मामले में अगर कोई बात कही जाती तो उस पर आप प्रतिबन्ध लगा सकते थे लेकिन सार्वजनिक हैसियत के लिये अगर कोई बात कही जाती है तो 105 के अन्तर्गत कोई जो प्रतिबन्धात्मक वाक्य दिये हुये हैं उनके अन्तर्गत आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन बावजूद आपके प्रतिबन्ध लगाने के बहस हुई और बहस के बाद आपने बड़ी कृपा की और एक रूलिंग दे दी जो आज से लागू होगी और ऐसी बात पर रूलिंग दी जो प्रस्ताव

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपके विचाराधीन था ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा नियम ऐसा है कि जिसने आपको यह अधिकार दे दिया कि जो प्रस्ताव आपके सम्मुख विचाराधीन नहीं है उसके आगे आने वाले अंश के लिये, सदन के लिये, रूलिंग दे दें यह जानते हुए कि पता नहीं कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, पता नहीं कौन मुख्य मंत्री होगा, पता नहीं इनमें से कितने सदस्य रहेंगे या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

जो होता है सो होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्षमा कीजिये, जो होगा वह इस रूलिंग को देखेगा तो कैसे विचार बनायेगा आप स्वतः अपने बारे में सोच लीजिये।यही नहीं जब कामरोको प्रस्ताव मेरे दल की तरफ से प्रस्तुत किया गया तो आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का प्रस्ताव 104 में मौजूद है उस पर बहस करायेंगे । जब 104 में प्रस्ताव आ गया तो आपने कहा कि मालूम नहीं था कैसे हो गया, गलतफहमी में हो गया कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह बात गलत है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

और फिर उस सारी हालत को देखें जबकि मुख्य मंत्री जी के दल के माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मंत्री कार्य-मंत्रणा समिति में बैठे हैं और कार्य-मंत्रणा समिति ने आपकी अध्यक्षता में एक निर्णय लिया । उसके बाद इस सदन ने लिया कि इस प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी। और फिर जब सारे सदन का निर्णय हो गया, उसके बावजूद भी"गलतफहमी" ज्यों की त्यों रह गयी और यह तब तक पैदा नहीं हुई जबतक यह दल सज-धज पर तैयार हो कर नहीं बैठ गया और जब इनकी भवें चलने लगीं और कृष्णानन्द की नियमावली चलने लगी और जब सारी स्थिति आपने देखी तो आपको गलतफहमी पैदा हो गयी . . . .अगर नहीं हुई तो गलतफहमी के नाम पर सदस्यों के ऊपर कुठाराघात क्यों हुआ ? वह उस समय हुआ है जिस समय आपने कह दिया कि इस प्रकार का प्रस्ताव अब आगे नहीं लाया जायगा । कहां यह अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं कि नियम 104, 103 और 105 की प्रक्रियाओं का अनुसरण अब आगे नहीं होगा। क्या नियमावली से नियम निकाल दिये जायं? तो क्षमा कीजिये 313 के अन्तर्गत कीजिये । उसमें आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि जैसी कि शाम को रूलिंग दी है । जब आपने देखा कि ये लोग मौजूद नहीं हैं तो आपने यह रूलिंग दी कि जो उस समय नहीं देनी चाहिये थी । श्रीमन्, आप सुन लें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी रूलिंग को मेहरबानी करके संशोधित कीजिये कि जो कल आपने रखी है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय और जो अखबारों में निकला है उसको संशोधित करवा दीजिये कि इस प्रकार की व्यवस्था जो अध्यक्ष की ओर से की गयी है वह गलतफहमी के कारण हो गयी है।सही व्यवस्था यह होगी। क्योंकि न नियम सस्पेंड किया गया, न आपको अधिकार दिया गया और न सदन ने अधिकार दिया । ऐसी स्थिति में आप उन अधिकारों से बंचित है जिन अधिकारों का प्रयोग आपने कल नियम के विरुद्ध किया था ।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप कृपया मुझे सुन लीजिये, इसलिये कि मैं कार्य-मंत्रणा समिति में रहा हूं और मुझे आपके कृत्यों की बड़ी सफाई देनी है वरना मैं अगली बार कार्य-मंत्रणा समिति में बैठूगा नहीं, जिस तरह की गलत बातें यहां पर कही जाती हैं । [××××]

[××××] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--
बाह वाह !

श्री बंशीधर पांडेय--
मुझे धीरज से सुनियेगा । मैं कार्य-मंत्रणा समिति में रहा हूं । मुख्य मंत्री की,** आप क्यों कार्यमंत्रणा समिति की बात को इस तरह से रख कर अपनी गलतियों को हमसे रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं । आप सुनिये । आप प्रोसीडिंग्स निकालये, उसमें लिखा है जबकि सुरेंद्र विक्रम सिंह ने कार्य-स्थगन दिया था तो अपने कहा कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसी संबंध में इसी विषय का एक प्रस्ताव चौ० चरण सिंह का आया है जिसको मैं कार्य-मंत्रणा समिति में रखकर के स्वीकार करना चाहता हूं । मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कैसे कह दिया कि मुख्य मंत्री जी को पता नहीं था । स्थगन और नियम 51 के विषयों की सूचना मंत्री को जाती है।जब आपने कह दिया कि कार्यस्थगन का प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करते, इसी से संबंधित विषय 104 में ले रहे हैं तो अध्यक्षा की कुर्सी से जो कहा गया कि मुख्य मंत्री जी को पता नहीं था, उनके पास कापी नहीं भेज पाये यह कहां तक सही है।मेरी 56 की कापी मौजूद थी, सुरेंद्र विक्रम और अनन्तराम जायसवाल की कापी मौजूद थी फिर मैं हाथ जोड़करके प्रार्थना करूंगा कि आपने इस कुर्सी की मर्यादा और गरिमा को बिल्कुल गिरा दिया । अपसे पूछना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन की कापी मुख्य मंत्री जी को, संबंधित मंत्री को, जाती है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--
कार्य-स्थगन की जाती है ।

श्री बंशीधर पांडेय--
कालिंग अटेंशन की जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--
जी हां ।

श्री बंशीधर पांडेय--
तो जब आपने कहा कि इस सब्जेक्ट पर मैं 104 में ले रहा हूं तो जाहिर था कि मुख्य मंत्री जी उस सब्जेक्ट से वाकिफ थे । और मैं मुख्य मंत्री जी की तो तारीफ करता हूं कि उन्होंने विलिंगली कह दिया कि जब चाहें ले लें । चरण सिंह जी ने जब कहा था तो वह सबजेक्ट इतना डिस्कस हो चुका था हाउस में कि मालूम हो गया था कि क्या प्रस्ताव आने वाला है । फिर आपका इस तरह से बात कहना उचित नहीं था । मुख्य मंत्री जी अगर कहे होते तो कुछ हद तक संतोष होता कि लीडर आफ दि हाउस की हैसियत से वह यह कह सकते थे कि मुझे पता नहीं है । लेकिन ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई कमजोर बात को मुख्य मंत्री जी की ओर से आपने प्लीड किया । मुख्य मंत्री जी ने जो कहा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--
यह उन्होंने कहा था ।

श्री बंशीधर पांडेय--
जो उन्होंने तो उस वक्त कहा जब आपने मुख्य मंत्र जी के प्रति कुछ रिमार्क कसा था । तब पंडित जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी, आपने जो इस तरह का रिमार्क किया वह मेरे प्रति अन्याय है। आपने यह कहा था कि मुख्य मंत्री जी, आप बताइये कि कल जो आपने इस प्रस्ताव पर हां किया था वह समझबूझ कर किया था या ऐसे ही किया था ।

**श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मेरी एक बात को सुन लेंगे आप? यदि आज्ञा दें तो मैं कह दूं । (श्री बंशीधर पांडेय के बैठ जाने पर) मुझे कुछ नहीं मालूम था । अध्यक्ष जी के ऊपर यह आरोप लगाना कि हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के कारण, तो अगर हमारी कोई इज्जत करता है तो आप ही करते है और कोई दूसरा करने वाला है नहीं और उसके लिये मैं कृतज्ञ हूं आप का (श्री कल्पनाथ सिंह से) बंशीधर जी जितनी इज्जत करते है उतनी आप भी नहीं करते है और उसके लिये मैं उनका अनुगृहीत हूं । मुझे कुछ नहीं मालूम था । और यह बात सही है कि हमारे यहां उस प्रस्ताव की कापी आयी नहीं थी । जब यह प्रस्ताव यहां पेश हुआ और अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार करेंगे समय के लिये तो कार्यमंत्रणा समिति में उन्हीं प्रस्तावों पर विचार होता है जिनकी ग्राह्यता अध्यक्ष महोदय स्वीकार कर लेते हैं। कार्यमंत्रण समिति में यह प्रस्ताव ग्राह्य है या नहीं यह तो काम अध्यक्ष का है, दुनिया में और किसी का है नहीं । जब उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे तो मैंने यह समझा कि कोई प्रस्ताव आया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस पर आज टाइम के लिये विचार करेंगे । उस पर मैंने कहा कि अभी हो जाय फिर चौधरी साहब ने कहा कि अभी नहीं बल्कि यह बता दीजिये कि आप लेंगे कब । अध्यक्ष जी ने पूछा कि कब लिया जाय तो मैंने कहा कि जब आपकी आज्ञा हो । प्रस्ताव हमारे पास दूसरे दिन शाम को आया, यानी परसों । वह प्रस्ताव मैंने देखा । फिर जब आपने मुझसे पूछा कि यह बताइये कि आपने उसे समझ बूझ कर कहा तब मैंने कहा कि यह मेरे साथ अन्याय है कि हम कहें कि उचित है या अनुचित । यह कार्य आपका है । मेरे पास प्रस्ताव आया नहीं । मैंने यह समझा था कि कार्यमंत्रणा समिति में समय का विचार होगा । उस पर मैंने कहा था कि जब आप कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। न कोई जोर न दबाव और न मैं समझता हूं कि उनकी कुर्सी ऐसी है जो मेरे दहलाने से दहल जाय । हमने तो कभी दहलाने की कोशिश नहीं की । हम तो अध्यक्ष को भगवान के रूप में देखते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं जो बात कह रहा था वह तो पंडित जी ने एक वाक्य में कर दिया । क्या नियम 56 में नोटिस जाती नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो गया होगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं तो समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को सूचना थी। अब यह आपके और उनके बीच की बात है कि उनको सूचना गयी या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात सही है कि उनके पास कापी नहीं पहुंची थी उस समय तक नियम 56 के अन्तर्गत गयी होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

नियम 56 के अन्तर्गत सही, मगर वह सूचना उनकी थी ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं भी व्यवस्था के प्रश्न पर ही तो बोल रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि उस प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार हुआ और उसके बाद उस कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को पूरे सदन ने स्वीकार किया । फिर डेढ़ घंटे आपने इसमें लगा दिया कि किसी व्यक्ति विशेष

[श्री बंशीधर पांडेय]

पर आप चर्चा नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति कहीं पर भी नहीं दी गयी है कि वह इस तरह से कोई बंदिश लगा दें या रोक लगायें । प्रस्ताव में यह साफ था कि इस शासन में भ्रष्टाचार है, मंत्री लोग भ्रष्ट हैं । तो यह एक निश्चित विषय था। मगर आपने हमको कहने से महरूम कर दिया । आपने हमारी पार्टी के लोगों से कह दिया कि किसी का नाम नहीं ले सकते । यह उसी तरह हुआ कि बन्दूक तो चलाओ, मगर बारूद नहीं भर सकते । यह क्या बात हुई । फिर यह भी हो सकता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुनने के बाद उसे वापस लेने के लिये वे हमसे अनुरोध करते । वापस लेने का तो अधिकार है । अभी कल सरकार ने ही अपना एक विधेयक वापस लिया । आपने उसकी आज्ञा दी । तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कल आपने जो रिमार्क अन-कालड फार दिया उसे आप वापस करें, यदि वापस नहीं करेंगे तो अध्यक्ष के निर्णयों में यह काले अक्षरों में लिखा जायेगा । इसलिये आप अपनी कल की रूलिंग को वापस लें ।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, जो घटना कल घटी है वह अभूतपूर्व है । यह सही है कि 12 तारीख को ही यह प्रस्ताव जब सदन के सामने आया तो आपने उसे स्वीकार किया । चौधरी साहब के कहने पर आपने यह भी कहा कि इसके लिये टाइम फिक्स करेंगे । उनका प्रस्ताव एडमिट हुआ । केवल समय निर्धारित करने की बात थी । चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी जब मसला पेश हुआ तो कोई एतराज नहीं किया गया । मगर कल उसके पेश होने में बाधायें डालीं गयीं । उसमें हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन आपके द्वारा यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि किसी का नाम नहीं लिया जायेगा । जो प्रतिबन्ध लगाया था, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में कहीं ऐसी ताकत आपके पास नहीं है कि जिसके लिये यहां भाषण दिया जाये, उनका नाम कहने से रोक दिया जाये, जब तक कि इर्रेलिवेंट न हों । सुनने से पहले यह निर्देश दे देना कि आप इस तरह का भाषण देंगे, इस तरह का नहीं देंगे वह रूलिंग अजीब थी । इसके अलावा और भी जो शर्मनाक बात हुई वह यह है कि आपने सदन से हम लोगों के उठने के बाद आपने यह कह दिया कि यह गलती हुई है मुझ से । इसका बड़ा भारी प्रभाव जनता पर पड़ा है । ऐसा समझा जा रहा है कि सरकारी पक्ष का किसी तरह का आपके ऊपर दबाव पड़ा है और उसके वजह से यह पहला निर्देश भी दिया गया और बाद में सदन उठने के बाद जो आप के द्वारा कहा गया वह भी उसी से प्रभावित था । उस समय उस रूलिंग के देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह बिलकुल अप्रसंगिक थी, कोई स्थिति नहीं थी, कोई सवाल ऐसा पैदा नहीं हुआ था । कृष्णानन्द राय जी जिस समय अपनी बात कह रहे थे, उस समय भले ही यह उठ जाता और उस स्थिति में मैं भी अपनी बात कह सकता था । इसमें जनता को बड़ा भारी सुबह है कि सरकार के दबाव में आकर इस तरह का फैसला लिया गया है । इस तरह की भी हमें सूचना मिली थी परसों मिली थी और कल सुबह भी मिली कि सरकारी पक्ष की तरफ से माननीय पंडित जी की तरफ से दौड़ धूप की जा रही है तथा स्पीकर तथा दूसरे डिप्टी स्पीकर साहब को चीफ मिनिस्टर बुलाया गया है । (मुख्य मंत्री जी द्वारा नकारात्मक संकेत दिये जाने पर) मुख्य मंत्री जी इसको गलत कह रहे हैं, तो मैं इसको माने लेता हूं, लेकिन मेरी सूचना यही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया गया । ये चर्चायें जनता में पहुंची, इसलिये जनता यह समझती है कि यह आपका आजाद फैसला नहीं हुआ है और यह यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवराज सिंह--

सबके बाद में आप बोलें तो अच्छा होगा, पहले सबको आप सुन लें। मेरा नम्र निवेदन यह है कि.....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

यह आपका कहना अन्यायपूर्ण है, यह आपने सारे सदन के साथ बड़ा अन्याय किया है। जब आप में यह क्षमता नहीं है तो आपके खिलाफ भी कहीं हम अविश्वास का प्रस्ताव ले आवें।

श्री अध्यक्ष---

लावें, मैं वेलकम करूंगा।

*श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन का कार्य संचालन विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुसार अवश्य होना चाहिये। मैं आपका ध्यान नियम 312 की ओर दिलाना चाहूंगा, उसके अनुसार चाहिये। इस सदन के अध्यक्ष होने के नाते, नियम के इंटरप्रेटेशन के बारे में आपका निर्णय अंतिम होगा। इस प्रक्रिया के नियम 314 के अनुसार जो आपका निर्णय होगा वह अंतिम होगा। उसमें इस सदन में कोई आपत्ति नहीं उठाई जायेगी। यह बात भी सही है कि आप कोई भगवान के अवतार नहीं है, आपसे गल्ती हो सकती है। आपने स्वयं रूलिंग दी है कि आप उसमें सुधार कर सकते है। 12 तारीख को आपने रूलिंग दी कि इस प्रस्ताव पर 14 तारीख को विवाद होगा, लेकिन जब उस दिन आपके सामने और तर्क रखे गये तो आपने अपने स्वविवेक से जो अधिकार आपको प्राप्त था उसका प्रयोग करते हुए, आपने अपनी रूलिंग में परिवर्तन किया और आपने उस बहस में यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि आप किसी मंत्री का नाम नहीं ले पायेंगे। मान्यवर, आपकी रूलिंग से आपत्ति हम को होनी चाहिये थी कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मैं आपको बताता कि प्रस्ताव जिस रूप में पेश हुआ है वह पेश हो ही नहीं सकता था। मान्यवर, इस नियमावली में केवल तीन नियम इस प्रकार के है जिनके अन्तर्गत कोई प्राइवेट मेम्बर प्रस्ताव पेश कर सकता है। जो प्रस्ताव कल पेश किया गया है। वह केवल नियम 103 के अन्दर ही पेश किया जा सकता है। नियम 103 के प्रस्ताव के अग्राह्य होने की बातें नियम 105 में लिखी हुई है। उसमें स्पष्ट रूप से है कि कोई अनुमान नहीं लगाये जायेंगे (व्यवधान) (शोर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

प्वाइंट आफ आर्डर.....

श्री शिवराज सिंह---

मैं श्रीमन्, यह कह रहा हूं.....

श्री बांकेलाल---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो चीज गुजर गयी, आपने इजाजत दे दी, उसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इसलिये इनको मत बोलने दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरी रूलिंग को क्वैश्चन कर रहे हैं। मैंने रूलिंग दी कि इस पर बहस हो सकती है। अब उसके ऊपर चर्चा कर रहे है कि इस तरह की रूलिंग नहीं देना चाहिये। यह गलत बात हैं क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहें हैं मेरी रूलिंग को। मैंने कहा कि इस पर बहस होगी तो बहस होने लगी।

श्री शिवराज सिंह--

मेरा यह कहना था कि कल की रूलिंग पर आपत्ति हम को होनी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह--

लेकिन हमने स्वीकार कर लिया । मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि औचित्य का प्रश्न जो कार्य संचालन हो रहा है उसी से संबंधित विषय पर उठाया जा सकता है। कार्य सूची के अन्दर कोई इस प्रकार का आइटम नहीं है, तो क्योंकर आपने इस पर विवाद शुरू करवा दिया। सदन कार्य संचालन कार्य सूची के अन्दर होता है। या किसी विषय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है व्यवस्था का प्रश्न उसी विषय पर हो सकता है जिस पर सदन में काम चल रहा हो कल जो बात हो गयी उसके संबंध में आज व्यवस्था का प्रश्न कैसे हो सकता हैं, मुझे आपत्ति है कि कल आपकी रूलिंग हो गयी उस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

औचित्य का सवाल जो प्रश्न चल रहा है उस पर होगा । अब मैंने इजाजत दे दी। वह बोलने लगे ।

श्री शिवराज सिंह--

इस समय चर्चा नियम के विरुद्ध हो रही है मेरी आपत्ति यह है।

श्री अध्यक्ष--

उनको मौका दे दूं। तब मैं फैसला दूंगा।

*श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, माधव बाबू ने केवल एक चीज के बारे में अपनी असहमति प्रकट की कि जो उठते वक्त आपने निर्णय दिया कि भविष्य में ऐसी चीज नहीं हो सकती कि इस किस्म के किसी संकल्प को हाउस में लाने की इजाजत दी जाय। इसके बारे में मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर आपने किसी चीज को ग्राह्य कर लिया था किसी भ्रमवश या कानून के इंटरप्रिटेशन के सम्बन्ध में तो क्या आपको अधिकार नहीं है कि उस ग्राह्यता को आप फिर से अग्राह्य कर दें? दूसरी चीज यह है कि जिस चीज के बारे में वोटिंग करवा लेने के बाद एक निश्चय आपने कर लिया क्या उस निश्चय के परिवर्तन का अधिकार उस दिन हो सकता है जिस दिन की सूची में ऐसा कोई विषय नहीं है, जैसा कि आज की सूची में नहीं है? माननीय शिव राजसिंह ने बिलकुल सही कहा . . . . . .

श्री बंशीधर पांडेय--

लास्ट में जो आपने, आखिरी, उसको निकालने की बात हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज मंगल पांडेय—

कल माननीय अध्यक्ष ने जो निश्चय किया उस निश्चय से आप अपनी सहमति नहीं प्रकट करते हैं इस लिए चाहते है कि उसको निकाल दिया जाय। मान्यवर, कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमावली देखे। तो मैं 275 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस का शीर्षक देखे अध्याय 17—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प तथा मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव। इस प्रकार अध्याय 17 में खुल्लम-खुल्ला दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया होगी जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव होगा। जब एक स्पेसिफिक धारा हो किसी चीज के बारे में और उससे संबंधित जब कोई विषय आयेगा तो उसका अनुसरण किया जायगा। जब मंत्रि परिषद के भ्रष्टाचार की बात होगी तो अध्याय 17 के अलावा कोई दूसरा अध्याय नहीं है। धारा 275 इसके लिये निश्चित रूप से स्पेसिफिक धारा है। इस लिये उसका सहारा लेना ही आवश्यक होगा। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि हम बहुमत के बल पर उनकी मंशा पूरी नहीं होने देना चाहते। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि हमारे बहुमत को घटा दे। लेकिन यह अधिकार आप को नहीं है। इसके लिये नियमों में परिवर्तन करना होगा। इसके लिये आप 103 भी देखें। 103 में जो प्रतिबन्धात्मक क्लाज 5 है हाउस उसे हटा दे। फिर उपधारायें, 1, 2 तथा 3 को हटा दिया जाय तो कदाचित आपको अधिकार हो जाता है कि मंत्रियों के आचरण के बारे में आप जो चाहें कहें लेकिन जब तक नियमावली में 1, 2 तथा 3 ये उपराधायें है और जब तक वे हटाई नहीं जाती हैं तब तक उनका मकसद पूरा होना मुश्किल है अगर वह मंत्रियों के आचरण के बारे में कुछ कहने के लिये 275 का सहारा नहीं लेते हैं। सहारा अगर वह नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे कागज उनके पास थे लेकिन उनकी गर्दन काट दी गयी। अगर उनकी गर्दन बचानी है तो नियमों का पालन करना ही होगा। जब तक नियम हैं उनके गर्दन कटने से आप रक्षा कर नहीं सकते, न हाउस रक्षा कर सकता है। 105 में किसी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की बात वह नहीं कर सकते, यह जो बात कल आपने कही अपनी जगह पर बिलकुल सही कही और आज आप अपने उस निश्चय को बदल नहीं सकते।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से मैं अपने मित्र पांडेय जी का अनुग्रहीत हूं कि जो प्रश्न कल रह गया था वह आज दुबारा उठा दिया गया यद्यपि जिस प्रकार से वह उठाया गया है वह ठीक नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो डिसगस्टेड लोग है वही बोल रहे हैं। मंत्री कोई नहीं बोल रहा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

पांडेय जी भी हमसे अलग नहीं है इस सम्बन्ध में। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिन शक्तियों का प्रयोग किया वे निहित है 313 में। जिस प्रकार से यह प्रश्न सदन के सामने आया उसमें दो चीजें स्वीकार की गयीं। एक तो यह स्वीकार की कि निश्चित रूप से कोई बात नहीं कही गयी थी इस लिये इस प्रश्न पर यहां बहस नहीं हो सकती थी। लेकिन श्रीमन्, ने यह कहा कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री चाहते थे और उन्होंने इस सवाल को उठाया और वह सवाल सदन के सामने आया इस लिये श्रीमन् ने उनको आज्ञा दे दी।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री राजी हो गये यह भी मैंने कहा था।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसका उल्लेख 103 के अन्तर्गत किया गया लिहाजा इस पर यहां पर बहस नहीं होनी चाहिये थी। उसके बाद वोटिंग भी गलत थी। 103 में इस मानी में बहस नहीं हो सकती थी क्योंकि उसमें यह प्रतिबन्ध है कि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर केवल चर्चा हो सकती है, बहस नहीं हो सकती और वोटिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं नियम 103 दोबारा पढ़ रहा हूं—"संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो मान्यवर, चूंकि इन नियमों में जो अन्यथा उपबन्धित है उन पर चर्चा नहीं हो सकती है तो मेरा निवेदन है कि यह सदन इस चीज को निश्चित रूप से समझेगा कि विवाद दूसरी चीज है और प्रस्ताव दूसरी चीज। विवाद में बहुत सारी चीजें कह दी जा सकती हैं और जिनके सम्बन्ध में हम बाहर चर्चा नहीं कर सकते हैं, उनकी चर्चा हम सदन में कर सकते हैं। किन्तु प्रस्ताव दूसरी चीज है। प्रस्ताव विवाद से बहुत बड़ी चीज है। प्रस्ताव की एक सैंक्टिटी होती है, उसकी एक पवित्रता होती है उसके कार्यकलाप का एक स्थान होता है। कल जो प्रस्ताव किया गया था जो कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित था, वह कुछ लोगों ने उठाया था। जिन लोगों ने उठाया वे इस दल के भी हो सकते हैं और उस दल के भी हो सकते हैं और चूंकि एक विवाद उसमें उठाया गया इस लिये यह कहा गया कि इसे एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सुपुर्द किया जाय। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया कि उनके सामने भी कोई स्पष्ट और निश्चित चीज नहीं आई और इस सदन में भी कोई निश्चित चीज नहीं आई। लेकिन नियमावली के नियम 105 (1) या 105 (3) में दिया है कि उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा। तो इस प्रकार कोई निश्चित सारवान प्रश्न नहीं था। यह कहना गलत है कि चूंकि एक प्रस्ताव आया था इस लिये उसके लिये न्यायाधीश को मुकर्रर कर दिया जाय और वह निश्चित प्रश्न हो गया। यह उसके अन्दर परिणति हुई। सवाल यह है कि प्रश्न कौन सा है। इसलिये मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो आपको निश्चित रूप से कहना चाहिये, जो कल नहीं कहा गया है, कल का प्रस्ताव निश्चित रूप से नियम 103 के अन्तर्गत नहीं आता है और न वह लोक-महत्व का ही था और न उसके सम्बन्ध में कोई चर्चा यहां पर हो सकती है। लेकिन चूंकि आपने उसमें आज्ञा दे दी, और चूंकि आज्ञा दे दी तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है जो आपने कहा कि जो कल की चर्चा हो गई वह आगे के लिये प्रिसिडेन्स नहीं होगी।

*श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इन्होंने नियमों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि—कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्—उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा। तो निश्चित रूप से मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप का प्रश्न उठाया गया था। वह एक विषय निश्चित था। दूसरी चीज यह है कि उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यांगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानि कारक कथन नहीं होंगे। उस प्रस्ताव में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का आरोप लगाया गया था। इससे किसी व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन के सम्बन्ध में कहा जायगा। हम कह सकते थे कि लक्ष्मी रमण आचार्य जी, जब वे फाइनेन्स मिनिस्टर थे तो मथुरा गये थे और उन्होंने इतना रुपये का सेल्स टैक्स माफ करवा दिया था। यह हमने नहीं कहा। हमारे प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं थी। यह हमारे अधिकार में है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में भी कहें कि फलां-फलां विभाग के मंत्री ने सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग किया है और कहां-कहां किया है। यह हमको अधिकार है। उसमें सारवान रूप से वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निहित है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहा हूं किन्तु उन्होंने कहा कि आप ग्राह्य नहीं कर सकते तो उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव हमारा सही था। हमने तो इसकी नोटिस आपको दे दी थी। आप न भेजे हों तो हमारी गल्ती नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि हमको नोटिस नहीं मिली। यहीं पर उन्होंने कलकहा। मुझे तो रात में 10 बजे फोन पर बताया कि हमको नोटिस नहीं मिली। जो छपा हुआ है वही उनको मिला। इसीलिये मेरा कहना था कि वह सूचना उनके पास न पहुंची, आयन्दा ऐसी हालत न होगी। इसीलिये मैं इसको साफ करना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, आपने सही कहा कि चूंकि उनको सूचना नहीं थी, इस लिये भविष्य में ऐसा प्रश्न जब स्वीकृत होगा तो मंत्री को सूचना रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

केवल इतनी ही बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने विरोधी पक्ष को अपने कर्त्तव्य से बचा लिया, इसके लिये आपका मैं बड़ा आभारी हूं। आपने कहा कि वह आपकी गलती थी और उनको सूचना देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैं उनके डर से कांप नहीं रहा था। अगर मुझे डर होता तो उनके खिलाफ रूलिंग न देता। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई कि हमारे आफिस की गलती है और कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखने की वजह से इसे ग्राह्य समझ लिया गया यही मुख्य मंत्री जी ने भी समझ रखा था कि ग्राह्य हुआ होगा तभी कार्य मंत्रणा समिति में रखा गया है। यही चीज मुझे खटक रही थी कि दफ्तर की गलती से अगर गलतफहमी में इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो उसे मुझे गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह—

जब आपने एक गलत व्यवस्था दी तो उसे आप स्वीकार कर लें कि हमने गलत व्यवस्था दे दी। बार-बार सूचना न देने की बात क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह बात मेरे दिल में खटक रही थी कि उनसे हमने कबूल तो करा लिया कि इसे परसों लिया जायेगा और उनको इसका पता भी नहीं था कि प्रस्ताव के क्या शब्द हैं। ये शब्द जब छपे हुए उन्हें जब मिले तो मेरी आत्मा में खटक रहा था तो मैं उसी की सफाई देना चाहता हूं कि इसीलिये मैंने फैसला दे दिया कि न मालूम होते हुए भी आप वादा कर चुके थे और जिस शहर के आप रहने वाले हैं वहीं हरिश्चन्द्र हुए थे और जब मैंने रूलिंग दी तो इसी दृष्टि से दी कि चाहें इसे गलत समझा जाय या सही समझा जाय, लेकिन जब एक बार वचन दे दिया तो उसका पालन करना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गलती से पालन वाली बात न करें वरना मैं सरेंडर नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

गलती भी हो जाय लेकिन जो वचन दे दिया था तो वही मामला है कि "रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय पर वचन न जाई।" हरिश्चन्द्र ने भी यही किया था। तो एक बार कह चुके थे तो इस बात को बर्दाश्त करना चाहिये। इस लिये आखिर में मैंने कहा था कि भविष्य में ऐसे मामले नहीं लिये जायेंगे। गलतफहमी नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनको सूचना नहीं थी, कल भी कहा था उन्होंने। तो मेरे दिल में यह बात खटक रही थी कि सूचना देना हमारा काम था और अगर गलती से हमारे दफ्तर ने इसकी सूचना नहीं दी तो उसको मैंने अपनी गलती मानी और उसे स्पष्ट कहा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपकी गलती नहीं थी। मंत्रिमंडल को इसका ज्ञान था क्योंकि उनके मंत्री वहां बैठे हुए थे।

श्री अध्यक्ष--

मैं ऐसा आक्षेप नहीं कर सकता कि उनको ज्ञान था। उनको ज्ञान नहीं था। जब यह कहा जा रहा है कि मेरे दफ्तर की तरफ से उनको सूचना नहीं गयी, कार्यमंत्रणा समिति में आ गया था तो उनको सूचना जानी चाहिये थी और यह मेरी गलती है तो अपनी गलती को मैं खल्लमखुल्ला कबूल न करूं, यह मुझे खटक रहा था। इस लिये मैंने यह बात कही थी कि गलत-फहमी से कोई चीज हो जाय तो आयन्दा वह नहीं होनी चाहिये।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

आपकी गलती बिलकुल नहीं थी, आप नियम पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

इंटरप्रिटेशन सही हो या गलत हो लेकिन जब इस प्रकार की गलती हो गयी तो उसको मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि मैं कह चुका हूं सब के सामने और उन्होंने इसलिये मंजूर भी कर लिया उन्होंने कोई शिकायत नहीं की लेकिन मेरे दिल में खटक रहा था इस लिये मैंने कह दिया। अब आगे चलें

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

मान्यवर, क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों के पदों में कोई परिवर्तन हो गया है या आपके कार्यालय की गलती है जो 12 दिसम्बर के कार्यवृत्त विवरण में गोस्वामी राधाकृष्ण के लिये गृह उप मंत्री लिखा हुआ है ? हम लोगों की जानकारी के अलावा क्या वह अलहदा से गृह उप मंत्री बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रिंटिंग मिस्टेक है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य नियमावली, 1972 का निरस्तीकरण

(श्री मंत्री उप श्री सोहन लाल धुसिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 2921 (वि) 36-5-510 (वि)-71, दिनांक 5 सितम्बर, 1972, जिससे अधिसूचना सं0 1017 (वि) 36-5-510 (वि)-71, दिनांक 3 जून, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को निरस्त किया गया है, को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 40 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बिक्री-कर स्थायी समिति तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना देनी है कि बिक्री-कर स्थायी समिति के लिये 16 सदस्यों तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये एक सदस्य के निर्वाचनार्थ नियत समय के भीतर प्राप्त नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नामांकन पत्र ठीक पाये गये हैं। उम्मीदवारों की सूची संलग्न है। नामों को वापसी के लिये 18 दिसम्बर, 1972 के अपराह्न 2 बजे तक समय नियत है। अतः यदि उक्त समय तक उक्त समिति तथा बोर्ड से अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20 दिसम्बर, को 12 बजे दिन से अपराह्न 4 बजे तक तिलक हाल विधान भवन, लखनऊ में होगा।

नाम आपको वितरित हो गये इसलिये पढ़ने की जरूरत नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये। उनको स्वीकार नहीं किया है। एक श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी और श्री सुरेन्द्र विक्रम का है कि सिंचाई श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा विधान भवन के सम्मुख अपनी न्यायोचित मांगों के लिये भूख हड़ताल। यह सेवा नियमों से संबंधित है और इस लिये अस्वीकार हो जाता है क्योंकि इसी महीने सेवा नियमों की रिपोर्ट उपस्थित होगी।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

मान्यवर, एक बात सुन लें। इरीगेशन विभाग में मद में काम करने वालों को अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। इस पर एक वक्तव्य मुख्य मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपको नियम 51 मांगना चाहिये था।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उसी में कर दीजिये।

अच्छी बात है।

दूसरा माननीय नित्यानन्द स्वामी का है कि "जिला आजमगढ़ में अहरोलिया थाना क्षेत्र के सजनी ग्राम में दो सम्प्रदायों में संघर्ष एवं 41 घरों के फूंके जाने की घटना।" वह चाहते थे कि इस पर विचार हो लेकिन चूंकि यह फैसला हो गया है कि इसमें जुडीशियल इंक्वायरी होगी। लिहाजा इसकी आवश्यकता नहीं रही कि काम रोक कर बहस कराये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमान्, एक बात कहनी है। इसके दो पहलू हैं। एक न्यायोचित जांच का है वह तो हमें आप से मालूम हुआ और समाचार पत्र से आज मालूम हुआ कि न्यायिक जांच के आदेश हो गये हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू कानून और व्यवस्था का जिसका हल न्यायिक जांच से नहीं होता है। जहां पर 43 मकान जला दिये गये हों और एक महिला के साथ

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ हो और उससे वहां के आसपास के तमाम गांवों में रोष व्याप्त है और उससे डर है कि वहां की कानून व्यवस्था और अधिक खराब न हो जाय। इसलिये मेरी एक तो प्रार्थना आप से यह है कि इसको यदि आप 56 नियम में स्वीकार नहीं करते तो आप 51 में मंत्री जी का ध्यान ही दिलवा दें।

मेरी दूसरी, प्रार्थना मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से यह है कि जबकि यह विषय कल सदन में लिया गया था और कल ही बहस इसपर हुई और कल भी कौंसिल में इस न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की गई। आप ने ऐसा कई बार कहा है कि जब सदन बैठा हो...

श्री अध्यक्ष—

वह तो बहुत बार कहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं भी यही कह रहा हूं कि कईबार ऐसी घोषणा चेयर से हुई है कि सदन के बैठते पालिसी स्टेटमेंट्स और महत्वपूर्ण घोषणायें सदन में ही पहले की जायगी और अन्यत्र बाद में। कल भी यह विषय आया, कौंसिल में डिसकस हुआ तो सरकार ने जुडीशियल इन्क्वायरी की घोषणा सदन में न कर के बाहर क्यों की। क्या आप सरकार के इस एटीकेट पर उसकी प्रतारणा नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह चीज आप को उठाना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो आप अब हमें बता रहे हैं कि न्यायिक जांच का आदेश हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

जांच से संबंधित है इस लिये मैंने यह कहा...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब आपने कहा तो मैंने नोटिस लिया और उसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में बयान के लिये इसे रख रहे हैं। इसी पर आप रहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्रश्न यह है कि इस महत्वपूर्ण घोषणा को सदन में पहले क्यों नहीं किया गया, यह मुख्य मंत्री जी स्वयं बतायें, सदन के बाहर यह बयान पहले सदन के बैठे रहने पर कैसे आ गया।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है, एटीकेट यही है कि यह बयान पहले कल ही सदन में दिया जाता।

*श्री राम वचन (जिला आजमगढ)—

नियम 51 में इस को स्वीकृत करने के लिये आप को अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद है लेकिन अहम प्रश्न यह है कि कई बार हमने इस प्रश्न को विधान सभा में भी उठाया और लिख कर भी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्थिति यह है कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से परेशान किया जा रहा है, जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं उनको पुलिस के लोग, दसियों बहु संख्यकों को अकारण गिरफ्तार कर ले जाते हैं, उनको तरह तरह से आतंकित किया जा रहा है। मुझे खुद यह खबर मिली है कि दसियों गांव के अल्पसंख्यक लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है। मुडियार कांड का जो वास्तविक मुलजिम है वह फरार है, दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनका कोई दोष नहीं है। अभी अक्तूबर मास में, केवल 60 दिन पहले ही छत्रधारी सिंह स्टेशन पर मारे गये और उनको मारने वाला मुलजिम फरार है और पुलिस व सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। वह खुले आम बन्दूक लेकर घूम रहा है और अब भी तरह-तरह के षडयंत्र कर रहा है। इसी तरह से नुनारी कांड का भी वास्तविक मुलजिम जो है वह फरार है और इसी कारण से वहां इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं। यदि मुख्य मंत्री जी और सरकार के अधिकारी वास्तविक मुलजिमों को पकड़ने में सफल नहीं होंगे। तो सारी दुनिया की और जनता की दृष्टि में उन की कोई वक्त नहीं रह जायगी। वहां पर रोज साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जाता है और लोगों की जान खतरे में है। छत्रधारी सिंह का मारने वाला उन के गवाहों को खुले आम मार डालने की बात करता फिरता है वह कहता है कि उनके बिना मारे जेल में नहीं जाऊंगा। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, मुडियार में हम ने शेडो लिया अब भी हमें खतरा है लेकिन हम उसको बरदाश्त करेंगे लेकिन सरकार को सतर्क होना चाहिये कि वहां इस तरह की स्थिति है कि जो वास्तविक मुलजिम हैं वह षडयंत्र कर रहे हैं और सरकार को विवश कर रहे हैं कि वह अल्पसंख्यकों के नाम पर उनका साथ दे। लेकिन अगर यह सरकार वोट के लालच में इस तरह से उनको परिश्रय दे रही है तो उससे आजमगढ़ तबाह होगा, वहां के लोग परेशान होंगे और नतीजा यह होगा कि वहां पर रोज इस तरह के अपराध होंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी नुनारी में आतंक है। जो वास्तविक मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार कराया जाय। वहां पर हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना बढ़ायी जा रही है। किसी हिन्दू और मुस्लिम का सवाल नहीं है चारों ओर गुन्डों का भय व्याप्त है। वहां की पुलिस और डी० वाई०एस० पी० सब अकर्मण्य हो गये हैं। मुल्जिम बन्दूक लेकर फरार हैं और जब तक वह पकड़ा नहीं जायगा शायद आजमगढ़ जिले के निवासी परेशान व तबाह हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त करें। आपकी बात उन्होंने सुनली है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ)—

श्रीमन्, कल मैंने भी नियम 51 में एक सूचना दी थी लेकिन आप ने उसे स्वीकार नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री ने रात में.....

श्री अध्यक्ष—

वह चला गया था।

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, नुनारी गांव में 200 घर मुसलमानों के जला दिए गए हैं। अभी तक एक भी मुसलमान वहां पर आबाद नहीं हो सका है। यह वहां की पुलिस और एस० पी० का हाल है। सजनी गांव में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसका नतीजा यह हुआ है कि सजनी में भी 40–50 घर जला दिए गये हैं और वहां पर हिन्दुओं और मुसलमानों में टेन्शन पैदा हो गया है। जब इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट की गयी तो थानेदार मौके पर पहुंचा लेकिन फिर भी सजनी गांव पूरे का पूरा जला दिया गया है। जो राम बचन जी कह रहे हैं, कोई गारन्टी नहीं है। हिन्दू और मुसलमानों में बड़ा आतंक है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो जुडिशिशियल इन्क्वायरी का आदेश दिया है, उस में कुछ समय लग सकता है लेकिन वहां पर तुरन्त

[श्री राम विलास पांडेय]

कुछ प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। चूंकि वहां पर बड़ी भयावह स्थिति है अतः वहां पर तुरन्त आई० जी० को भेजा जाय और साथ-साथ पीड़ित लोगों को राहत देने का भी प्रबन्ध किया जाय ताकि वहां के मुसलमानों में जो भय और आतंक फैल गया है, उनमें विश्वास हो सके और वे वहां आकर अपनी खेती बारी कर सकें और यह महसूस कर सकें कि अब हमारी जान खतरे में नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिस पर अब ज्यादा बहस सदन में नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जिस बात के, माननीय सदस्य गण, दुर्भाव दूर करना चाहते हैं, वह बढ़ेगा अगर यहां पर ज्यादा बहस होगी। कल इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत हाई कोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी घोषित कर दी गयी है और यह कहा गया है कि वे 3 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दें। इस इन्क्वायरी की आवश्यकता इस लिए पड़ी कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में जो विचार हैं वे भिन्न भिन्न हैं। आई० जी० एक बार वहां पर (नुनारी) हो आये हैं। गोरखपुर के कमिश्नर को भी 4–5 दिन हुए, भेजा गया था। दोनों ने साथ साथ इन्क्वायरी की थी और दोनों की रिपोर्ट हमारे पास आ गयी है। एक बात और कही गयी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, परसों बात चीत में त्रिपाठी जी ने कुछ संकेत किया था और आज भी राम बिलास जी संकेत कर रहे हैं।

और भी जगहों से मेरे पास चिट्ठयां आईं, कुछ लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाथ है। तरह-तरह की बातें ऐसे मसलों पर आती हैं। यह दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि इधर लगातार दो तीन घटनायें हो गईं और कल ही आई० जी० को भेजा है। वे रात को ही रवाना हो गये होंगे और साथ में जुडिशियली इनक्वायरी भी की है। आई० जी० को इसी विचार से भेजा है। जुडिशियरी इन्क्वायरी तो होती ही रहेगी। उसमें किसकी क्या गलती है देखा जाय और जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये जा रहे हैं और आरोप और दोषारोप किये जा रहे हैं उनमें क्या सचाई है। जब तक जुडिशियल इन्क्वायरी होतीहै तब तक शान्ति और व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है वह जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये रुका नहीं रह सकता। उसके लिये विशेष प्रबन्ध करना होगा। मैं, मान्यवर, यह भी बताऊं कि पूरे आदेश के साथ आई० जी० यहां से भेजे गये हैं ताकि फिर कोई लिखापढ़ी नोटिंग में न हो। हमें आशा है कि यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति जो वहां उत्पन्न हुई है उसका नियन्त्रण बहुत शीघ्र हो जायेगा और उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। जिन लोगों के जान माल को नुक्सान पहुंचा है वह चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों हरिजन हों या ब्राह्मण हों वह हम सब के लिये दुःख का विषय है। उसके लिये मैं सार्वजनिक रूप से दुःख प्रकट करता हूं और समझता हूं कि तेजी के साथ उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, हरिजनों का नाम भी लिया जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह हमारा सामाजिक दोष है। कुछ शताब्दियों से यह पैदा हुआ है और रक्त में आ गया है समाज के इसी दुर्भाग्य से यह टकराव हुआ जा रहा है और बावजूद इसके कि पूरे आदेश दिये जा चुके हैं कि इसमें सख्ती की जाय लेकिन ऐसे कांड हो जाते हैं गांव गांव में तो पुलिस नहीं रक्खी जाती है। कुछ घटनायें हो गईं। कुछ सूचनायें आती हैं, कार्यवाही होती हैं। मुकदमे होते हैं, जमानतें होती हैं। दुर्घटना जो होती है उनका पता लगता है। सरकार इस पर भी सोच रही है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके लिये बहुत ज्यादा कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता पड़े। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिससे यह आवश्यकता अनुभव हो कि पुलिस रक्खी जाय और उसके खर्चे के लिये फिर वहीं की जनता से पुनिटिव टैक्स लिया जाय जिससे शान्ति और जानमाल की सूरक्षा का प्रबन्ध किया जा सके। मैं तो यह निवेदन माननीय सदन से यह करूंगा कि आप देखें कि इन्वायरी तो हमने बैठा दी है, थोड़ा सा समय दें। मैं समझता हूं कि ऐसा इंतजाम करने में आपकी कृपा से ही सफल हम होंगे कि फिर इस प्रकार की दुर्घटनायें आजमगढ़ में न होने पाये।

श्री अध्यक्ष---

मैंने नियम 51 में इसको स्वीकार कर लिया है। अगर उसकी चर्चा होगी तो उसमें शान्ति होनी चाहिये जिसमें कि शान्ति बनी रहे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, कल रात आप ने इन्क्वायरी घोषित कर दी। तो क्या कारण है कि सदन बैठा हुआ है और आपने उसकी सूचना सदन में नहीं दी। सदन के अन्दर ऐसे मामले पहले घोषित हो जाने चाहिये, ऐसी परम्परा है। और माननीय अध्यक्ष ने कई बार ऐसा कहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं नहीं समझता कि जूडिशियल इन्क्वायरी बैठाने के लिये सदन में घोषणा करना अनिवार्य है। यह कोई ऐसा बड़ा महत्पूर्ण पालिसी का प्रश्न नहीं है। यह तो शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिये है। उसमें सदन में घोषणा की आवश्यकता, मेरी समझ में नहीं थी। जो इसमें नित्यानन्द स्वामी जी को कष्ट पहुंचा है .....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचा है। अगर ऐसी परम्परा हो जाय तो.....

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जो नीति सम्बन्धी घोषणायें होती हैं उसकी घोषणा होनी चाहिये, वे बाहर नहीं जाने चाहियें। पर प्रशासकीय व्यवस्था में---कहीं किसी की पोस्टिंग कर रहे हैं, कहीं पुलिस भेज रहे हैं, कहीं ट्रान्सफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। आप तो स्वामी जी, बहुत पुराने पार्लियामेंन्टिरियन हैं। मैं भी हूं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता।

श्री राम बचन---

यह जो सरे-आम दिन में हजारों आदमियों के बीच में मार कर घूम रहे हैं, उनको पकड़ने के लिये कुछ नहीं किया गया। सरकार की ओर से आदेश जाना चाहिये कि उन को पकड़ा जाय जिन्दा या मुर्दा। आदेश होना चाहिये कि दस दिन के अन्दर या पांच दिन के अन्दर पकड़ा जाय। हम मुख्य मन्त्री जी को मार दें या किसी को मार दें और घूमते रहें तो शान्ति-व्यवस्था कैसे कायम हो सकती है? जब तक आदेश नहीं जाएगा कि जिन्दा या मुर्दा शीघ्र पकड़ा जाय तब तक शान्ति-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जो प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है वह की जा रही है। जिनके ऊपर जुर्म आयद है उनको गिरफ्तार किया ही जाएगा। आई० जी० को भी वहां भेजा गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, मान्यवर, कि सदन में कोई ऐसी बात कहूं कि फलां-फलां को मैं गिरफ्तार करूंगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक 1972†

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।...

---

† 14 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरी एक आपत्ति है। तीन बातें हैं। दो तो नियमों से सम्बन्धित हैं और एक औचित्य का प्रश्न है। सदन की नियमावली का नियम 128 देखें, श्रीमन्। इसमें लिखा है—"किसी विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक भार-साधक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तात प्रस्तुत कर सकेंगे"। इसी में फिर नीचे देखें जहां लिखा है—"किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों"। तो श्रीमन्, कल एक विधेयक वापस लिया गया और दूसरा पुरःस्थापित किया गया। अभी 24 घंटे हुए हैं। तीन दिन नहीं हुए हैं। उधर से कहा जाएगा कि कार्य-मंत्रणा समिति ने निर्णय कर दिया और सदन ने निर्णय कर दिया।

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुए)

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। 13 तारीख का जो कार्यवृत्त हमें मिला है उसको देखें। उसमें लिखा है कि श्री अध्यक्ष ने कार्य मंत्रा समिति की 12 दिसम्बर, 1972 की बैठक में लिये गए निम्नलिखित निर्णयों से सदन को अवगत कराया।....

श्री उपाध्यक्ष—

अवगत कराया होगा तो प्रस्ताव आया होगा, फैसला हुआ होगा।...

श्री विश्वनाथ कपूर—

पहले मेरी बात सुन लें, श्रीमन्। कार्यवृत्त में यह नहीं है कि प्रस्ताव रखा गया और पास हुआ।...

श्री उपाध्यक्ष—

अगर हम अवगत करा देते हैं....

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, नियम 225 और 226 भी देख लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप देखें, इसमें यह भी लिखा है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को जिसकी सूचना सदन को आज दी गयी, स्वीकार करता है। यह प्रस्ताव उप मंत्री श्री गुलाब सिंह जी ने किया.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मेरी पूरी बात पहले सुन लें। अभी मैंने नियम 128 आपके सामने रखा। मान्यवर, यह विधेयक कल आया और सबेरे देखा है। इसमें बहुत सी धारायें ऐसी हैं जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जोत विधेयक पहले वापस लिया गया है उसमें 18 एकड़ की बात थी और यह जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें 18 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की भूमि दी जा रही है। यह तो रीऐक्शनरी है। हम तो यह आशा करते थे कि इस विधेयक में साढ़े 12 एकड़ की बात होगी। मान्यवर, आप इसी कुर्सी से 128 के अन्तर्गत यह आदेश दे चुके हैं कि 3 दिन के अन्दर बटने के नहीं आना चाहिये। आपने स्वयं ही इसको माना है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि आप अध्ययन के लिये अधिक समय न दे सके हों। प्रश्न जो 3 दिन का है उसमें सदन को सर्वोपरि अधिकार है। अगर अवगत करवाने तक ही बात होती तो उसके बाद प्रस्ताव उपस्थित होता और प्रस्ताव के रखते समय आप को एतराज करना चाहिये था।

परन्तु जब सदन ने स्वीकार कर लिया है तब मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सदन के फैसले के ऊपर रहूं। इसलिये मैं इसकी इजाजत देता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या नियमों के विपरीत भी कोई चीज हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कोई नियमों का कोष या पुस्तक तो हूं नहीं। सम्मुख जो प्रश्न आता है उस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। व्यवस्था तो यही है कि प्रस्तावित किया जा सकता है। उस समय तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था जब तक कि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव करने के तीन दिन के पूर्व तक न उपलब्ध कर दी गई हों। इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी इसलिये इसकी इजाजत दी गई है। सदन ने अनुज्ञा दे दी है और मैं उसमें और कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप उसकी नियमानुकूल अनुज्ञा न दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह नहीं कर सकता हूं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं इस विधेयक के जो विशेष विशेष प्राविधान हैं उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं ताकि इस विधेयक को देखने में माननीय सदस्यों को सहूलियत हो। कल भी इस बात की चर्चा थी परन्तु समय के अभाव के कारण मैंने कोई उत्तर देने का प्रयास नहीं किया। पहले जो विधेयक पुरस्थापित किया जा चुका था उसको वापस लेने की अनुज्ञा लेते समय भी माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी। उसके बारे में म भी दो चार बातें कह दूं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसके पहले कि मैं इसके प्राविधानों की तरफ सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं मैं उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं। 9 मई, 1972 को पहले हमने इस विधेयक को पुरः स्थापित किया था और उसके बाद आवश्यकता इस बात की हुई कि हम उसे वापस लेकर उसको दूसरे रूप मे प्रारूप बनाकर सदस्यों के सामने उपस्थित करें। कल इसमें कहा गया कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियावादी प्राविधान उसमें करना चाहते हैं और कुछ और लोगों को सहूलियत देना चाहते हैं। कुछ छूट देना चाहते हैं ताकि वे लोग अपनी भू-सम्पत्ति का स्थानान्तरण कर दें।

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में कहीं पर भी इस प्रकार की आपत्ति करने की कोई गुन्जाइश नहीं है। इसलिये मैं पहले सम्मानित सदन के सामने इनमें जो अन्तर है उसको ब्योरेवार रख देना चाहता हूं। श्रीमन्, जब पहले इस विधेयक को सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था तो उस समय एक आपत्ति की गयी और वह सही आपत्ति थी। कुछ संशोधन पहले भी हो चुके थे और कुछ किये जा रहे थे। आपत्ति यह थी कि जब हम उन संशोधनों को देखते हैं तो साधारण जनता की समझ में सही-सही बात एकदम नहीं आ सकती है। उसके लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। पहले पुराने अधिनियम को हम देखें, उसकी एक-एक दफा को देखें और फिर उन परिवर्तनों को मिला सकें जो कि उसमें करते हैं। तत्पश्चात् एक-एक शब्द की जगह दूसरा शब्द पढ़ें। साधारण जनता के लिये ऐसा करना असम्भव हो जाता है। इसीलिए यह प्रयास किया है कि कुछ धाराओं में आमूल परिवर्तन कर के नयी धारायें ऐसी दे दें ताकि पहले के जो प्राविधान हैं और जो संशोधित प्राविधान करना चाहते हैं वे सब एक ही जगह आ जाएं। सब से मुख्य अभिप्राय यही था। यह बात सही है कि जब भी कोई नया काम करें तो आप कहीं न कहीं कोई दोष ढूंढ़ ही सकते हैं।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

श्रीमन्, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि कपूर साहब जो कह रहे थे मैं उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा कि पहले 18 एकड़ थी और अब बढ़ा दी गई। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से परिवर्तन किए गए हैं उनमें कोई भी अन्तर नहीं है। जो अन्तर है वह मैं निवेदन करता हूं। पहले हस्तान्तरण एवं विभाजन की बाग में पेड़ लगाने के लिए तिथि 24 जनवरी, 1970 थी जो अब २४ जनवरी १९७१ कर दी हैं। उसको सन् १९७१ करने के लिएकल माननीय नेगी जी ने यह कहा था कि यह इसलिये कर दिया जिससे कि लोगों को और हस्तान्तरित करने का मौका मिल जाए। श्रीमन्, अब और हस्तान्तरण करने का मौका ही नहीं है। 9 मई को जब वह पुरःस्थापित किया गया था तो उसी समय हस्तान्तर पर रोक लगा दी थी और तब से आज तक किसी के लिए यह सम्भव नहीं हो सक कि वह 1 विस्वा जमीन भी हस्तान्तरण कर सके। कोई भी उस विधेयक की परिधि से बच नहीं सकता है और उस के प्रभाव से नहीं बच सकता है। इस बात का भी प्रयास किया गया था कि सारे भारतवर्ष में जिन-जिन भिन्न-भिन्न प्रदेशों म हम इस प्रकार की जोत सीमा बन्दी करते हैं यदि सम्भव हो सके तो वह सारी की सारी भी आ सके तथा भिन्नता न दिखाई पड़े। दूसरे प्रदेशों में तथा अन्य स्थानों में वह 24 जनवरी, 1971 रखी गयी है। इसलिए हमने 24 जनवरी, 1970 को बदल कर 24 जनवरी, 1971 कर दी है। इसके अलावा इसमें और कोई भी इस किस्म की बात नहीं है जिससे कि हम पर आक्षप लगाया जाये कि किसी की मदद करने के लिये, किसी की सहायता करने के लिये, किसी को फायदा पहुचाने के लिये वह काम किया गया है।

एक तब्दीली यह की गई कि बाग भूमि में पपीता, केला या अंगूर की लता से आच्छादित क्षेत्र शामिल नहीं किया जाना चाहिय। पहले प्राविधानों के अनुसार वह शामिल हो सकती थी।

तीसरा अन्तर जो है वह श्रीमन्, यह है कि सिंचित भूमि की सीमा क्या होगी। सभी लोगों के दिमाग में एक बात आती थी। इसलिए आलोचना की जाती थी कि इससे लोगों की जो प्रवृत्ति है नलकूप बनाने की या कुएं बनाने की उसको ठेस पहुंचेगी। हमें चाहिये कि हम लोगों को उत्साहित करें लेकिन इससे वह लोग निरुत्साहित होंगे। यह सम्भावना व्यक्त की गयी थी कि इस जोत सीमा के बाद अपने-अपने निजी साधनों से सींचना बन्द कर देंगे। वह कोशिश करेंगे कि उनके खेतों तक पानी न पहुंचे। इसलिए यह प्राविधान किया है कि 15 अगस्त, 1972 के पूर्व जो भूमि निजी नलकूपों से संचित थी वह सिंचित मानी जायेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

15 अगस्त, 1972 कैसे रखा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह जब आप कहेंगे तो बाद में बताऊंगा।

चौथी बात यह है कि ऊसर भूमि तथा कुछ और घटिया किस्म की भूमि के ढाई हेक्टर को एक हेक्टर सिंचित भूमि के बराबर मानने का नया प्राविधान इसमें किया जा रहा है। पांचवीं बात यह है कि जहां पति-पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्र द्वारा धृत भूमि को सम्मिलित करके अतिरिक्त भूमि घोषित की जाय तो बची हुई, भूमि इस प्रकार निकाली जायगी कि पति, पत्नी आदि की भूमि का अनुपात अब भी वही रहे जो पहले था। छठीं चीज यह है कि अतिरिक्त भूमि का चुनाव करते समय यदि पत्नी की भूमि भी सम्मिलित की गई है तो पत्नी की सम्मति देना आवश्यक होगा अन्यथा पत्नी को भी नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जायगा, और इस तरह जहां वह चाहेगी वहां उसको मिलेगा।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं मन्त्री जी से आपकी इजाजत से एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मैंने तो इसको बहुत नहीं देखा है लेकिन मेरे मित्रों ने देखा है। इसमें कंपेंसेशन के सिलसिले में क्या प्राविजन है यह इसमें ढूंढे नहीं मिल रहा है। आप बतला दें जिससे समझने में आसानी हो।

श्री उदित नारायण शर्मा—

कम्पेंसेशन के सिलसिले में जो बात पहले कही गयी थी वही अब भी है। अब मैं इस विधेयक के जो विशेष प्राविधान हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह देखेंगे कि पिछली बार जो अधिकतम जोत सीमा आयी थी उसमें वर्गीकरण स्वीकृत मौरूसी दरों पर किया था। अब की बार उसे सिंचित और असिंचित के लिहाज से किया है। भूमि का वर्गीकरण तीन चीजों पर आधारित है—सिंचित, असिंचित और विशेष रूप से जो अनुपयुक्त जमीन है। सिंचित भूमि की परिभाषा कर दी है और कहा है कि जिस भूमि में वर्ष में कम से कम दो फसल हों और कम से कम दो पानी मिलते हों वह सिंचित भूमि होगी। असिंचित की यह परिभाषा है कि जो सिंचित नहीं है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

यह कैसे नियत करेंगे कि उसमें दो फसलें होगी या नहीं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उसके नियम बनायेंगे।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

तराई लैंड को क्या ट्रीट करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो सिंचित की परिभाषा में आयेगी उसको सिंचित कहा जायगा। हरेक भूमि के टुकड़े को इस तरह से नहीं बता पाऊंगा।

श्री शिवराज सिंह—

जरा यह बतला दें कि नियम इसी सत्र में रख देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बन जायेंगे तब रखेंगे। अपने सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 10 मिनट में ये सारी बातें कह दूंगा उसके बाद सारे उत्तर दे दूंगा प्रश्नों के।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

एक बात कह रहा हूं उससे आपको इसमें सहायता मिल जायगी। अगर कोई अपने पड़ोसी के ट्यूबवेल से अपनी जमीन सींचता है तो क्या वह सिंचित मानी जायगी या असिंचित हो जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उससे दो फसल अगर साल में लेते हैं और प्रत्येक फसल को उसकी दो पानी मिलते हैं तो सिंचित मानी जायगी।

श्री भानुप्रताप सिंह—

फिर उसके लिये क्या अश्योरेंस है कि उसका पड़ोसी उसको पानी देगा या नहीं ? अगर न दे तब भी सिंचित मानी जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उसके लिये भी सोचेंगे। यह भी हो सकता है कि बचने के वास्ते सब लोग अपने पड़ोसी से कहला दें कि पानी नहीं देंगे तो क्या होगा ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय किदवाई ने तराई की भूमि के बारे में पूछा था तो शायद उनका तात्पर्य उस भूमि से है जो बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती रहती है। कभी पानी आता है, कभी निकल जाता है। तो उसको आप सिंचित मानेंगे या असिंचित? कभी उसमें बाढ़ से बालू पड़ जाती है कभी मिट्टी पड़ जाती है तो उसको सिंचित मानेंगे या असिंचित?

श्री उदित नारायण शर्मा--

फिर कौन सी सिंचित मानी जायगी और कौन सी असिंचित यह अदालतों में तय होगा। नई जोत की जो सीमा रखी गई है साढ़े तीन हेक्टेयर सिंचित भूमि...

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

अभी बतलाया कि अदालत तय करेगी तो क्या मन्त्री जी अपने को असमर्थ पा रहे हैं कि इस बिल के द्वारा कोई ऐसा उसमें प्राविधान कर सकें जिससे यह मुकदमेबाजी तो न बढ़े? क्यों इतने मुकदमे चलवा रहे हैं? उसकी मंशा स्पष्ट होना चाहिये।

श्री उदित नारायण शर्मा--

उसमें असमर्थता की कोई बात नहीं है। सारे नियम जब आपके सामने आ जायेंगे उसके बाद ही इस पर विचार कर सकेंगे और आपके सामने पूरी तस्वीर आयेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

जरा मुझको इजाजत दे दी जाय एक सवाल करने की। बुन्देलखंड का तो मुस्तस्ना ही हो गया और हमको बांध रहे हैं 18 एकड़ या कम पर। लेकिन कुछ इसी प्लेन में भू-भाग हिस्से हैं जिसमें यह तराई लैन्ड पड़ जाता है। उसमें ट्रैक्ट्स के ट्रैक्ट्स लाखों एकड़, जमीन के पड़े हैं, वहां कितना रहेगा जोत का मयार?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, जो भी भूमि सिंचित नहीं है, तो असिंचित होने के नाते 27 एकड़ की सीमा होगी और कुछ क्षेत्र जो इसमें लिख दिये गये ह जिसका प्राविधान किया गया है वहां पर वह 45 एकड़ होगा। इसमें आप कृपा करके देख लें कि किसके सम्बन्ध में है।

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह जो अदालत सुपुर्द करते हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अदालत के सुपुर्द नहीं है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां कभी एक भी साल में बाढ़ नहीं आयी और कभी आ गयी तो उसको क्या मानेंगे। एक इलाका तो आपने बतला दिया बुन्देलखंड का, मगर यह जो निघासन तहसील या खीरी के तमाम इलाके की जमीन है उसका क्या होगा?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मेरा निवेदन यह है कि ये ही सब बातें हैं जो विचार के समय माननीय सदस्य व्यक्त करेंगे और उसके बाद मैं उन सबका विस्तार से उनको सुनकर उत्तर दूंगा। लेकिन अगर इसी समय हर बात तय हो जायगी तो विचार कोई नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं आपका ध्यान इसके विशेष प्राविधानों की तरफ आकर्षित करता हूं और कोशिश करूंगा कि बाद में प्रत्येक का उत्तर दूं आपका।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

एक ट्यूबवेल से ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ जमीन सींची जा सकती है। तो क्या आप पूरे 18 एकड़ को इरीगेटेड ट्रीट करेंगे जब वह ट्यूबवेल से सींच भी नहीं पाता है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह कहीं नहीं कहा गया है कि 18 एकड़ एक ही ट्यूबवेल से सींची जानी चाहिए या दो ट्यूबवेल से सींची जानी चाहिये या नहर से सींची जानी चाहिये या लिफ्ट इरीगेशन से सींची जानी चाहिये ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

अगर नहीं सींच पाता है तो 8 एकड़ आप अनइरीगेटेड ट्रीट करेंगे या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे कहने दीजिये। इस प्रस्तावना के साथ में इस विधेयक को श्रीमन् के सामने प्रस्तुत करता हूं कि श्रीमन् इस पर विचार प्रारम्भ करें ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन एक मास में दें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री विश्वनाथ कपूर (कुछ देर बाद) नहीं हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा। (कुछ देर बाद)– यह भी नहीं हैं। तो इन दोनों का पेश नहीं किया जायेगा ।

*श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने जो संशोधन रखा है अगर गवर्नमेंट इसके लिये राजी हो जाय कि इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो एक निहायत उचित बात होगी क्योंकि यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है, एक बड़े महत्व का यह मामला है जो इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत है। मैं नहीं समझता कि जैसा महत्व यह विधेयक रखता है बिना प्रवर समिति के सुपुर्द किये हुए गवर्नमेंट इस तरह से हल करे कि हाउस को क्योंकि 31 दिसम्बर तक आपका कमिटमेंट है। हम आपकी कठिनाई की कद्र करते हैं लेकिन सारी कठिनाई तो यह है कि आपने पहले मई के महीने में बिल पेश किया था और आपके संगठन की जो उच्च सत्ता है उसने भी अपना अन्तिम निर्णय शायद अगस्त या जुलाई में कर लिया था । तब से आपको बहुत समय मिला कि आप संशोधित रूप में लाते। वह भी हमारा कन्सर्न नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने विधेयक को वापस लेकर नया विधेयक लाना चाहते थे तो नवम्बर में ले आते और अगर आप अब लाये हैं तो कम से कम 15 दिन के लिये सुपुर्द करते और 27 दिसम्बर से इसकी थर्ड रीडिंग हो जाती। तो यह गलत, मैं समझता हूं, राजस्व मन्त्री जी की तरफ से हुई है जिसको वह उदारता पूर्वक स्वीकार करेंगे। अब चूंकि बिजनेंस ऐडवाइजरी कमेटी में कुछ बातें तय हुई हैं, उनकी रोशनी में सदन जो भी विचार करना चाहे वह दूसरी बात है, लेकिन वैसे मैं समझता हूं कि यह प्रवर समिति को सुपुर्द होना चाहिए । ऐसे मौकों पर बिल के उसूलों पर अपने-अपने सुझाव देने का अधिकार माननीय सदस्यों को होता है और उसी अधिकार का मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, और जिस प्रकार से यहां पर जमींदारी समाप्त हुई उस प्रकार से अन्य किसी सूबे में नहीं हुई। हमारे यहां तो हर आदमी को जो जमीन पर काबिज था चाहे उसका नाम दर्ज हो या न हो या किसी हैसियत से भी हो, या काबिज नहीं था तो भी काबिज करा दिया गया सरसरी की प्रोसीडिंग्स द्वारा डिप्टी कलेक्टर को भेज कर। इस प्रकार की सबको परमानेंसी दे दी गयी। यह दूसरे सूबों में नहीं किया गया। यहां शिकमीदारों को अधिकार मिला जबकि दूसरे सूबों में उनको डंडे से हांक दिया। जो यहां हुआ वह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ। इन शिकमी और बिना तशफिया लगान लोगों में एक तिहाई हरिजन भाई थे। उस समय यह जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर पंडित पन्त ने सुपुर्द की थी। समाजवादी लोग थे, उनसे भी इसके लिए लड़ना पड़ा था इन गरीब लोगों के हक में...।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक मिनट रुक जायें कृपया। मैं राजस्व मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बिल में यह जो 8 है, इसमें कुछ कटा हुआ है, यह फरवरी, 1970 है या जनवरी, 1971 है।

श्री ललित नारायण शर्मा—

यह 24 जनवरी, 1971 है।

श्री चरण सिंह—

तो मैं यह कह रहा था कि जो काम अपने सूबे में हुआ वह दूसरे सूबे में नहीं किया गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बेदखल करने का हक अंग्रेजों के समय में 30 एकड़ से 60 एकड़ तक था। इसका पूरा हक उस समय उनको था। उस समय 30 एकड़ से 60 एकड़ तक जमींदारों को अपनी खुद काश्त के लिये बेदखल करने का हक सब सूबों में था सिवाय उत्तर प्रदेश के। जब मिस्टर आर० एस० गुप्ता दिल्ली गये और वहां के रेवेन्यू सचिव हुए, तो उन्होंने दिल्ली के भी लोगों को यह अधिकार दे दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि पुराने कानून के मुताबिक जो लोग काश्त कर रहे थे उनकी सुरक्षा हुई, किसी को बेदखल नहीं होने दिया गया पूरा अधिकार उनको मिला। मेरे मित्र अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 25 वर्ष पूर्व मैकेनाइज्ड फार्म थे ही नहीं। यह स्वराज्य की देन है। उसमें जो काश्तकार थे वह निकाल दिये गये, सब टेनेन्ट्स को धता बताया गया, बिना तस्फिया लगान का कोई सवाल उठता नहीं। इस तरह से मेकेनाइज्ड लाज फार्म स्थापित हुये। तराई के रिक्लेमेशन की बात और जगह है नहीं। जहां एडिशनल कल्टीवेशन हो रही थी, वहां पर लार्ज मेकेनाइज्ड फार्म नहीं थे।

अब समाजवाद है। मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों के पास अखबारों की रिपोर्टरों के अनुसार 23 सौ और 27 सौ एकड़ के फार्म थे। तो मेरा मतलब यह है कि पहले लोगों को बेदखल किया गया, डंडे से हांका गया, फिर राइट आफ परमानेंसी में जमीन ली गई। अब आप सीलिंग की बात कह रहे ह। किसी को बेदखल वगरह न किया जाता तो अपने देश में जो हानि हुई है वह अपने यहां बहुत कम होती। हमारे सूबे के अन्दर जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबर है, राजस्थान और आसाम को छोड़कर उनकी सबसे कम तादाद हमारे सूबे में है। सीलिंग क्यों लगनी चाहिये, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता था, इस बारे में मैं बताये दे रहा हूं, जहां बड़े-बड़े फार्म्स हैं, ज्यादा तादाद में एग्रीकल्चरल लेबर हैं, वहीं पर कमयुनिजम ने सर उठाया है। इसीलिए यही मैंने कहा था कि इनको अधिकार दे दो, कम्युनिजम सर नहीं उठायेगा। बिहार में 64 परसेंट और अपने यहां 67.4 परसेंट ऐसे काश्तकार हैं। बड़े काश्तकारों की, बड़े खातेदारों की संख्या बहुत कम थी।

पन्त जी के समय में इस मसले पर विचार हुआ था उनकी राय 25 एकड़ और हमारी राय 30 एकड़ को पैमाना मानने की थी, तो 30 एकड़ से ऊपर के खातेदार बड़े काश्तकार

हैं। लैण्ड होल्डिंग टैक्स चला। चलो ठीक था एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स होता तो बड़ा करप्शन होता। उस हिसाब से केवल 8 हजार कुल फार्म सन् 1957-58 में ऐसे थे, जो बड़े-बड़े फार्म थे। एक लाख 12 हजार गांवों में 8 हजार बड़े खाते थे। यानी कि 14 गांव में एक। इस हिसाब से गांव में एक बड़ा फार्म पड़ता था। पहली फाइव इयर प्लान में इसका जिक्र आया तो हमने यह कहा लैण्ड होल्डिंग टैक्स बड़े-बड़े फार्मों पर लगे, जो बड़ा टैक्स दे सकते हैं दें, फार्म रहें और बाकी खत्म हों। तो उन पर हमने टैक्स लगा दिया। हमारे यहां पहले से कानून बना हुआ था, जो अन्य सूबों में पहले नहीं था। किसी आदमी के पास पहले से जमीन थी तो वह साढ़े 12 एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता था। इस तरह से अपने आप एक ऐडजस्टमेंट हो गया। अब तय यह हुआ कि सीलिंग लगनी चाहिये।

मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। मेरे तीन कारण हैं। एक कारण यह है कि सामाजिक न्याय का तकाजा है—मैं जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में 'हजारों मीटिंग्स एड्रेस कीं—यह धरती कुदरत की बनायी हुई है, परमात्मा की रची हुई है। उस पर सारी कौम का हक है। लेकिन सारी कौम मिल कर खेती नहीं कर सकती। कुछ लोग खेती करेंगे इस लिए उनको कुछ अधिकार देना चाहिये, मालिक बनाना चाहिए, वगैरह, वगैरह। जमीन जो कुदरत की है, परमात्मा की सृजन की हुई है, सारे कौम की हुई लिहाजा कुछ लोग उसको ज्यादा घेर कर बैठ जायं, और कुछ के पास जो खेत पर ही मेहनत करते हों उनके पास बिल्कुल न हो यह अन्याय है। न्याय का तकाजा यह है कि बड़े लोगों के पास जितनी ज्यादा जमीन है—ज्यादा जिसके पास है इसका सवाल उठता है, लेकिन यह मान लें कि ज्यादा जमीन है तो उनके पास नहीं रहनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि उसके दिल में काटे की तरह चूभता है कि एक आदमी का महल खड़ा हुआ है, झाड़ फानूस लगे हुए हैं, हर तरह की ऐश व आराम है और एक हजार आदमी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको तकलीफ होगी। और सब गरीब हैं तो तकलीफ रहेगी लेकिन कांटा नहीं चुभेगा। क्योंकि सब बराबर हैं। दुनिया में इनइक्वैलिटी न रहे, इनइक्वैलिटी तो रहेगी क्योंकि एबिलिटीज अनइकुवैल हैं, असमान योग्यता है, कैसा ही कानून बनायें, उसके नतीजे के तौर पर असमान प्रापर्टी भी उसके पास रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट का फर्ज यह है कि असमानता अधिक न हो। यह सोशल जस्टिस हुआ। इसलिए सीलिंग जायज चीज है।

दूसरे इसलिए भी जायज समझता हूं जो माननीय भानु प्रताप सिंह जी बैठे हैं वह उससे सहमत नहीं हैं कि छोटी जोत पर फी बीघा पैदावार ज्यादा होती है, अगर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज बराबर हों। एक आदमी के पास 50 एकड़ है और पांच आदमियों के पास दस-दस एकड़ हैं और बराबर पानी, खाद, बीज की सहूलियत दे दीजिये तो जिस किसान के पास पांच एकड़ है उसकी फी एकड़ पैदावार कम होगी बमुकाबले उन पांच फार्मों के जिनके पास दस-दस एकड़ जमीन बंटी हुई है। अब हमारे मुल्क की जो हालत है जमीन कम है। आदमी ज्यादा हैं। जमीन लिमिटिंग फैक्टर है। अर्थ शास्त्र का मोटा सिद्धान्त है कि लैन्ड नैचरल रिसोर्सेज और लेबर में जो लिमिटिंग फैक्टर है, उसका मैक्समम यूटिलाइजेशन हो, चाहे दूसरे फैक्टर्स का उतना उपयोग हो सके या न हो सके। लेबर की हमारे यहां कमी नहीं। कैपिटल बेशक कम है लेकिन उतना नहीं जितना कि जमीन कम है। कैपिटल मेहनत का नतीजा है। खाने से जितना बच जाता है वह कैपिटल है। वह भी उतना कम नहीं है। कम है जमीन लिहाजा अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार फी बीघा जमीन की पैदावार ज्यादा हो, चाहे जो आदमी उस पर लगे हुए हैं, उनका फिक्स मुनाफा कम क्यों न हो जाय क्योंकि मुल्क की दौलत तभी बढ़ेगी जब जो लिमिटिंग फैक्टर, जमीन की पैदावार सबसे ज्यादा हो जाय।

जो फार्म्स हैं, प्राइवेट फार्म्स, कोआपरेटिव फार्म्स, स्टेट फार्म्स या कलेक्टिव फार्म्स या चार सेक्शंस होते हैं। तो वह अपने देश के हित में नही है, छोटे-छोटे फार्म्स ही अपने देश के हित में हैं। समय की कमी है इसलिये मैं इसे छोड़े देता हूं। पैदावार के लिये अपने देश के पब्लिक इंटरेस्ट का तकाजा है कि जमीन का अनईकुअल डिस्ट्रीब्यूशन कम होना चाहिये और

[श्री चरण सिंह]
लैंडसीलिंग होनी चाहिये। छोटी होल्डिंग्स पर रोजगार ज्यादा मिलता है । किसी इलाके को ले लीजिये । अगर वहां बड़े-बड़े होल्डर्स हैं तो वहां खेती पर जितने लोग लगे हुए हैं वे वहां रोजगार कम पायेंगे बनिस्बत छोटे-छोटे किसानों के । इसलिये भी जरूरी है सीलिंग लगे ।

अध्यक्ष महोदय, ये मेरे परिपक्व विचार हैं । गलती हो सकती है लेकिन मेरी राय पक्की है । उसके बारे में मेरा यह ख्याल है कि सीलिंग के लगने से कोई मसला किसी ज्यादा हद तक पूरा होने वाला नहीं है । समस्या हल होने वाली नहीं है । मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे हमारी सारी पार्टी इस बात पर जोर देती है कि जमीन तकसीम हो, लैंड की सीलिंग हो उससे ऐसा जाहिर होता है कि जिस रोज यह काम पूरा हो जायेगा उस रोज देश की गरीबी मिट जायगी, देश मालदार हो जायगा और वहां दूध व घी की नदियां बहना शुरू हो जायंगी । ऐसा नहीं होगा । बहुत कम फर्क पड़ेगा । बहुत कम जमीन मिल सकेगी । मिल सकती थी तो 15 साल पहले मिल सकती थी । आज कुछ होना नहीं है । 15 साल पहले भी जो जमीन मिलती वह कम ही लोगों को मिलती । जितने लोगों के पास जमीन है उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जिससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है । उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ तक जिनके पास जमीन है वह 37 परसेंट आदमी होंगे । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट की रिपोर्ट, वाल्युम 2 के आंकडे देख कर बडे-बडे प्रोफेसर्स, इकोनामिस्ट्स तथा पोलिटिकल साथी यह नतीजा अक्सर निकाल लेते हैं कि दो एकड़ तक जमीन वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है । बहुत ज्यादा 35 भी है लेकिन 35 से ज्यादा नहीं है । आंकड़े देखेंगे तो 56 परसेंट पायेंगे लेकिन वह आंकडों के इन्टर प्रिटेशन की गलती है लेकिन लोग वह गलती करते ह ।

एक किसान के नाम 6 खेत लिखे हो सकते हैं और एक ही जमींदार से 6 पट्टे उसके नाम हो सकते हैं । इस प्रकार से उसमें खातेदारों की संख्या है, फेमिली की संख्या नहीं है । खातेदारों की इक्वेट करते हैं फेमिली के साथ और जितनी फेमिलीज तब थीं उससे दूनी हो रही हैं संख्या खातेदारों की। यह हिसाब नहीं लगाया कि इतने किसान परिवार नहीं हैं। यह गलती होती है । इस समय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुल परिवार की जमीन हर प्रकार से मिला कर 30 परसेंट है । अब से 10 साल पहले जो इकोनामिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट का सर्वे हुआ उसके अनुसार और कुछ अधिक नहीं होना था। औलाद बढ़ी । जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है उनको 6,7 एकड़ जमीन मिलनी चाहिये लेकिन कहां वह जमीन । दो तीन लाख एकड़ जमीन होगी जो मिलेगी । 10 साल पहले बहुत कम मिलने वाली थी । माननीय राजस्व मंत्री ने जो पहला बिल पेश किया था उसके मुताबिक किसी प्रेस कान्फ्रेंस में यह कहा था कि तीन लाख एकड़ जमीन मिलेगी । इसलिये आपसे आंकड़े मांगे थे और राजस्व विभाग की उस रिपोर्ट को मेज पर रखने के लिये कहा गया था जिसमें पिछले 10 साल की बृहत् जोतों का क्षेत्रफल, लार्ज स्केल होल्डिंग्स को दिखाया गया है । उससे पता चल जाता है कि कितनी जमीन अवेलेबुल होगी । लेकिन ये सारे आंकड़े मुझे नहीं भेजे गये । जो जवाब उन्होंने मुझे दिया है । उसमें उन्होंने दो-तीन चीजें तो अवश्य भेजी हैं उसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं लेकिन बाकी आंकड़े मुझे नहीं भेजे गये । मैंने यह जानना चाहा था कि कितनी जमीन अवेलेबुल होगी। इससे ज्यादा पर्टिनेन्ट और रेलीवेन्ट प्रश्न और क्या हो सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि 46 हजार एकड़ जमीन अवेलेबुल होगी । वही हिसाब मैं आपसे पूछना चाहता था। वह 46 हजार हो, 50 हजार हो या 1 लाख हो लेकिन वह आंकडा आना चाहिये था।

हमारे सूबे के सन् 71 के जो प्रोविजनल आंकडे आये उनमें 76 प्रतिशत वर्कर खेती में लगे हुये 59 प्रतिशत कल्टीवेटर हैं, 17 प्रतिशत लेबरर हैं और 2 एकड़ से कम वाले जो किसान हैं उनमें से 1/3 हरिजन हैं । वेस्ट में कम हैं और ईस्ट में ज्यादे हैं । एग्रीकल्चरल लेबर की तादाद 17 प्रतिशत है और हरिजनों की तादाद 18, 19 प्रतिशत है । इसका मतलब यह हुआ कि न केवल हरिजन ही एग्रिकल्चरल लेबरर्र हैं और न एग्रिकल्चरल लेबरर ही हरिजन हैं । मेरी राय में साढ़े सात एकड़ से कम इकानोमिक होल्डिंग नहीं होती । तो हमारी

आबादी यानी 9 करोड़ में 17 प्रतिशत फेमिलीज लेबरर हैं । 5 आदमी मान लीजिये और फेमिलीज हुई 30 लाख । तो इसमें एग्रिकल्चरल लेबरर को जमीन सवा छ एकड़ के हिसाब से दी जाय तो 1 करोड़ 90 लाख के करीब होगा और कुल जमीन आपके पास साढ़े चार करोड़ है । तो मतलब यह है कि ऐसे ही सभी सूबों की हालत है । मैं सब के आंकडे देकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । अगर जमीन कहीं मिल सकती है या मिल सकती थी तो पंजाब और हरियाणा में, जब कि ये दोनों राज्य एक ही में शामिल थे । उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र और मैसूर का नम्बर आता है और कहीं आपको जमीन मिलेगी नहीं । लेकिन वसूल की बात है, करना चाहिये, हमारे हक में है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इससे मुगालता नहीं होना चाहिये कि हमारी समस्या हल हो जाय । यह तो 15 साल पहले होना चाहिये था । किसी ने इस बात को सोचा ही नही सोचा यह गया कि मसला ऐसे में हल होगा जिसमें ज्यादा लोग काम पर लग सके जैसे हैवी इन्डस्ट्रीज । मैंने अनेकों बार यह सुझाव दिया था कि आप काटेज इन्डस्ट्रीज पर ज्यादा जोर दें तो कहा गया कि हां, काटेज इन्डस्ट्रीज होनी चाहिये लेकिन हैवी इन्डस्ट्रीज भी होनी चाहिये ।

हैवी इन्डस्ट्रीज होनी चाहिये लेकिन हैवी इन्डस्ट्रीज का मतलब यह है कि उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी । स्वराज्य के बाद न मालूम कितने टाटा बिड़ला पैदा हो गये और स्टेज पर कहने से मालूम होता है कि किसी और ने पैदा कर दिया । यह सब गवर्नमेंट का क्रिएशन है । हैवी इन्डस्ट्रीज से लास ही लास है । महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना चाहिये तब जाकर बेरोजगारी मिटेगी । आपकी तरफ से जो पेपर निकला है उसमें काटेज इन्डस्ट्रीज का नाम नहीं है, गृह उद्योग का नाम नहीं है जब कि गृह उद्योग में 70 प्रतिशत आदमी लगे हुए । स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का जिक्र किया गया है लेकिन स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का ही मतलब है लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज । उसमें भी लोगों को इम्पलायमेंट मिलेगा लेकिन उस तरफ ध्यान रखते हुए भी काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है । गाडमुंडारे एक बड़ा अर्थशास्त्री है जो सोशलिस्ट है उसने एशियन ड्रामा नामक एक किताब लिखी है । दस साल में दर्जनों इकोनामिस्ट्स की मदद लेकर उसने वह किताब लिखी है जो तीन जिल्दों में 2500 सफे की है । सारी औद्योगिक नीतियों की विवेचना करते हुए वह इस नतीजे पर पंहुचा है कि इसके लिये एक ही रास्ता है और ये अल्फाज वही हैं जो महात्मा जी के हैं कि "ठीक है लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हो लेकिन उसके साइड वाई साइड गृह उद्योग भी लगाये जांय" । इससे स्पष्ट है कि अनेक दशाब्दियों तक हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, –इन सब देशों से अनइम्पलामेंट दूर करने का एक ही इलाज है कि काटेज इन्डस्ट्रीज लगे । मैं राजस्व मंत्री अगर उनके सहयोगियों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप उधर ध्यान नहीं देंगे तब तक न बेरोजगारी मिटेगी और न लोगों की आमदनी ही बढ़ाने का मसला हल होगा ।

आज जो सर्विसेज हैं उनको भी आप मैकेनाइज्ड करते जा रहे हैं । मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप भी पुराने सोशलिस्ट हैं और आज उस कांग्रेस में हैं जो सोशलिज्म में विश्वास करती है, तो श्रीमन्, आपके जरिये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोटी, का काम, बेकरी के काम को भी गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर मैकेनाइज्ड क्यों करने जा रही है ? बेकरी फैक्टरीज खोल कर क्या सरकार रोटियों को दूसरे देशों को एक्सपेर्ट करेगी जिससे दूसरे देशों से मुकाबला कर सके ?

अब सुना है कि प्रिफेब्रिकेटेड हाउसेज भी बनाये जा रहे हैं । दिल्ली में कोई हिन्दुस्तान प्रिफेब्रिकेटेड फैक्ट्री है जिसमें मकानों के दीवार के दीवार बना कर खड़े कर दिये जाते हैं लेकिन ये ज्यादा कीमती हैं बनिस्बत हाथ से बनाये गये मकानों के । गांवों में करोड़ों आदमी खाली बैठे हैं। जैसे–बढ़ई, हैं, लोहार हैं, ईट पाथने वाले पथेरे हैं, राज हैं, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उन सब का रोजगार चला जायेगा अगर आपने हाउसेज को भी मैकेनाइज्ड तरीके से बनाना शुरू

[श्री चरण सिंह—]

कर दिया । आपकी गवर्नमेंट का फैसला है कि प्रिफेब्रिकेटेड हाउसिंग फैक्ट्रीज बनायी जांय । जब देश के लोगों ने ताजमहल को बना दिया तो क्या ये अपने रहने के लिये मकान नहीं बना सकते ? मिट्टी खोदने वाली मशीन, मिट्टी ढोने वाली मशीन, पुल भी प्रिफेब्रिकेटेड, इस तरह से मैकेनाइजेशन का एक फ़ेज पैदा हो गया जिससे देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जायेंगे तो न तो एग्रीकल्चर को मिकेनाइज करने की जरूरत है और न लेबर को मिकेनाइज की जरूरत है । हां इन्डस्ट्रीज के लिये जरूरी है । बाकी सब इन्डस्ट्रीज जो छोटे पैमाने पर चल सकती हैं उनके लिये चीजें बनाने के लिये किसी बडी फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा हिस्सा इकोनोमिक एक्टीविटीज का सेवा है। इसको मिकेनाइज कर रहे हैं । जब तक आपका इधर ध्यान नहीं होगा तब तक मसला हल होने वाला नहीं है । आपके दिल को तसल्ली जरूर हो जायेगी कि आपने ऐक्ट पास कर लिया । मान लेते हैं कि जमीन मिल भी जाये तब भी बेरोजगारी और गरीबी मिटने वाली नहीं है ।

अब मैं आपके बिल के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं । आपने कहा कि हम जो जमीन तक्सीम कर रहे हैं उसमें यह देख रहे हैं कि एक बार सिंचाई होती है या दो बार होती है या बिल्कुल नहीं होती है। माननीय भानुप्रताप सिंह जी बहुत सी बातें रखेंगे । इस आधार पर आप जमीन तक्सीम कर रहे हैं। मान लो कोई पड़ोस से उधार लेकर सिंचाई करले तो वह किधर आयेगा । आपने जमीन की कीमत दे दी तो क्या उसको वापस करेंगे जब उसे ले लेंगे, यह कठिनाई है । इसमें यह है कि दोनों फसलों में दो आबपाशी होनी चाहिये तो इसका आशय स्पष्ट नहीं है कि एक फसल में दो बार आबपाशी होनी चाहिये या दोनों फसलों में केवल दो बार आबपाशी होगी । फिर यह कि नहरी खसरे में आबपाशी का रिकार्ड मिल जायेगा। इसमें इन्टरपोलेशन्स हो सकते हैं। सिंचाई ट्यूबवेल विभाग से वसूल की जाती है । वे लोग जान सकते हैं कि कहां इन्टरपोलेशन्स हो सकते हैं। फिर यह कि कितने पानी देने की बात है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय चौधरी साहब, इसमें बिलकुल साफ हैं कि हर फसल को दो पानी मिलने चाहिये ।

श्री चरण सिंह—

अब इसमें एक दिक्कत यह भी आयेगी कि कोई आदमी यह कह सकता है कि बारिश हो चुकी है । मेरा तो इसी से काम चल जाता । मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि लिटीगेशन होगा । दूसरी बात यह है कि जमीन क्वालिटी डिटर-मिन करने के लिये आपने इरीगेशन विभाग के ऊपर छोड़ा है । जमीन की यानी स्वाइल की क्वालिटी तय करने के लिये कई बातों की जरूरत होती है । पहला स्थान जमीन के स्ट्रक्चर को देते हैं, फिर इरीगेशन को स्थान देते हैं, फिर इस बात को स्थान देते हैं कि जमीन से बाजार कितनी नजदीक हैं, फिर इसको स्थान देते हैं कि सड़क कितनी दूर हैं, और न जाने कितनी चीजों को ध्यान में रखा जाता है तब कहीं स्वाइल की क्वालिटी निर्धारित की जाती है । लेकिन आप केवल इरीगेशन से ही कराना चाहते हैं । एक जमीन खराब है उसमें इरीगेशन हो गई है । जब आपकी नहर चलेगी तो वह इरीगेटेड होगी ही। उसकी बेहतरीन जमीन में आबपाशी नहीं हो पाती है । देवरिया में कुछ इलाका ऐसा है जिसमें गन्ना पैदा होता है । और उसमें आबपाशी की जरूरत नहीं होती है । वह घाटपार एरिया है । इसमें एक बार भी आबपाशी की जरूरत नहीं है । और गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार होती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बिलकुल होगा । मेरे मित्र की जो पार्टी है उसको कठिनाई है । बहुत से सूबों में बन्दोबस्त नहीं हुआ है इस तरह का जिस तरह का हमारे यहां हुआ है ।

आप एग्जेम्पशन करा लेते, अब भी करा लीजिये, 31 दिसम्बर कोई वेद वाक्य नहीं है। मैं आप को बताता हूं कि इसमें बड़ी कठिनाई, लिटीगेशन, बेईमानी और करप्शन होगा। इस वास्ते बन्दोबस्त में जो किस्म जमीन रखी है उसके हिसाब से आप काम कीजिये। अब तो इधर एक और भी सहूलियत हो गई है कि बन्दोबस्त तो यहां 34 से 43 तक हुआ था लेकिन बाद में चकबन्दी हुई, उसमें नियम यह है कि गांव के सब खातेदारों को नोटिस दिया जायगा, वह सब चौपाल में इकट्ठा होंगे और चकबन्दी के वक्त सी० ओ०, ए० सी० ओ०, मौजूद होंगे और वहां 16आना रुपये की यूनिट मानकर आनों में हर खेत की क्वालिटी का वेल्यूएशन आंका जायगा। वहां सब मौजूद रहते हैं और अगर किसी को वहां के निर्णय से इखतलाफ होता है तो उसे अपील का हक होता है। यह तरीका तो बन्दोबस्त द्वारा निर्धारित क्वालिटी से भी बेहतर है। जहां चकबन्दी नहीं हुई है वहा पर अगर बन्दोबस्त के हिसाब से देखा जाय तो काम चल सकता है।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा आप के द्वारा मंत्री जी से...

श्री उपाध्यक्ष—

चकबन्दी का मूल्यांकन बहुत गलत हुआ है।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मनुष्य के किये हुये और बनाई स्कीमों में गलतियां रहती ही हैं, इसलिये सवाल वेस्ट और गुड का नहीं है सवाल यही है कि लेसर ईविल रहे तो काम चल सकता है। गलती हुई होगी वह ठीक है लेकिन अपील की गुंजाइश रखी गई थी। आपने जमीन को 2 किस्म में ही बांटा है जबकि एक गांव में 10–10, 8–8 और 6–6 किस्म की जमीनें हैं। इसलिये अगर आप केवल 2 ही किस्मों में जमीनों को तकसीम करेंगे तो उस म बहुत ज्यादा एनामलीज होंगीं। मेरा प्रोपोजल है कि आप जमीनों का यह विभाजन कम से कम 3 किस्म में कर दें। सुपीरियर, एवरेज और इनपीरियर यानी बेहतर, औसत और रद्दी। आप ऐसा कर दें कि 13 आने 16 आने तक वेल्यू की जमीनें बेहतर मानी जायंगी, 4 आने से 12 आने तक की औसत मानी जांयगी और उस के नीचे रद्दी यानी तीसरी कैटगरी की मानी जायगी। इस से मुकदमेंबाजी नहीं होगी और यह एक फुलप्रुफ तरीका होगा। यह रिकार्ड पर बेस होगा, किसी एवीडेंस की जरूरत न होगी और यह तरीका ज्यादा न्यायपूर्ण भी होगा।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि यह 10 से 18 एकड़ के आकडे जो आपने रखे हैं यह कहां से आ गये ? इनको रखने की बुनियाद क्या है, लाजिक क्या है ? आपको मालूम होगा कि प्लानिंग कमीशन में एक लैंड मैनेजमेंट सेक्शन है और उन्होंने करीब-करीब जब से देश आजाद हुआ है, इन 25 सालों में हर सूबे में हर प्रकार की जमीन पर, सिंचित और असिंचित में जहां पर कि हर प्रकार की फसलें बोयी जाती हैं, उन सब जमीनों की उन्होंने स्टडीज की थीं छोटे खेत से लेकर बड़े खेत तक। वह किस नतीजे पर पंहुचे हैं वह मैं अर्ज करूंगा कि कम से कम उनसे पूछना चाहिये था। यह 10 एकड़ से 18 एकड़ आपने क्यों रखा ? 12 एकड़ से 20 एकड़ या 8 एकड़ से 15 एकड़ क्यों नहीं रखा ? बिलकुल आर्बिट्रेरी तौर पर यह फिगर रखा गया है। तमाम देश में ऐसी कमेटियों के नाम और उनके कार्य पर अखबार में 6 माह तक भरे रहे लेकिन हमें यह मालूम नहीं पड़ा कि उसका भी रेशनेल देखा गया या नहीं। उनका क्या तजुर्बा है, क्या आंकड़े और क्या निर्णय हैं यह देखना चाहिये था। एक स्टडी है डा० ए०एम० खुसरो की जो डायरेक्टर, एकनामिक डेवलपमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने लैंड रिफार्म्स लाज की स्टडी की है, एक दो पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, मैंने हालांकि वह पढ़ी नहीं है लेकिन वे इस नतीजे पर पंहुचे हैं कि औसतन 7 1/2–12 1/2 एकड जमीन एक हल के लिये पर्याप्त है। एक आदमी, 2 बैल और एक हल, एग्रीकल्चर का मिनियम इक्विपमेंट है। जब बाप मर जायगा तो कितने हल की जमीन उनके पास होनी चाहिये। 7 1/2 एकड़ से 12 1/2 एकड़ सारे हिन्दुस्तान के लिये निकाली।

[श्री चरण सिंह--]

हमारे पश्चिमी जिलों में तो यह ठीक बैठती है लेकिन जितने हमारे पूर्व जिले हैं, वहां पर जितनी एक हल के लिये है वहां 2 हल के लिये चाहिये। तो एक यूनिट होना चाहिये कि कितनी जमीन एक किसान रिटेन कर सकता है। कितने हल की जमीन आप किसानों के पास छोड़ना चाहते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री जी से कि माइनर लड़के होंगे तो कुछ और हिसाब और मेजर होंगे तब और हिसाब क्यों ? पहली बात तो यह है कि इसमें लिटिगेशन होगा। 16 वर्ष के लड़के को कहा जायगा कि यह बालिक है। मुकदमें में आपकी ओर से कौन परवाह करेगा और यह साफ है कि कोई नहीं करेगा। किसी को कोई परसनल इन्टरेस्ट नहीं है। क्या इसमें डाक्टरों और वकीलों की चांदी नहीं होगी ? बुद्धिमानी किसी कानून के बनाने की ऐसी होनी चाहिये जिसमें आदमियों का कम डिस्ट्रिकशन हो और लिटिगेशन बिल्कुल कम हो। एवायड तो नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें तो आप इन्वाइट कर रहे हैं। तो क्या सेन्स है ? इसलिये मेजर और माइनर का फर्क नहीं होना चाहिये। 18 साल एक दिन का जो लड़का है, उसके लिये तो कुछ और, और जो 18 साल से एक दिन कम है, उसको हानि। यह पुरानी बात थी कि राजा का सबसे बड़ा लड़का जो होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा लेकिन यह राजगद्दी की बात तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, तो अब मेरा प्रोपोजल यह है कि आप, किसान बालिग है या नाबालिग, इन्योर होल्डर, जिसको खातेदार, कहते हैं, शादी शुदा है या बिना शादी शुदा इसका कोई लिहाज न किया जाय और एक किसान के मय 2 लड़कों तक 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ और अगर 3 लड़के हैं तो एक और हल बढ़ा दिया जाय यानी 22 1/2, 30, 37 1/2 एकड़ और यदि 3 से ज्यादा हों तो 30, 40, 50 एकड़ कर दिया जाय तो कोई झगड़ा नहीं होगा। जमीन में आप बालिग और नाबालिग के किस्से में न पड़िए बल्कि इसको 3 हिस्सों में बांटिये और जमीन के लिये आप हल का पैमाना रखिए और एक हल के लिये कितनी जमीन काफी होगी तो आपका सरदर्द बहुत कम होगा। जो जमीन आपने सजेस्ट की है, उससे आपकी और भी कम जमीन मिलेगी। मेरा जो सुझाव है कि वह ज्यादा सोशलिस्टिक है।

अभी समय है और वह ठीक किया जा सकता है। आपने जो गाइड लाइन्स मेरे पास भेजी है उसके भी खिलाफ कर रखा है। अगर लड़का बालिग है तो उसको पांच एकड़, दूसरे को पांच एकड़ और ज्याद से ज्यादा 15 एकड। 6 हैक्टर माने 15 एकड। आपके हिसाब से नाबालिग बच्चे हो तीन तक तो 18 से 22 एकड, और नाबालिग चाहे जितने हों एक बालिग हो तो 23 एकड़ और साढ़े 34 एकड़, और नाबालिग बच्चे हों या न हों और दो बालिग हो तो 28 और 42 एकड़, और दो से ज्यादा बालिग हों, माइनर हो या न हो तो उसको 33 और साढ़े 49 एकड़। और मेरे हिसाब से दो लडके हों, माइनर और मेजर का झगडा खत्म, तो 15-20-25 तीन लड़के हों तो साढ़े 22-30 साढ़े 37, तीन से ज्यादा हों तो 30-40-50 आखिरी लिमिट मेरी और आपकी एक ही है। आपके में कुछ अन्याय हो गया है, अनजाने में ही हुआ होगा, और मेरे प्रपोजल में वह अन्याय नहीं है। मिसाल के लिये अगर कोई किसान बे शादीशुदा है तो आपके बिल में उसको 18 से 27 एकड जमीन मिल सकती है। मेरे हिसाब से उसे 15 से 25 एकड़ मिलेगी। मही लाल जी बड़े हमारे मित्र हैं--हाय सोशलिज्म, हाय सोशलिज्म, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस--अब करावें। एक किसान के दो बालिग लड़के हों और नाबालिग न हों तो आपके हिसाब से 28 से 42 एकड़ मिलेगी और मेरे हिसाब से 15 से 25 एकड़ मिलेगी।

श्री चेतराम गंगवार--

आप तो तीस एकड़ कर रहे थे, 15 कहां से आ गया ?

श्री चरण सिंह--

कब कर रहा था ?

तो उपाध्यक्ष महोदय, जो कागजात मैंने मांगे थे और जिन पर यह बिल आधारित है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो फैसला है, जो गाइड लाइन्स हैं, जो मेरे पास भेजी हैं—उसके लिये धन्यवाद—इसमें क्या लिखा हुआ है ? मैं पढ़े देता हूं, बाद में तर्जुमा कर दूंगा ।

"The unit of application of ceiling shall be a family of five members. The term family being confined so as to include husband, wife and minor children. Where the number of members in the family exceeds five, additional land may be allowed for each member in excess of five in such a manner that the total area admissible to the family does not exceed twice the ceiling limit for family of five members. The ceiling will apply to the aggregate area with the members of the family"

यानी सीलिंग इस ढंग से लगायी जायगी कि एक परिवार जिसके पांच सदस्य हैं—परिवार की परिभाषा मियां, बीबी और तीन नाबालिग बच्चे वह यूनिट होगी, इकाई होगी जहां पर परिवार के मेम्बरों की संख्या 5 से ज्यादा है । तो जितनी 5 से ज्यादा है फी कस 5 एकड़ दी जा सकती है जितनी 5 से ज्यादा हैं । आपका बिल कह रहा है कि बीबी भी न हो तो बच्चे होने की नौबत ही नहीं आयेगी । धारा 5 के उपधारा 3, पृष्ठ 4 में दिया है: 4,5,6, में है कि इन उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा, (क) परिवार वाले खातेदार की दशा में, सिंचित भूमि के 7.30 हैक्टर । जिसके अन्तर्गत उसके पविवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है । और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्रों के लिये जो स्वयं खातेदार न हों, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हैक्टर, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हैक्टर से अधिक न होगी । इसमें कहीं पर यह नहीं है कि उस सूरत में बालिग बच्चे को मिलेगी जब कि उसका बाप, मां, वाइफ और उसके भाई और बहनें भी थीं जिनकी तादाद 5 हैं । जब 5 से छठा हो तब मिलेगी । जब कि आपकी गाइड लाइन्स में है कि जब वह 5 हो जाय तब बालिग को मिलेगी ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

फेमिली प्लानिंग के हिसाब से 3 बच्चों के बाद तो इसका कन्ट्रावेंशन होगा ।

श्री चरण सिंह—

जो मैंने अर्थ लगाया है उसको आप समझें । इसमें यह नहीं है कि 5 के अलावा अगर कोई लड़का बालिग है तो 5 एकड़ देंगे और जो तीन भाई और हैं उनका नहीं होगा ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

फेमिली को डिफाइन कर दिया है ।

श्री चरण सिंह—

अगर आप सही अर्थ लगाते हैं तो आपको बिल बनाने में मुश्किल आती । मियां, बीबी, 3 वर्ष की लड़की और भाई उसका 19 वर्ष का । अब आप उसको 23 एकड़ देंगे या नहीं देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

भाई बहन बालिग है तो होगा ।

श्री चरण सिंह—

यह गाइडलाइन के खिलाफ है । गाइडलाइन में लिखा है:—

Where the number of members in the family exceeds five, additional land may be ollowed for each member in exccss of 5 in each a manner that the total area admissible to the family does not exceed twice the ceiling limit for a family of 5 members,

श्री उदित नारायण शर्मा—

But it consists husband, wife and minor children.

श्री चरण सिंह—

चिल्ड्रन को शामिल करके यदि 5 से ज्यादा हों तो बालिग आदमी को दे सकते हैं, इसमें माइनर मेजर कुछ नहीं है । इसमें तो एक फेमिली की यूनिट है । नाबालिग है 3 बच्चे हैं, 18 दे दो और अगर कुल मिलाकर 5 से ज्यादा हैं तब ? यह मालूम होता है कि राज मंगल पांडेय जी ने ऐसा हिसाब लगाया है कि जिससे कि बड़े किसानों की जमीन ज्यादा मिल जाये । मेरा कहना तो यह है कि पार्टी की मीटिंग बुलाएं और उसमें महिलाल जी व गंगा प्रसाद जी इनकी खबर लें ।

एक माननीय सदस्य—

गरीबों की सहायता के लिये किया है ।

श्री चरण सिंह—

गरीबों की जहां तक सहायता की बात है, ये आ जाएं ? मेरे पास, मैं उन्हें उसके लिये बात बता दूंगा ।

जहां तक कम्पेन्सेशन देने की बात है मैं कहता हूं कि मैं उसे देख नहीं पाया । भाई हिम्मत सिंह जी ने मुझे दिखलाया था लेकिन समय नहीं मिला । पहले जो विधेयक आया था उसके हिसाब से तो 1 लाख से ज्यादा नही बैठता था । आप 18 एकड जमीन पर 5500 रु० प्रति एकड के हिसाब से कलकुलेट कर लें । यूं तो दुनिया में जमीन की कभी कीमत नहीं होती है । आदमी की जरूरत, जमीन की सिचुएशन के हिसाब से होती है । अर्बन एरियाज के लिये आपने पहले 3 लाख और अब 5 लाख की सीलिंग की है । कोई कमेटी बिठलायी थी । तो 5 लाख और मकान रहेगें अलग । उसके आधार पर 5 लाख लिखा था आप भी गांव के रहने वाले हैं, हम भी गांव के रहने वाले हैं । गांव से आकर शहर में रहने लगे । क्या गांव को इतना भूल गये हैं ? यह डिस्क्रिनमेशन क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या 5 लाख से बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह—

वहां घटा लें अगर हिम्मत हो तो । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि वहां ज्यादा क्यों रखा है, मैं यह नहीं कहता कि यहां कम क्यों रखी है ? राज मंगल जी, है कोई जवाब सोच रहे हैं कल कोई रूलिंग मिल जाए । नहीं है कोई जवाब । फिर और देखिये । अर्बन प्रापर्टी —उसमें क्या लिखा है, मकान और जमीन । बहुत लोग हैं । कितनी जमीन है कितनों के पास ? कितनी जमीन मिलेगी ? वह नेशनल है । मकान में दीवार लगाएंगे । पता नहीं ईट की लगायेंगे या कागज की लगायेंगे और जो बच रहेगें 5 लाख रुपये से ज्यादा के मकान ये पी० डब्लू० डी० के सुपुर्द कर देंगे । ये 3 साल के अन्दर खा जायेंगे और रहेगा वही मालिक मकान । किसी आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है । वह कठिन है । उसके लिये एक तरीका बर्ता जा सकता था । वह मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हो सकता था । लोग मकानों को तकसीम नहीं करेंगे । यह तो केवल वोट लेने के लिये नारा लगाया गया है । यह नहीं हो सकता । आप सिनेमा को क्या कीजियेगा ? कोल्ड स्टोरेज का क्या कीजियेगा, होटल का क्या कीजियेगा और कामर्शल हाउसेज जो लाखों की आमदनी वाले हैं उनका क्या कीजियेगा ? क्या कम टैक्स पर आप कुछ लगा नहीं सकते, अगर आपका यह ख्याल हो तो वह बेवकूफी की बात होगी, कंट्री के इटरेस्ट में भी नहीं होगी और नाकाबिले अमल बात होगी । वह हो नहीं सकती ।

सबसे ज्यादा वेल्थ हैं इन्डस्ट्रीज के पास, बिड़ला और टाटा की वेल्थ 25 करोड़ थी जब आजादी हुई थी और पंडित जी जब मरे सन् 1964 में तब थी 4 अरब और अब 9 अरब हो गयी है । जब पंडित जी थे तब उसी समय

कांग्रेस समाजवादी हो गयी थी, अबादी के समय से ही और अब तो घोर समाजवादी हो गयी है, यह बड़ा फल मिला समाजवादी सरकार के प्रशासन का कि करोड़पति अरबपति हो गया है, लखपति करोड़पति हो गया और हजारपति लखपति हो गया । आप इसका क्या इलाज सोचते हैं ? असल बात यह है कि न इनके पास इलाज है और न उसके बारे में सोचना चाहते हैं और न सोच सकेंगे । इसका भी इलाज हो सकता है और मैंने बहिन इन्दिरा जी को लिखकर भी भेजा था । इस वक्त मैं उसको बताना भी नहीं चाहता और नहीं बता सकता क्योंकि देर लग जायगी । (आवाजें...चौधरी साहब बताइयें ।) लेकिन इलाज है, उससे गरीबी दूर हो जायेंगी, अनएम्प्लायमेंट दूर होगा, बड़ा फायदा होगा । अच्छा आप लोग कह रहे हैं तो बतायें देता हूं ।

महात्मा जी ने बतलाया था कि जो कारखाने छोटे पैमाने पर निर्मित्त किये जा सकते हैं उसके लिये बड़े कारखाने मत खोलें । हवाई जहाज, रेल के इंजिन, समुद्री जहाज स्टील और एलेक्ट्रीसिटी के लिये तो ठीक है लेकिन उन्होंने तो कहा था कि सिंगर सीविंग मशीन हर घर में होनी चाहिये और उससे उस घर की विधवायें, बहू बेटियां सीखेंगी और उनको आमदनी होगी लेकिन अगर सिंगर सीविंग मशीन हमारे लोहार न बनावें और बड़े-बड़े कारखाने उनके लिये काम करें तो फिर कैसे होगा गरीबी दूर ? फिर दूसरा सवाल उठाया लोगों ने कि सिविल सर्जन के औजारों का क्या होगा ? तो उन्होंने जवाब दिया था उसके लिये बड़े कारखाने बना लो लेकिन जो छोटे छोटे पैमाने पर कारखाने निर्मित किये जा सकते हैं उनके लिये आप बड़े-बड़े कारखाने मत खोलें। यह उनकी लाइन आफ थिंकिंग थी और अगर यह लाइन मान ली जाय तो आज 8 लाख मजदूर जो टैक्टाइल फैक्ट्री हैं वहां आज लगे हुये हैं और अगर वह न लग कर इन छोटे-छोटे कारखानों में लोग काम करते तो कम से कम 12 गुना आदमी यानी 96 लाख वर्कर्स हैंडलूम इन्डीस्ट्री में काम करते होते और अनइम्प्लायमेंट दूर होता, गरीब अमीर का फर्क न पड़ता। यह मैंने उनको सुझाया था लेकिन बहिन इन्दिरा जी ने जो जवाब दिया वह रखा है उनके कुछ माने नहीं है ।

मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज बना रखी हैं। कहा जा रहा है कि हम कपडे को इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज कर रहे हैं । आपने 46 फैक्टरियों को नेशनालाइज कर रखा है, आपने इंडियन कापर फैक्ट्री को नेशनलाइज किया, इंडियन आइरन इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज किया और अब सुना है कि टी-इस्टेट्स को भी नेशनलाइज करने जा रहे हैं। आपने नहीं सोचा है कि जिन जिनको आपने नेशनाइज कर लिया है उनको कैसे चलायेंगे । मैं कहता हूं कि इनको आगे नेशनलाइज मत करो, इनको केवल यह आर्डर दे दो कि तुम अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर सकोगे लेकिन तुम्हारा बनाया हुआ सामान देश के अन्दर नहीं बिक सकेगा । जो सामान हमारी फैक्टरियां छोटी-छोटी जो हैं बना रही हैं हमारे दस्तकार बना रहे हैं वह यहां बिक सकेगा । हमारे कपड़े का सबसे बड़ा रोजगार है । हमारे हैंड-लूम का बना हुआ कपड़ा अब भी बिदेशों में लोग पहनते हैं, अब भी वह बाहर जा रहा है । अगर अंग्रेज पोलिटिकल इनजस्टिस न करते तो लंकाशायर और मैनचेस्टर के बने हुये कपड़े हमारे यहां के हाथ से बने हुये कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकते थे । और अगर यह कहा गया कि मिलों से बेहतर कपड़ा बनता है तो हमें कोर्स क्लाथ पहनना चाहिये ताकि हमारे करोड़ों लड़को को रोजगार मिल जाय ।

आज फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार 73 हजार फैक्टरियां हैं उनमें से आधे यानी साढ़े तीन हजार फैक्टरियां आज जो सामान बना रही हैं वह छोटे पैमाने पर उद्योग धंधों द्वारा बन सकता था और जो बन रहा है वह बरबाद होने जा रहा है । इस तरह कंपीट करें । फारन एक्सचेन्ज आये, बेल एन्ड गुड । अगर कंपीट न कर सके तो बन्द हो जायं । तीन सौ चार सों फैक्ट्रीज हैं । अगर वह बन्द भी हो जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा । आप समझते हैं कि वह भूखे मर जायेंगे । नहीं । उनके करोड़ों रुपये बैंक में होंगे । आपको उनके साथ हमदर्दी है । मान लीजिये तीन सौ चार सौ फैक्ट्रीज बन्द हो जाती हैं तो हो जाय लेकिन करोड़ों लड़कों को रोजगार मिलेगा। जो प्रापर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है । कंपीट करें अच्छा है, अगर न कर सकें तो बन्द हो जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज गिरी साहब के व्याख्यान पढ़ा । गिरी साहब

[श्री चरण सिंह]
बहुत व्याख्यान दे रहे हैं । ऐसे व्याख्यान दे रहे हैं जैसा कोई मिनिस्टर ही दे सकता है । उन्होंने कहा है कि शहर बहुत बढ़ रहे हैं । शहर में इन्डस्ट्रीज बढ़ती जा रही है । शहर इन्डस्ट्री के केन्द्र हो रहे हैं । किसको भाषण दे रहे हैं । कह दें कि एक लाख की आबादी का शहर होगा वहां नहीं लग सकती । बात खत्म हो गयी ।

एजूकेशन सिस्टम खराब है, बदलना चाहिये। अब क्या मून से कोई आदमी आयेगा उसे बदलने के लिये । आप बदलो। शहर में जो बर्ताव करें वह गांव वाले के साथ करें और गांव में जो बर्ताव करें वह शहर वालों के साथ करें । लेकिन यहां तो वह कोट पतलून पहन कर आता है । जो हमारे अफसर लोग हैं, एक हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले हैं उनके लिये बहन जी के दिमाग में आया कि डीयर नेस एलाउन्स मिलना चाहिये । उन्हें डी० ए० मिल रहा है । पहले एक लिमिट थी । पंत जी के जमाने में 300 रु० लिमिट थी, सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में 450 रु० लिमिट थी । बहन जी आयीं उन्होंने उसे 900 कर दिया । एक बड़ी बहन जी दिल्ली में आयीं तो उन्होंने कहा सबको बढ़ी दो । यह उदारता की हालत है । एक हजार रुपया पाने वाला आफिसर भूखा मर रहा हैं, रोटी नहीं मिल रही है । उसे सौ रुपया डीरनेस एलाउन्स दे दो । और देखिये, जो कम तनख्वाह पाता है, चपरासी है, उसे कम डीयरनेस एलाउन्स और जो ज्यादा तनख्वाह पाता है उसे ज्यादा डीरनेस एलाउन्स । यह समाजवाद है । कैसा उल्टा समाजवाद है । मैंने इन्दिरा जी को लिखा भी था कि यह आप क्या कर रहीं हैं । लेकिन सवाल यह है कि चपरासी तो जाता नहीं । वह अंग्रेजी नहीं जानता । शहर में सूट बूट, अच्छी हजामत वाले लोग हैं, हमारे पी० सी० सी० के दामाद हैं, मेम्बर हैं । जो गांव वाला है, जो करोड़ों की संख्या में हैं, जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई बेजेज नहीं मिलती, कोई डी० ए० नहीं मिलता, उसे कोई नहीं पूछता । राज मंगल जी हमारे यंग फ्रेंड हैं, सामने बैठे हैं जो उस पार्टी को रोनक अफरोज कर रहे हैं, रौनक बख्श रहे हैं तो वह अपनी पार्टी में उठायें । माने या न मानें । मैंने एक यही मिसाल दी । ज्यादा नहीं कहना चाहता । कोआपरेटिव फार्म एक्जेम्टेडज तो नहीं हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
नहीं हैं ।

चरण सिंह--
अच्छा , नहीं हैं । 5(2) में आपने कहा है "निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी" धृत के बजाय कोई अच्छा लफ्ज ढूंढ़ लीजिये ।

"धृत" तो ऐसा ही है जैसे "धृत" । मैं हिन्दी कहां जानता हूं । इसमें है "सहकारी समिति" जिसका अंश राज्य सरकार के सीधे अभिदान किया हो । ज्यादा शेयर मनी में जिसमें गवर्नमेंट में जिसमें गवर्नमेंट ने कांट्रीब्यूट किया हो । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कोआपरेटिव फार्म्स हैं जिसमें गवर्नमेंट मनी इन्वेस्टेड है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
अगर है तो मिलेगी वर्ना नहीं मिलेगी ।

श्री चरण सिंह--
आप तो एक कानून बनाने जा रहे हैं... ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--
यह तो सेक्रेटरी ने बिल तैयार करके दे दिया, सरकार ने पेश कर दिया। ये तो जार्ज पंचम की तरह से बोल रहे हैं ।

श्री चरण सिंह--
उनको मालूम नहीं था, मालूम कर लें । जैसे मिसाल के तौर पर वर्मा जी ने कोई फार्म 8-10 हजार एकड़ का गाजियाबाद में कायम कर लिया और उसमें अपने रिश्तेदारों को

शामिल कर लिया और उसमें 50 हजार रुपया शेयर मनी के तौर पर गवर्नमेंट का हो तो क्या उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे ? इस पर विचार कीजिये कि क्या होगा । अगर नहीं देती है तो इसकी जरूरत नहीं है और अगर देती है तो अन्तर न कीजिये ।

एक बात है बागात की । उसमें वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन को आपने गाइड लाइन माना है और उसको मेरे पास भेजा है । उसमें लिखा है कि जो बागात हैं उनको ड्राई लैंड माना जायगा और उसकी लिमिट 54 एकड़ तक रखी है । आपके हिसाब से 36 एकड़ तक बनती है । तो मेरा सुझाव यह है कि बागात की हमको बहुत जरूरत है । बागात से प्राईवेट इंटेरेस्ट तो है ही । अगर जमीन ज्यादा हो या कंट्रोल से बाहर हो या खराब हो तो उसमें बाग लगाया जा सकता है । अब पब्लिक का भी इंटेरेस्ट है, दोनों की यूनियन हो जाती है । मेरा ख्याल था कि 13 लाख एकड़ के बागात हैं, लेकिन अब मालूम हुआ आपके आंकड़ों से कि कुल 11 लाख 14 हजार एकड़ ही हैं । मुझे याद पड़ता है कि 1957–58 में पहले 13 लाख एकड़ फिर 15 लाख एकड़ हुये । क्योंकि हमने बागात की एक स्कीम बनायी थी उनको एनकरेज करने के लिये लेकिन वह एरिया बढ़ने के बजाय घट गया । बाग ऐसी चीज है कि आप उसको किसी को बांट दें तो वह चलेगा नहीं । आपने अगर्चे ऐसा कहा है कि जिसको आप अलाट करेंगे वह उसको ऐसा न करेगा कि वह खत्म हो जाय, तो यह मुश्किल है । लेकिन खैर, ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी के पास 200 एकड़, हजार एकड़ का बाग हो तो उसको रख ले वह भी कठिनाई है । लेकिन आप देखें कि आपके यहां बाग हैं 764 जोकि 15 एकड़ से बड़े हैं जैसा कि आपके मुहकमें से फिगर्स मेरे पास आये हैं । 7 एकड़ से 50 एकड़ तक के 100 और 10 हैं कुल 100 एकड़ से बड़े । तो बहुत थोड़ी तादाद है बागों की जो बड़े हैं । तो जहां तक आपको वर्किंग कमेटी इजाजत देती है वह 54 एकड़ तक की लिमिट कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय एक बात मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि सन् 1959 में कोआपरेटिव फार्मिग की बात तो हुई नागपुर में । नहीं चलने दिया । तब चौथी, पांचवीं प्लान यह लिखा गया....

श्री राजमंगल पांडेय—

54 एकड़ उसको किसमें कर दिया जाय?

श्री चरण सिंह—

सीलिंग लिमिट 54 एकड़ है आपके वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में जो गाइड लाइन है और आपके हिसाब से 36 एकड़ ही आता है । तो मेरा सुझाव यह है कि बाग इतनी जरूरी चीज है और फिर वह बहुत कम हैं जो इसमें आयेंगे । तो जो वर्किंग कमेटी इजाजत देती है कम से कम 54 एकड़ उसको रखियेगा।

सन् 1959 में नागपुर के सेशन में तय हुआ कि कोआपरेटिव फार्म कायम होंगे । अरबों रुपया खर्च हो गया होगा । सन् 74 की जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें लिखा है कि इसका कोई समर्थक हिन्दुस्तान में नहीं है लिहाजा हम इसकी बाबत कोई रेकमेंडेशन नहीं करते हैं । उस वक्त स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन्स का भी खप्त चला था, मैंने यहां कई बार कहा कि स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन्स नहीं चलेगी । होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, प्रोक्योरमेंट, फिर धीरे-धीरे प्रोडक्शन हाथ में ले लिया । अगर आप रूस की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह कलेक्टिव फार्मिंग कायम हुआ तो एग्जेक्टली यही हुआ कि गल्ला प्रोक्योर करने लगे तो किसान ने कम पैदा किया । फिर उससे कहा कि इतना पैदा करो, नहीं पैदा करोगे तो जमीन ले लेंगे और फिर साइबेरिया और न जाने क्या-क्या । कलेक्टिव फार्मिग का नतीजा यह है कि जमीन ज्यादा है और तीन साल के लिये 5 अरब साढ़े 47 करोड़ का मुहाइदा किया है गल्ला लेने का । फिर भी मेरी

[श्री चरण सिंह]

समझ में नहीं आता कि जब आप में से कोई उठता है तो वे कोआपरेटिव फार्मिंग, यही सोशलिज्म है, इससे देश का भला होगा। कैसे होगा? जब सीलिंग की बात थी तब कोआपरेटिव फार्मिंग की आवाज उठी और अब सीलिंग की बात है तो कोआपरेटिव फार्मिंग की चारों तरफ से आवाज आ रही है और आप के हाई कमान्ड के मन्जूरे नजर श्री बंशीलाल मेरे दोस्त हैं इसलिये मैं कोई बात उनकी शान में नहीं कहना चाहता हूं। गिरि साहब आजकल बहुत बोलते हैं मैं समझता हूं कि रेल और लेबर के अलावा ज्यादा उन्हें नहीं आता है लेकिन आजकल किसानों को कहते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग करो। अगर ऐसा हुआ तो फिर इधर किसी की तरफ से अमेंडमेंट आ जायेगा कि जो सरप्लस जमीन मिलेगी उससे हर्गिज-हर्गिज कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं होगी उत्तर प्रदेश में और इंडिविजुअल लोगों को दी जायेगी ताकि आजादी के साथ खेती करें और पैदावार बढ़ायें।

हां, वह कागज मिल गया। जाने कैसे-कैसे लोग दूसरे सूबों में चीफ मिनिस्टर हो कर बैठ गये हैं। आसाम, मध्य प्रदेश और केरल कलेक्टिव फार्म कायम किये जांय। और गिरि साहब रोज कह रहे हैं और जो मैनेजमेंट बोर्ड है स्टेट फार्म्स का उसके एस० सी० कृष्णन् ने एक कागज पेश किया है प्लानिंग कमीशन के सामने। लम्बी कहानी है, छोड़ता हूं। श्री बंशीलाल जी का सुन लें। "हिन्दुस्तान– 24 अगस्त। हरियाणा विधान सभा। सरदार चंचल सिंह जी से खासतौर से कहना चाहता हूं, सुन लें विधान सभा में जो बंशीलाल जी ने फरमाया। "चन्डीगढ़: 23 अगस्त। हरियाणा के मुख्य मंत्री बंशीलाल जी ने आज विधान सभा में घोषणा की कि किसानों को इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि उनकी सारी भूमि सरकार अपने हाथ में ले लेने का फैसला कर लेगी और उन्हें भोजन, कपड़ा आदि की सुविधायें सरकार की ओर से उपलब्ध होंगी। जोत की सीमा कम होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है।" फार्मल स्टेटमेंट विधान सभा में।

लेकिन किसी जिम्मेदार आदमी ने, हम तो जिम्मेदार बहिन जी को मानते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा कि भाई यह क्या बकवास हो रहा है? अगर आप को यह मुगालता है कि काश्तकार आप को सहकारी खेती करने देगा तो आप इस भ्रम में न रहें। टैक्स आप वसूल नहीं कर सकते, फैक्टिरियों में बराबर नुक्सान हो रहा है, 50 करोड़ की पूंजी है और 58 करोड़ का नुक्सान है, तो यह आप कर क्या रहे हैं? और वहां के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम किसानों को रोटी कपड़ा देंगे। क्या किसान खाली बैठेंगे, क्या वे आफिसरों के मातहत हो कर खेती करेंगे? क्या होगा? (हंसी) कांग्रेस वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कह सकें कि यह बकवास हो रहा है। जब मुझ से अलग में मेरे मित्र बात करते हैं तो कहते हैं चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हो, जब यहां हाथ उठाने का वक्त आता है तो उस तरफ से उठाते हैं। यही सन् 64 में भी हुआ था। मुझ से कहा चौधरी साहब आपने ठीक कहा है, लेकिन हाथ सब उधर उठा दिये। अभी कल ही जो बात मैंने कही थी, मुझे यकीन है कि उधर के 95 फीसदी लोगों के मन की बात है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कि वह यहां उसके पक्ष में कह सकें। मैंने तो कहा था कि उससे आप की सरकार जाने वाली नहीं है, होगा उससे यह कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग-अलग हो जायेगा।

तो मैं यह कहने जा रहा था कि कोआपरेटिव फार्मिंग की बात चली और अब काफी जोरों से स्टेट ट्रेडिंग आफ फूड ग्रेन्स की भी बात चल रही है। मैं अभी से भविष्यवाणी किये देता हूं, यदि मेरी बात सही निकले तो उधर से मेरे मित्र भारतीय क्रान्ति दल में चले आयें, आप इसमें भी सफल नहीं होंगे। आप ने कई बार इसके लिये तारीखें बदली हैं। आप रबी की फसल तैयार होने तक भी इसको नहीं पायेंगे। यह इम्प्रैक्टीकेबिल है अगर डेमोक्रेसी को चलाना है।

मेरी राय यह है कि आप जमीन किसी को इतनी दीजिये कि उसका एक हल तो चल सके। उसके लिये कम से कम साढ़े 7 एकड़ जमीन चाहिये। बुन्देलखंड में आपने ढाई गुना कर दिया है, वह ठीक नहीं है। वह गलती आप से हो गयी क्योंकि जिस भूमि में आप पैदा हुये हैं उसका कुछ असर तो हो ही जाता है। (व्यवधान) जमीन देने की जहां तक बात है, मैं कहता हूं अगर आप 3 एकड़ भी दें तो मैं बताता हूं कि जापान में 3 एकड़ में रूस से 16 गुना, और यू० एस० ए० से 10 गुना ज्यादा पैदा होता है। आपके लीडरों ने भी जापान का जिक्र किया है। जापान की सरकार अपने किसानों की जिस हद तक मदद करती है उतनी मदद आप कीजिये तब पैदावार बढ़ेगी। वरना होगा क्या ? जमीन किसी की रहेगी और जोतेंगे वर्मा जी या हिम्मतसिंह जी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा, लोग अपनी जमीन बेंच लेंगे। इन गरीबों के पास वे उपकरण नहीं हैं, गवर्नमेंट दे नहीं सकेगी, दे नहीं सकती है। तो वाकई में यदि सरकार इनकी मदद करना चाहती है तो जो छोटे-छोटे हैन्ड ड्राईवेन इम्पलीमेंट्स हैं उनकी एक फैक्टरी गवर्नमेंट कायम कर देती। इसका 10 साल से ढोल पीटा जा रहा है। नहीं फैक्टरी स्थापित की तो बाहर से मंगा लिये जायं, हमारी गवर्नमेंट तो इसमें बहुत कुशल है। आप देंगे 3 एकड़ जमीन उसमें कोई खेती नहीं कर सकेगा। वह आज अपनी खेती टूटे-फूटे हल और बूढ़े बैलों से किसी तरह कर रहा है। इसलिये आप इनको क्रेडिट भी दीजिये, इनके लिये पानी का इन्तजाम कर दीजिये, छोटे छोटे हैन्डड्राइवेन मशीनें इनको दीजिये, तब यह मंशा पूरी होगी। इन शब्दों के साथ . . .

श्री चेतराम गंगवार—

मेजर और माइनर लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस ख्याल का तो इजहार जरा कर दीजिये।

श्री चरण सिंह—

मैंने तो बता दिया, मेजर—माईनर का मेरी तजबीज में फर्क ही नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। जो राजस्व मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। एक चीज यहां पर साफ है, सभी लोग जानते हैं कि खेती में बड़ी असमानता थी। कुछ बड़े किसान थे, कुछ छोटे किसान थे और कुछ किसानों के मजदूर थे, जिनको खेतिहर मजदूर कहा जाता है। एक देशी मसल मशहूर है जाए बहू बेटी, जाए खेती। इस मसल का आशय यह है कि जिसके ज्यादा खेती होती है वह भी मिट जाता है और जिसके ज्यादा लड़कियां होती हैं वह भी आर्थिक संकटों में बरबाद हो जाता है।

(३ बजकर २५ मिनट पर श्री अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए)

तो कहने का मतलब यही है कि जिसके ज्यादा खेती होती है वह उसका प्रबन्ध संभाल नहीं पाता है और जिसके पास कम होती है वह उसमें से खाने भर की भी पैदावार नहीं कर पाता है। इस असमानता का नतीजा यह होता था कि देश की पैदावार बराबर गिरती चली गई और देश में खाने भर को भी अनाज नहीं पैदा हुआ। विदेशों से अनाज मंगाना पड़ा। हमारे देश में दो प्रकार के आदमी थे। एक वे जो खेत में फावड़ा-हल लेकर नहीं जाते थे, केवल लेखपाल के यहां खतौनी की नकल लेने जाते थे और दूसरे उस किस्म के आदमी थे जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव कुमार पांडेय---]
अपने खेतों में हल-बैल और फावड़ा लेकर जाते थे। जो किसान अपने खेत में फावड़े या हल लेकर जाते थे, वह देखते थे कि हमारे खेत में फसल कैसी हो रही है, फसल ठीक हो रही है या नहीं ? जो खतौनी देखने जाता है, फसल की पैदावार हो रही है या घास उग रही है, वह नहीं देखता था। वह देखता था कि खेत सुरक्षित है या नहीं। बड़े जोत वाले मालिक की प्रतिष्ठा भी ज्यादा मानी जाती थी। यहां तक कि मुकदमों में जमानत लेने का हक उसी को होता था जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी। एक असमानता सारे देश में थी। इसका जरूरी असर यह था कि पैदावार कम होती थी। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उसमें दो प्रकार के आदमी हैं, एक उस प्रकार के आदमी हैं जिनके पास खेतों की बहुतायत है, और दूसरे उस प्रकार के आदमी हैं जिनके बिलकुल खेत नहीं हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जो बड़ी जोतों के मालिक हैं, उनके बैल नहीं हैं। जिसके पास एक भी खेत नहीं है उसके पास बैल हैं इस लिये कि जिसकी खतौनी में खेत काफी हैं वह खेती नहीं कर सकता, उसने उन लोगों को अधिया दे रखा है जिनके पास खेत नहीं है। और वह हल बैल रखे हुए है। खेत का मालिक, आज कल जो उन्नतिशील खेती है, न वह खाद का दाम देता है, न सिंचाई का दाम देता है, पुराने ढंग की खेती हो रही है। पैदावार नहीं बढ़ रही है। और जो किसान खेत की पैदावार बढाना चाहता है, चूंकि खेत का मालिक नहीं है खेती का सामान नहीं खरीद सकता है क्योंकि खेती उसको अधिया पर दिया हुआ है। नतीजा यह है कि खेती की पैदावार कम है। सीलिंग बिल से एक लाभ यह होगा कि उन आदमियों के खेत निकल जायेंगे जो अधिक खेतों के मालिक है लेकिन खेती करने की योग्यता नहीं रखते हैं और उनसे निकली हुई जमीन उन श्रमिकों के पास जायगा जो खेती करना जानते हैं, हल चलाना जानते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। इससे बहुत बड़ा लाभ यह होने वाला है कि असमानता दूर होगी, पैदावार अधिक बढ़ेगी। यह हो सकता है कि जैसा हमारे चौधरी साहब ने कहा एक लड़का 18 वर्ष में एक दिन कम उम्र का है तो कुछ नहीं पायेगा और जो लड़का 18 वर्ष एक दिन का हो गया है उसको पांच एकड़ जमीन मिल जायगी।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

आप यह फरमा रहे हैं यह जमीन उन लोगों के पास जायगी। यह आपने मशविरा भी कर लिया है कि कोआपरेटिव फार्मिंग बनायेंगे या क्या करेंगे, किस आधार पर यह कह रहे हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय---

हमारी सरकार ने एक निश्चय किया है कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे। उसी निश्चय के अन्तर्गत जो जमीन गांव समाज में या चकबन्दी में निकल रही है, वह भूमिहीनों को दी जा रही है और इस सीलिंग से जो जमीन निकलेगी उसका पहला हकदार होगा भूमिहीन और हरिजन यह हमारी नीति है। इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा भी कर दी गयी है यह भूमिहीनों को न दे कर कोआपरेटिव को जायगी यह कल्पना है घोषणा नहीं है। (व्यवधान) इस सीट से इस लिये बोल रहा हूं कि पांडेय जी इस सीट पर बोल चुके हैं। मैं उन्हीं के जमाने से इसको पवित्र मानता आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

कृपया आपस में बात न करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि इस बिल के जरिये कितनी भूमि ईमानदारी से मिलेगी और किसी जगह अगर सौ भूमिहीन हैं और जमीन निकल रही है एक, तो किन-किन भूमिहीनों को देंगे ?

श्री शिवकुमार पांडेय—

यह प्रश्न मंत्री जी से पूछें कि कितनी जमीन निकलेगी। वह बता सकेंगे या उनका विभाग बता सकेगा । मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं । लेकिन इतना बता दूं कि हम मानते हैं कि सब भर को जमीन नहीं निकलेगी और जितने भूमिहीन हैं उन सबको हम भूमि नहीं दे सकेंगे लेकिन कुछ को दे सकेंगे । अगर हम कुछ को दे सकते हैं उसकी वजह से हम बिल्कुल बन्द कर दें, किसी को न दें तो यह बात कोई मानी नहीं रखती। जिनको हम भूमि नहीं दे सकेंगे उनको नया रोजगार देने का प्रयास करेंगे । हमारी सरकार क्रेश स्कीम्स के जरिये भूमिहीनों को तथा बेरोजगारों को रोजगार दे रही है । सड़कों पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ । तालाब की खुदाई में लोग लगाये गये। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने के लिये प्राइमरी स्कूलों में भेजने के लिये उनको बी० टी० सी० की ट्रेनिंग में भेजा गया । गांव में मनुष्य की आवश्यकता जमीन की है । वहां जमीन पहले उसके पास रहती थी जो ज्यादा चालाक और चुस्त होता था और जो दूसरे के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करके, गलत इन्दराज कराकर अपनी जमीन बढ़ाता चला जाता था। आप बिरला जी का विरोध करते हैं। हम भी इसके विरोध में हैं कि उनके पास इतने बड़े फार्म्स हैं । इस सीलिंग में वह जमीन उसके पास से निकलेगी और वह जमीन गरीबों को, भूमिहीनों को दी जायगी और इससे उनका कल्याण होगा। इससे पहले जब हम सीलिंग बिल नहीं लाये तो विरोधी दोस्त चिल्ला रहे थे सीलिंग बिल आना चाहिये और जब उसे हम ले आये तो उसका वह विरोध करने लगे ।

एक सदस्य—

विरोध कोई नहीं कर रहा है ।

श्री शिव कुमार पांडेय—

तब आप संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें । चौधरी साहब ने जो भाषण दिया उसकी जरूरत नहीं थी । सुझाव आप आपस में बैठ कर दे सकते हैं ।

श्री बलबीर सिंह—

यह प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । विरोध कौन कर रहा है।

श्री शिव कुमार पांडेय—

यह भी एक विरोध का तरीका है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । जो काम कल होने वाला है उसे अभी इसी समय क्यों न कर लिया जाय, चार रोज इस पर बहस की क्या आवश्यकता है?

चौधरी साहब की इस राय से मैं इत्तिफाक करता हूं कि जो छोटा खेतिहर है वह अधिक अनाज उत्पन्न कर सकता है बनिस्बत बड़े खेतिहर के अगर उसको साधन उपलब्ध हों और उसके खेत को पानी व खाद मिल सके । जहां तक साधन का सवाल है इस सदन में विरोधी भाई भले ही स्वीकार न करें लेकिन अपने मन में वे अवश्य स्वीकार करते होंगे कि हमारी सरकार ने किसानों को जितने अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की है उतने साधन किसी अन्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराये । हम चाहते हैं कि हर गांव में यहां तक कि हरिजन बस्तियों में बिजली जाय । अभी एक आदेश के जरिये हमने शहरों की बिजली काट कर किसानों को दी ताकि किसान अपने खेतों की सिंचाई अधिक से अधिक कर सकें ।

एक सदस्य—

यह आदेश केवल कागज पर है ।

श्री शिव कुमार पांडेय—

कागज में नहीं वास्तव में है । पिछली मर्तबा बाढ़ आई उसका मुकाबला किया । फिर सूखा पड़ गया उसको पूरा करने के लिये हमने बीज बांटा ताकि रबी की बुवाई हो सके और एक इंच जमीन बुवाई में बाकी न रह जाय ।

हम साधन तो दे रहे है । कहने का मतलब यह है कि हम जो अधिक से अधिक साधन और सुविधा किसानों को दे सकते थे दे रहे हैं और उसका वे लाभ उठा रहे हैं । यह बात जरूर है कि कुछ बातें अफसरशाही की फाइलों में घूमती रहती है और जितनी सुविधा हम किसानों को देना चाहते हैं उतना नहीं दे पारहे हैं । आप इसको स्वीकार करेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो जंजीर है उसमें खराबी चली आ रही है और वह दुरुस्त नहीं हो रही है । कुछ लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं कुछ किसी के शिकार हो जाते हैं ।....

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

यह जिम्मेदारी किसकी है । आप उस जिम्मेदारी से बंचित नहीं हो सकते ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है और इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी सरकार को माननी चाहिये लेकिन यह गड़बड़ी हमारी सरकार की नहीं है यह तो बहुत दिनों से चली आ रही है । कहने का मतलब यह है कि हम उस गड़बड़ी को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं । माननीय चौधरी साहब ने कहा कि हम छोटी जोतों में अधिक से अधिक अनाज पैदा कर सकते है । इसीलिये कि हम अधिक से अधिक अनाज पैदा कर सकें यह बिल सीलिंग का लाया गया है क्योंकि इसकी जरूरत थी । सभी सम्मानित सदस्य इस बिल का स्वागत करते है कि सीलिंग अवश्य होनी चाहिये । कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्हें कि यह स्वीकार न हो किन्तु ऐसे लोग हमारे हाउस में नहीं है । प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात से खुश है कि सीलिंग बिल लाया जाय और पास हो । इन शब्दों के साथ मैं इस सम्मानित सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोशिश न करे और जो यह चार दिन की बहस इस पर होनी है वह न होकर आज ही इसे पास किया जाय और तत्काल इसे लागू किया जाय ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय हरिनाथ जी तिवारी ने इस बिल के संबंध में संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सन् 60 में जब यह बिल विधेयक के रूप में पारित हुआ था उस वक्त भी मैं था और आज भी यहां पर हूं जब कि इस पर सीलिंग हो रही है । उस समय स्वर्गीय हुकुमसिंह ने इसी हाउस में यह घोषणा की थी कि इससे साढे तीन, पौने चार लाख एकड़ जमीन निकलेगी और 3 लाख के करीब निकली भी है । 12 साल के अन्दर 1 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो हमारी समाजवादी सरकार ने अभीतक गरीबों को बांटी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 12 साल के अन्तर्गत क्यों नहीं उस 1 लाख जमीन को वे बांट सके है । जैसे कि चौधरी साहब ने कहा 46 हजार एकड़ जमीन निकलेगी और मंत्री जी कहते हैं कि 3 लाख एकड़ जमीन निकलेगी तो मेरी समझ में नहीं आता है कि 1 लाख पुरानी जमीन पड़ी है उसी को नहीं बांट पाये है और क्या बांट पायेंगे । मंत्री जी ने सदन में यह नहीं बताया कि इस बिल के द्वारा वे कितनी जमीन लेने जा रहे हैं । यदि वे बता देते तो मामला स्पष्ट हो जाता । किन्तु बिल में क्या है क्या नहीं है यह चीज वह स्वयं नहीं जानते हैं । कोआपरेटिव सोसाइटीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उनको अधिकार है । वे बिल को हाउस के अन्दर पेश कर रहे हैं उनको पूर्ण जानकारी खुद नहीं है कि इसमें क्या है कितनी जमीन है, कैसी जमीन है । आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय मंत्री जी अपने प्रदेश के इस सामाजिक ढांचे से अनभिज्ञ हैं । मालूम पड़ता है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि 1 साल के अन्दर जो 24 फरवरी, 70 से 24 जनवरी, 72 के बीच जो ट्रांसफर वगैरह हुये हैं उनका क्या हाल होगा । उन्होंन कहा कि 9 मई को अध्यादेश जारी कर दिया गया था और उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ ।

मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी बतला देते कि 24 जनवरी, 71 से 24 फरवरी, 72 के बीच में कितने ट्रांसफर हुए और उसमें से कितनी जमीन निकल गयी । साथ ही 15 अगस्त 72 को जो निजी ट्यूबवेल्स बनाने की बात थी और जिससे सिंचाई होती है उससे प्रदेश में कितने कुवें लगे और उससे कितनी जमीन की सिंचाई होती है और कितनी जमीन ऐसी है जिसमें कुवें नहीं लगाये जा सकें । माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहिये था लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया । पुराना जो सेक्शन 29 है, उसमें आपने नया अमेंडमेंट किया है । 9 मई वाले बिल को आपने वापस लिया है और यह नया बिल पेश कर दिया है । धारा 29 के अन्तर्गत सिंचित जमीन की व्यवस्था है तो क्या आप आगे सीलिंग बिल को लाते रहेंगे । जो नया अमेंडमेंट आया है उसके अन्तर्गत निजी तरीके से सिंचित होने वाली जमीन का कोई ख्याल नहीं रखा गया है । अगर कोई निजी तरीके से अपनी जमीन को सिंचित करता है तो फिर उस जमीन को निकालने का क्या प्रयोजन है । 15 अगस्त, 72 निजी ट्यूबवेल के लिये क्यों नहीं रखा गया था । होना यह चाहिये था कि जिस दिन इसका इन्फोर्समेंट हो उस दिन देखना चाहिये कि प्रदेश में कितनी सिंचित जमीन हो गयी और एक एकड़ का दो या ढाई एकड़ के बराबर कर देने का कितने एकड़ पर प्रभाव पड़ा, इसको माननीय मंत्री बतलाते । माननीय मंत्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि हरिजनों का ख्याल रखा गया है । वे बतलावें कि इसके अन्तर्गत कितनी जमीन निकालना चाहते हैं और कितनी जमीन छोड़ना चाहते हैं तब पता चलता कि आगे क्या होने वाला है ।

कहा गया है कि यह बिल बड़ा प्रगतिशील है । मैं कहता हूं कि पहले वाले बिल में जो कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं रह गया है । उसका कारण यह है कि आपने तमाम छूटें दे रखी हैं । 15 अगस्त वाला सिंचित जमीन के लिये छूट है । धारा 29 के द्वारा आगे लेते वह भी निकल गया । इतना ही नहीं 24 जनवरी, 71 से 24 फरवरी, 72 तक जो ट्रांसफर हुए उसमें भी नियत प्राधिकारी को अधिकार है कि अगर वह यह समझे कि वह सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये ट्रांसफर किया गया है तो वह भी छूट जायेगा । आप धारा 6(ख) देखें "कोई अन्तरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रति-संहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अन्तरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या अस्थगित लाभ के लिये न हो ।" क्या माने हुआ इस उपधारा के जोड़ने का? इसको क्या मैं यह समझूं कि अगर कोई रह गया है तो इसके अन्तर्गत उसका आप कुछ लाभ करने वाले हैं । जब यह धारा जोड़ी गयी तो आपने मैदान साफ कर दिया, इस बिल का जो मतलब था वह बिलकुल खतम कर दिया और उससे और कोई मतलब नहीं निकलता जिससे आप कह सकें कि हमारा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ईमानदार है । वह ईमानदार नहीं है, वह बेईमानी करेगा क्योंकि जब सीलिंग बिल पेश था तब सारी चीजें देखी गयीं ।

हमने देखा कि धारा 59 के अन्तर्गत बागों को छूट दी गयी और बाग लगने लगे और खसरे में दर्ज भी हो गये । जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा कि बाग लगे किसके 11 लाख में केवल 5 लाख ही रह गये । बाकी क्या हुए । इसका साफ मतलब है कि वे सब फर्जी थे । मैंने अपने जिले में ही देखा है कि खेतों में जहां बरगद के पेड़ थे, उनकी डालियां काट-काट कर, खेतों में लगा लगा कर बाग दिखला दिये गये और उनको कागज में लिखवा दिया गया । इस पर एक एस० डी०एम० को मुअत्तल किया गया और उनसे जवाब तलब हुआ । लेकिन बाद में मिलजुल कर सांठ-गांठ से वह मुक्त हो गये । मैं जानना चाहता हूं कि 24

[श्री हिम्मत सिंह]

जनवरी 71 से जो बाग लगे हैं उन पर इस छूट का क्या असर होने वाला है । अगर बाग लगा हुआ दिखला कर खसरा में दर्ज हो जाय तो आप करेंगे क्या ? कुछ नहीं कर पायेंगे उनका जो ट्रांसफर हुये हैं 24 जनवरी, 1971 को आपने इसको भी सोचा है कि आप बड़े-बड़े मंत्री कुछ ऐसे हैं चाहे वे केंद्र के हों या प्रदेश के हों, उन्होंने ट्रांसफर नहीं किये बल्कि तहसीलदार को बुलाया और कहा कि इसका दाखिल खारिज कर दो । गांव में आये, सौदा तय किया और मान लो एक हजार एकड़ की जमीन है तो कहने लगे कि बोलो कितने में देते हो । तुम्हारा बयनामे वगैरा में काफी खर्चा होगा । इसलिये 900 रुपये प्रति एकड़ में सौदा तय कर लिया और तहसीलदार को बुला लिया और उससे दाखिल खारिज करा लिया । गवर्नमेंट का जो स्टाम्प वगैरा का फायदा होता उसका लास हो गया और जो सीलिंग में मिलने वाली जमीन थी उसको आपके घर के लोगों ने, आपके कुनबे के लोगों ने इस तरह से हथिया लिया । क्या आप इसकी जांच करायेंगे । आप कह देंगे कि इसके लिये तो कोर्ट का डिक्लेरेशन हो गया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में चकबन्दी हो गई, लिटीगेशन हो गया और खातेवारी की एंट्री बदल ली । इस प्रक्रिया का आप क्या करेंगे । ऐसा जितने लोगों ने किया है क्या उनको आप प्रोसीक्यूट करेंगे । क्या आप इसको बदलेंगे । मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर पायेंगे । आपको जमीन मिलने वाली थी वह नहीं मिलेगी और चौधरी साहब ने बताया कि 46 हजार एकड़ मिलेगी लेकिन मैं समझता हूं कि आपको कुछ जमीन मिलने वाली नहीं है । इसलिये आपको सोचना पड़ेगा कि यह बिल किस लिये लाया जा रहा है । आपने एक मौका दे दिया कि जो चकबन्दी में मुकदमें हैं उन पर लागू नहीं होगा । चकबन्दी में क्या होता है । मैं पिछले ऐक्ट की बात बताता हूं । परिवार के परिवार का डिवीजन हो गया । उन्होंने जैसी जमीन लेनी चाही ले ली । मेरे हिस्से की बारह आने और घर वालों की चार आने । मैंने परिवार का डिवीजन करके दाखिल कर दिया बस किस्सा खत्म हो गया । आपने उनको मुक्त कर दिया । 24 जनवरी, 71 से पहले जिन्होंने ट्रांसफर कर लिये उनको भी आपने मुक्त कर दिया । फिर आप कहते हैं कि अगर हमारी प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी ठीक समझेगी कि गलती हो गई तो ठीक कर लेगी और उसको वापस ले लेगी । आप देखते हैं डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर सब पर एक से चार्ज लगे तो आपकी प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी भी दबाव में आजायेगी क्योंकि हमारे सामने कांक्रीट मिसालें मौजद हैं कि वे लोग आप लोगों के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं । तो क्या आप समझते हैं कि कुछ बच जायेगा इस बिल से जमीन मिलने वाली नहीं है ।

मैं आपके सामने एक बात और रखता हूं । आपने 9 मई वाले बिल में कुछ भाग छोड़े थे और कहा था कि इनको छोड़ते हैं । लेकिन इसमें आपने और बढ़ा दिये । बनारस बढ़ा दिया और इलाहाबाद का भाग बढ़ा दिया । यह क्यों बढ़ाया इसका कोई एक्सप्लेनेशन मंत्री जी ने नहीं दिया । सीलिंग के सारे ऐक्ट में एक एकड़ को दो एकड़ माना गया है । लेकिन इसमें आपने तिगुना कर दिया है । क्या जमीन की उपज घट गई ? अगर जमीन की उपज घट गई तो फिर सीलिंग क्यों ? ठाकुर हुक्मसिंह जी ने कहा था कि हम स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ध्यान में रखकर ही 40 एकड़ की लिमिट रख रहे हैं जिनके पास बड़ी जमीनें हैं वे उसको जोत नहीं पाते हैं । इसलिये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये यह सारा काम कर रहे हैं और लैंडलेस लेबरर्स हैं, वे लोग खेतों में काम करते हैं इसलिये इन लोगों से जमीन निकाल कर उनको जमीन देंगे ।

बात समझ में आ गई लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि 12 साल में 40 एकड़ जमीन में 6 गुनी उपज कैसे बढ़ गई । इसलिये उसको काटने की जरूरत पड़ेगी और कहते हैं कि इसी लिए सीमा बढ़ गई । वह इसीलिये इसको काटकर कम करना चाहते हैं । हमारी जनता भी

इसी में विश्वास रखती है कि सरप्लस जमीन बटना चाहिये। लेकिन एक परिवार की आय और एक आदमी की आय निश्चित होनी चाहिये और हमारी आय (इनकम) पर एकानामी बेस्ड होना चाहिये। हमारे आज के समाज के ढांचे को देखने से पता लगेगा कि ऐसे कितने आदमी हैं कि जिनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अगर आप कहीं अन्दर जंगल में भी अपनी कार ले जाकर खड़ी कर दें तो वहां भी एक न एक भिखारी सामने आ जायगा कि एक पैसा दे दो भूखा हूं रोटी दे दो कहता मिल जायगा। कहीं भी जाकर खड़े हो जायं भिखारियों की भीड़ लग जाती है।

चारबाग स्टेशन से आप उतरिये तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ फुटपाथों पर हजारों भिखमंगे नीली छतरी के सहारे साये में पड़े दिखाई देंगे। आज हालत यह है कि 61 प्रतिशत व्यक्ति उपभोग में न्यूनतम स्तर पर रह रहे हैं। आज आय में 30 रुपये और दस हजार रुपये का फर्क है। एक आदमी 30 रुपये में गुजर कर रहा है और दूसरा वहीं 10 हजार रुपया मासिक भी पा रहा है। क्या आप दस हजार पाने वाले की आय को घटाने की हिम्मत रखते हैं जिससे नीचे वालों को न्याय मिल सके? मैं समझता हूं कि आप की इतनी हिम्मत नहीं है। आज पीड़ित मानव कराह रहा है मानव अधिकारों के लिये लेकिन उसके लिये कुछ नहीं हो रहा है। जब तक आप उसकी ओर कुछ करने के लिये ध्यान नहीं ले जायेंगे कुछ होने वाला नहीं है। आज आप के सामने यह सवाल पैदा हो गया कि लैंड की सीलिंग कैसे करें। आय की सीमा क्या हो हमारी पार्टी ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि 1,500 रुपये की आय की सीमा रखी जाय जिससे एक आदमी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और पालन-पोषण भली प्रकार कर सके क्योंकि आपने तो परिवार को कांट छांट करके 2 और 3 कर दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं रखा है। हम तो इसमें विश्वास नहीं करते। हमारे हिसाब से तो बूढ़े मां बाप भी परिवार में आते हैं, उनको भी आपने निकाल दिया, आप समझते हैं कि उनको बुढ़ापे में निकाल देना चाहिये, बालिग भी अगर 2 दिन कम है तो वह भी हकदार नहीं रहेगा। इस तरह से कैसे परिवार चलेगा और कैसे विकास होगा यह हमारी समझ में नहीं आता है।

आपको भारतीय समाज की मान्यताओं के अनुसार परिवार के अनुसार परिवार की सीमा के विषय में सोचना पड़ेगा। अगर नाबालिग, पिता और माता सबको निकाल दिया तो यह चीज बेकारी की तरफ लोगों को अग्रसर करेगी। उनको आप खेती से हटा-कर कहां ले जायेंगे? क्या आपने उनको जंगल में ले जाकर गोली मारने की बात सोची है। हाथों को काम देने से कुटीर उद्योगों को विकसित करने से काम चलेगा, केवल हैवी इंडस्ट्रीज लगा देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपने यहां आर्थिक विषमता को दूर ही करना है तो एक सही आर्थिक व्यवस्था आपको अपने यहां हर क्षेत्र में लागू करनी होगी। आज आप अगर देखें तो सूबे में हालत यह है कि जो एक दो एकड़ वाले हैं या जो गरीब हैं उन्हीं की जमीन के बयनामे हुये हैं और नतीजा यह है कि हम ही लोग उनको खरीदते हैं। आपको यह मालूम होगा कि पच्छिमी जिलों में लोगों के पास 40-50 एकड़ के खाते नहीं हैं वहां कोई जमीन निकलने वाली नहीं है और हमारे जिलों में भी यह हालत है वहां पर स्वयं ही लोगों ने प्रबन्ध कर लिया है। यदि आप को विकास की बात सोचना है तो आप को देखना होगा कि हमारे यहां की सारी एकनामी किस चीज पर निर्भर है। जब आप एक लाख एकड़ जमीन जो निकली बताई जाती है उस को ही नहीं बांट सके तो आप इस को जो अब निकलने की बात कही जाती है क्या बांटेंगे। साढ़े सात से साढ़े 12 एकड़ के अन्तर्गत एक हल की जोत होती है। इतना यूनिट अगर रखा जायगा तो जमीन एक जगह एक खातेदार पर रहेगी वर्ना वह भी बिक जायगी। इसलिये मैं आप का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इन रजिस्ट्रेशन के कार्यालयों से आप आंकड़े मंगाकर देख लें कि वहां पर क्या हो रहा है। आज प्रदेश के किसानों की क्या हालत है, वह बहुत ही खराब है। न उन्हें बीज मिलता है, न उन्हें खाद मिलती है, न उन्हें पानी मिलता है और न उन्हें बिजली मिलती है। अब की बार तो खेत भी नहीं जोते गये हैं। आपको किसानों की ओर ध्यान देना होगा, यदि नहीं देंगे तो प्रदेश में हरित क्रांति नहीं आने वाली है और फिर आपको विदेशों से अनाज मंगाना पड़ेगा।

[श्री हिम्मत सिंह]

इन शब्दों के साथ में माननीय तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज जो लैंड सीलिंग का बिल माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, इसकी बहुत दिनों से इन्तजार थी। लैंड सीलिंग का जो बेसिक बिल था वह 1960 में आया था। उस समय से लेकर 1970 तक अर्थात् 10 वर्ष के बाद सन् 1960 में बने हुए कानून में जो कमजोरियां थीं, खामियां थीं, उनका फायदा उठाकर जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े फार्मर्स हैं, उन्होंने जो नाजायज इस्तेमाल किया था, इन 10 वर्षों के दौरान सब चीजों का एक्सपोजर हुआ और यह जरूरत महसूस हुयी कि कोई ऐसा विधेयक आये जिसके जरिये से वह गैर कानूनन और नाजायज तरीक़े से ली गयी सुविधायें और आसानियां खत्म की जा सकें। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है वह यह है कि जमीन का बंटवारा हो, और देश और प्रदेश की पैदावार की शक्ति बढ़े, उन चीजों को आधार बना कर यह लैंड सीलिंग का बिल सदन के सामने आया है।

माननीय चौधरी साहब ने अपनी बड़े आंकड़ेदार तकरीर के जरिये इस सारे मामले को सदन के सामने रखा और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वे इस सब्जेक्ट के माहिर हैं, आज यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जानता है लेकिन उन्होंने जिन बातों का तर्क दिया कि इसे प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय उचित नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह तो लगातार 2 वर्षों से प्रवर समिति क्या बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

जो था, उसको तो इन्होंने वापस ले लिया है?

श्री रियासत हुसेन—

उस बिल को वापस ले लिया लेकिन यह मसला, यह ईश्यू कि जमीन का बटवारा, जमीन की सीलिंग, अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग या जो आमदनी के रिसोर्सेज हैं, इस समाज के अन्दर कैसे हो, उन पर कैसे नियंत्रण लगाया जाय। यह इश्यू तो पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने लगातार 2 वर्ष से है और मैं यह समझता हूं कि यह मामला इतना अहम हो गया है कि इस देश और प्रदेश का कोई भी राजनीतिक दल नहीं बचा जिसने अपनी सालाना कांफ्रेन्सों में या एक्जीक्यूटिव कांफ्रेन्सेज में इन मुद्दों पर विचार न किया हो और निर्णय न लिया हो। उनकी पब्लिसिटी अखबारों के जरिये से और हर तरीके से जो भी उनकी ताकत के अन्दर था, जनता के सामने रखी। तो लगातार मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ईशू कि लैंड का सीलिंग क्या हो, अखबारों, पोलिटिकल कान्फ्रेंसों में, पब्लिक से मिलकर इस सदन के अन्दर, पार्लियामेंट के अन्दर, कभी सवालों के जरिये से, कभी किसी और तरीकों से लाया गया। तो इसलिए लगातार जनता के सामने यह बिल है और हर शख्श ने अपनी-अपनी राय अखबारों के जरिये से, तकरीरों के जरिये से और तहरीरों के जरिये से और तरह-तरह से दी है।

उन सारी चीजों को सामने रखकर एक बिल सदन के सामने रखा गया। श्रीमन्, जमींदारी एबालीशन बिल जो था उस पर तो जरूर इस सदन में बहुत लम्बी-चौड़ी बहस हुई थी लेकिन मैं समझता हूं इस बिल के लिए जितना समय, पांच दिन का समय, रखा गया है, शायद ही किसी बिल के लिए पिछले दस-पांच सालों में रखा गया हो। बिजनेस एडवाजरी कमेटी ने तीन दिन जनरल डिस्कशन के लिए और दो दिन क्लाज वाइज डिस्कसन के लिए रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना समय इस ख्याल से रखा गया कि यह बड़ा अहम बिल है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी के अन्दर कुछ सोचने के ढंग में परिवर्तन हुआ जिसके कारण जिस पार्टी ने 25 वर्ष तक हुकुमत की, उसका विभाजन हुआ। सोचने के ढंग में एक तब्दीली हुई और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला यह सब से पहला कदम है जो कि भूमि के बंटवारे से सम्बन्ध रखता है। देखना यह है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, रिएक्शनरी हैं, जो यह चाहते हैं कि काश्तकारी इसलिए करें कि टैक्स इवेजन का मौका मिले, काश्तकारी इसलिये करें कि कुछ लोग फार्म्स पर बैठे रहें और गलत-सलत काम करते रहें, अपने फार्म्स को गैरकानूनी कार्यवाहियों के अड्डे बना लें, आया उनको इससे बल मिलता है या इस सीलिंग के बाद जो जमीन निकलती है उसको सही तरीक़े से देहात के रहने वालों में बांट कर उसमें कुछ पैदावार बढ़ाने की बात सामने आती है। हमारी अर्थव्यवस्था का यह सारा मसला इस बिल में पेश है और यह एक इब्तदाई कदम है।

आज इस प्रदेश में जो खेती करने वाले लोग हैं उनमें तीन वर्ग है---एक छोटा क्लास है जो खेती भी करता है और साथ में जब समय मिलता है तो मजदूरी भी करता है। जिसके लिए सवा छः एकड़ का पैमाना रख कर कहा गया कि यह अलाभकर जोत है और उन पर से लगान भी माफ कर दिया। यह क्लास अगर पूरे तौर से खेती पर ही लगा रहे तो शायद अपने परिवार की जरूरत उसकी आमदनी से पूरी नहीं कर सकता। उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को मजदूरी की शकल में काम करना पड़ेगा। दूसरा वर्ग वह है जिसके पास 40 से 80 बीघा तक जमीन है, सवा छ : एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक। इस सदन ने प्रतिबन्ध लगा दिया कि किसी परिवार के पास साढ़े बारह एकड़ जमीन है तो वह और नहीं खरीद सकता . . . .

श्री भाभी यादव---

आपकी सरकार साढ़े बारह एकड़ तक मानने को तैयार है ?

श्री रियासत हुसैन---

जब आपका नम्बर आये तो कहिएगा।

तो श्रीमन्, दूसरा वर्ग सवा छः एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक वाला है। उस पर काश्तकारी कर के अगर बीज, खाद, पानी सही तरीके से मिल जाय तो अपने परिवार की सारी जरूरियात को जमीन की पैदावार से पूरी कर सकता है।

तीसरा वर्ग वह है जो साढ़े 12 एकड़ के ऊपर है। सन् 60 के ऐक्ट के लागू होने के बावजूद भी उसने इतनी जमीन इकट्ठी कर रखी है कि वह उस जमीन से पैदावार करके जो कुछ भी पैदा करता है उसको दूसरे कामों में जैसे कि अपनी इन्डस्ट्री को बढ़ाने में या लक्जरी के कामों पर खर्च करता है। उसके पास इतने साधन हैं कि वह सरकार के और दूसरे कामों से बचना चाहे तो बच सकता है हालांकि बचता नहीं है। जमीन का आधार लेकर वह बीज लेता है, खाद लेता है और तकावी का रुपया भी लेता है। जो रुपया वह लेता है वह खेती के कामों में न लगा कर दूसरी चीजों में लगाता है। इस बिल से इस तीसरे वर्ग के ऊपर चोट पड़ती है। आज हमारा जो सबसे बड़ा स्लोगन है वह है गरीबी हटाओ। हम तो इसी को मान कर चलते हैं कि हमको देश और प्रदेश से गरीबी को हटाना है। मेरा अपना यह ख्याल है कि हम उस समय तक अपने इस आब्जेक्टिव, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक कि जो इस देश के मालदार लोग हैं जैसे कि मालदार फार्मर्स, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स या बिजनेसमैन उनकी अमीरी को खत्म न कर दें। उस समय तक इस देश की गरीबी नहीं हट सकती है। यह हमारे प्रोग्राम का सबसे जरूरी हिस्सा है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक हमारी व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री बांके लाल—

आप गरीबी को हटाने के लिये ही इधर से उधर चले गये हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक आब्जेक्टिव हमारे सामने आया कि गरीबी हटाओ । उसकी पूर्ति के लिये हमको अमीरी हटाओ प्रोग्राम बनाना है । जब तक आप अमीरी हटाओ प्रोग्राम नहीं चलायेंगे यह गरीबी हटाओ का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है । यह बिल उन्हीं चन्द लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगा जो इस प्रदेश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फीसदी ही होंगे उन्हीं पर इसका प्रभाव पड़ेगा । बाज बाज लेखपाल पटवारी के सर्किल में कुछ थोड़े से लोगों पर ही इसका असर पड़ेगा । हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय कर लिया है कि 31 दिसम्बर तक इसको ऐक्ट बना देना है तब समझ में नहीं आता कि आप इसको प्रवर समिति के नाम पर इस ऐक्ट को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? यह बिल है और इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं लगातार 5 दिन इस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा । सब को पूरा मौका मिलेगा । हम भी अपनी पार्टी के अन्दर बैठ कर आज इस पर विचार करना चाहते हैं । आप भी अपनी-अपनी पार्टियों में बैठ कर इस पर विचार कर लें और बतायें कि इस बिल के अन्दर, जो कि सदन के सामने रखा है, क्या-क्या खामियां, क्या-क्या कमियां हो सकती हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी सीलिंग का बिल इस सदन में पास हो सके । डिबेट के दौरान, जनरल डिस्कशन में, खन्डवार डिस्कशन में आप मशविरा दें और जिन सुझावों को मंत्री जी जरूरी समझेंगे उन्हें इस बिल के अन्दर इनकारपोरेट किया जा सकता है, लेकिन आप इसको टालना क्यों चाहते हैं ? एक प्रपोजल हो चुका था कि 31 दिसम्बर से पहले पहले यह ऐक्ट बना दिया जायेगा । श्रीमन्, बड़ी भारी परेशानी इस बिल के आने से उन लोगों को हुयी—खास तौर से जब ये आदेश जारी हो गये कि ट्रांसफर्स बन्द कर दिए गये हैं । मेरे पास पचासों आदमी आए और वे कहते थे कि बिल पास होना था पास हो जाता, मगर ट्रांसफर्स क्यों बन्द कर दिए गये, बयनामें क्यों बन्द कर दिये गये ? आज भी इस प्रदेश के अन्दर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, बड़ी-बड़ी भूमि वाले हैं, जो बावजूद ट्रांसफर्स बन्द हो जाने के यह नहीं चाहते हैं कि यह बिल यहां पारित हो । इसमें दो राय नहीं है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को बुनियादी तौर से बनाने की व्यवस्था करें ताकि समाजवादी व्यवस्था आये और सीलिंग से निकली जमीन का बंटवारा हो जिससे कि देश का प्रोडक्शन बढ़े । जो जमीन निकल कर आए वह कहीं टुकड़ों की शक्ल में पड़ी न रह जाए और कहीं ऐसे लोगों को न मिल जाये जो जमीन लेते ही दूसरे दिन उसे बेचने की सोचने लगें । उस जमीन का सही इस्तेमाल होना चाहिये तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रदेश का कल्याण होगा ।

यह बात जरूर इस बिल के अन्दर सोचने की है कि आप उन लोगों के ऊपर क्या पाबन्दी लगायेंगे जिनके पास बड़ी-बड़ी मिलें हैं, बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं । उन्होंने टैक्स इवेजन के लिए हर जिले में बड़े-बड़े फार्म्स खोल रखे हैं चाहे उन फार्मों से एक पैसे का फायदा हुआ हो या न हुआ हो लेकिन अगर आप उनके बही खातों को देखेंगे तो उसके अन्दर निकलेगा कि एग्रीकल्चरल फार्म में 1 लाख का प्राफिट हो गया । अगर हकीकत में आप उस फार्म पर जा कर देखेंगे तो वहां पर सिवाय बंजर के और एक आदमी के रखे जाने के कुछ नहीं मिलेगा । इसके अलावा

और कोई चीज मिलने वाली नहीं है। आप टैक्स इवेजन को कैसे रोकियेगा और उन लोगों के ऊपर कैसे कन्ट्रोल कीजियेगा जो कि बम्बई के अन्दर रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और यहां पर उनके फार्म्स हैं। यही नहीं जमीन पर एनक्रोचमेंट किये हुये हैं। वह एनक्रोच्ड जमीन कैसे निकलेगी। फर्जी नामों से खाते बने हुये हैं। खाते में नाम होगा नत्था वल्द बुद्धू।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमें यह बात सोचनी होगी कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो जमीन मिलेगी उसका सही उपयोग हो और किस तरह से वह नेशनल पैदावार बढ़ाने के लिए रखी जाए, वह जमीन उन लोगों को न दी जाए जो फिर आगे उसे बेच दें। इस सिलसिले में मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि क्या बगैर इस पर गौर किये ही यह बिल रख दिया गया है? अगर गौर नहीं किया गया तो उसके लिए क्या सुझाव हैं?

श्री रियासत हुसैन—

उसी पर गौर करने के लिए तो यह बिल आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस बिल में कहां पाबन्दी है कि वे सुझाव नहीं दिये जायेंगे।

आप लोग इसमें अमेंडमेंट देंगे, आपके सुझाव आयेंगे इसमें कहां पाबन्दी है कि आपकी जो अच्छी बात होगी वह भी मंजूर नहीं की जायेगी।

हमें यह सोचना है कि जो बड़े-बड़े फर्जी खाते सन् 60 की सीलिंग के बाद बने हैं नत्थू वल्द बुद्धू के नाम से 35 एकड़ का खाता, अमीन आता है, उसका लगान वक्त के ऊपर चला जाता है, तो इस बात की जांच की क्या जरूरत है या नहीं कि आया नत्थू वल्द बुद्धू नाम का आदमी इस धरती पर है भी या नहीं। यह ठीक है कि उसके पास 18 एकड़ होगा लेकिन यह यकीन आपने कैसे कर लिया कि 18 एकड़ वाला आदमी दुनिया में है भी या नहीं।

इसी तरह से परिवार का मसला है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि परिवार की डेफीनीशन समझ में नहीं आती है। जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत परिवार की एक डेफीनीशन है, सन् 60 के सीलिंग ऐक्ट के मातहत दूसरी है और इस बिल के अन्दर तीसरी डेफीनीशन है। तो इस पर निश्चित निर्णय लीजिये नहीं तो एक वकील जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारा 154 का हवाला देगा तब कुछ डेफीनीशन होगी, सीलिंग ऐक्ट की बात करेगा तो परिवार की डेफीनीशन और देगा और इस बिल के हिसाब से और देगा। परिवार है चाहे वह इन तीनों में से किसी भी ऐक्ट के मातहत हो। इस चीज के ऊपर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये।

अब एक मसला बागात का है। इस प्रदेश के अन्दर मखसूस तौर पर आम के बागात ऐसे हैं जिनके बारे में सारा विश्व जानता है कि यह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इससे फारेन एक्सचेंज आता है। उसको आप किस हद तक सीमित करना चाहते हैं। गाइड लाइन्स में इसी चीज को सामने रखते हुये बागात के मामले में एक-एक धारा इसीलिये जोड़ी गयी है क्योंकि पूरे विश्व के अन्दर आम की कलमें यहां से जाती हैं और बागात लगाये जाते हैं। तो उस चीज को सामने रखते हुये सोचने की बात है कि बागात के मामले को हम प्रोत्साहन दें या उनको खत्म करने की बात करें। 3 एकड़ के बराबर एक एकड़ का बाग माना गया है लेकिन इस बिल में 2 एकड़ के बराबर माना गया है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है।

[श्री रियासत हुसैन]

इसके अलावा एक विवादग्रस्त इश्यू ह इर्रीगेटेड एरिया का है। गांव के अन्दर अभी जायं तो सेटिलमेंट तो हुआ नहीं। अंग्रेजों के जमाने का सेटिलमेंट चला आ रहा है। दुमुट अव्वल, दुमुट दोयम, दुमुट सोयम, भूड़ अव्वल, भूड़ दोयम। इस तरह से इस प्रदेश में 11–12 किस्म की जमीनें चली आ रही हैं। गांव का आदमी कहता है कि किस्म जमीन के ऊपर तफरीक क्यों नहीं करते। किस्म जमीन के ऊपर तफरीक करना असम्भव है तजुर्बों ने यह बतलाया है। प्लानिंग पर करोड़ों रुपया खर्च किया, नई-नई रिसर्च की, उसने यह बताया कि अच्छी पैदावार के लिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरी है वह है पानी। उसके बाद सेकेन्ड नम्बर पर फर्टीलाइजर, जोत, बीज आता है। जब पानी की सुविधा नहीं थी, नई-नई रिसोर्सेज नहीं थीं, उस वक्त मुख्य आइटम किस्म जमीन था। उसी के आधार पर पैदावार नापी जाती थी। आज क्लासिफिकेशन आपने पानी के मुताबिक किया है, वह सही है। यह बड़ा विवाद का विषय बन गया कि आखिर इर्रीगेटेड जमीन माने किसको। यह बहुत गम्भीरता से सोचने की बात है। इस बिल के अन्दर कैनाल की जमीन इर्रीगेटेड मान ली, ट्यूबवैल की जमीन इर्रीगेटेड मान ली। यह सही है कि वह इर्रीगेटेड है। लेकिन साथ में जो प्रतिबन्ध है जिसमें साल में दो फसलें जरूर होती हों और दो पानी हर फसल को मिलते हों तो इस पर जरूर सोचना पड़ेगा। दो बातें सोचनी पड़ेंगी। एक तो यह कि कहीं इस चीज का फायदा उठाकर लेखपाल या कानूनगो लखपति तो नहीं बन जायेगा। किस जमीन में तीन साल से दो फसलें उगायी जा रही हैं, यह क्लासिफिकेशन लेखपाल करेगा। वह किस हद तक ईमानदारी से काम लेगा इसमें मुझे सन्देह है। उसके लिए आपको कोई तरीका निकालना पड़ेगा।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई––

रियासत साहब ने काफी बातें कहीं कि यह होना चाहिये। उसके साथ वह यह भी कह दें कि वह खुद क्या चाहते हैं। वह कुछ बतलायें तो उस पर हम सोचें।

श्री रियासत हुसैन––

जो मैं कह रहा हूं अगर उसको आप गौर से सुनेंगे तो स्वयं नतीजे पर पहुंचायंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)––

अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में बात नहीं आती। आप फरमाते हैं कि गौर से सुना जाय। आपका कहना है कि सीलिंग बिल ज्यादा से ज्यादा एक परसेन्ट को एफेक्ट करेगा। सारी जिन्दगी 99 परसेंट में काट दी तो फिर एक परसेन्ट के लिये यह बिल लाने की जहमत क्यों। मेरी समझ में नहीं आया कि वह मुखालफत में बोल रहे हैं या मुआफकत में बोल रहे हैं।

श्री बांकेलाल––

रियासत साहब पानी-पानी बहुत चिल्ला रहे हैं तो क्या वह स्वयं काश्तकार हैं?

श्री रियासत हुसैन––

विरोधी दल की मांग है इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री बांकेलाल––

विरोधी दल की मांग है कि 12 एकड़ कर दो।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, अगर इनकी मांग 12 एकड़ की है तो उसी अनुपात में शहर की संपत्ति की भी सीमा होनी चाहिये और दोनों में शहर और देहात की संपत्ति में समानता होनी चाहिये न कि असमानता। फिर 12 एकड़ की क्यों करते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप रियासत साहब से प्रश्न कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति से प्रश्न न करें।

श्री रियासत हुसैन—

चूंकि प्रस्ताव यह जेरे-बहस है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं यह कह रहा हूं कि इसमें मामला सिर्फ 1 परसेंट का है और उनसे जो जमीन निकलेगी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो। एक परसेंट जो आलरेडी एग्जेम्टेड है वह उस एग्जेम्शन से नाजायज फायदा न उठाते रहें और जो काश्तकारी का सिस्टम है उस पर और टेन्योर होल्डर्स पर कोई बुरा असर न पड़े जिससे देहात की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो—उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस प्रदेश के अन्दर अनएम्प्लायमेंट का मसला दरपेश है। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 24–25 सालों में लगातार एक वर्ग है जिसको एम्प्लायमेंट के लिए कई कई अपारचुनिटीज हैं। बिजनेस भी है, इंडस्ट्री भी है, गवर्नमेंट सर्विस भी है और उन सारी चीजों को ढकने के लिए कोई एग्रीकल्चरल फार्म भी है जिससे टैक्स इवेजन होता है। जब शहरी जिन्दगी और इंडस्ट्री वगैरह से घबरा जायं तो जरा पिकनिक करने के लिये फार्म पर चले जायं जैसे कि इंगलैंड में काउंटी होम्स होते हैं। तो इस व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाय। इसी चीज को बदलने के लिये, सोशलिस्ट समाज को कायम करने के लिये यह बिल पहला मौका है जिससे इस तरफ कदम उठाया गया है, लेकिन मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों को शिकायत है कि लैन्ड की सीलिंग का बिल आ गया, अरबन सीलिंग का बिल क्यों नहीं आया ? आपके सामने जब कार्यक्रम रखा गया तो उसके अन्दर यह प्रयास है कि अरबन सीलिंग का बिल भी रखा जाय जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि अरबन सीलिंग का बिल भी उसी कंटीनुएशन में आ जायगा और यह भी उन्होंने कहा कि यह सदन उसके ऊपर भी निर्णय लेना चाहता है। तो यह तो एक साल से लगातार प्रक्रिया चली आ रही है। पब्लिक मीटिंग्स में, अखबारों में, सदन में हर जगह पर पहले बिल रखा गया, उसके ऊपर कुछ टीका-टिप्पणी हुई कि यह कमी रह गयी, वह रह गयी। गाइड लाइंस बनीं। ये सारी चीजें हुई। अब उसके अन्दर ज्यादा छान-बीन की कोई खास जरूरत बाकी रह नहीं गयी। सिर्फ यह कमी है कि आपके सुझावों की शक्ल में जो चीजें रह गयी हों वह आ जायं ताकि यह और ज्यादा स्पीड-अप हो जाय, रिवोल्यूशनरी हो जाय। तो लगातार 5 दिन इस माननीय सदन में बैठ कर आप बहस कर रहे हैं। आपको पूरा मौका मिलेगा। राजस्व मंत्री बैठे हैं। वह आपके अच्छे सुझावों को नोट करेंगे और उनको शामिल करेंगे।

यह बात जरूर है कि यह ऐन समय है कि लैंड का सीलिंग बिल पास हो ताकि आगे को जल्दी ही अर्बन सीलिंग का बिल पास हो। इस देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये, समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह प्रोग्राम, जैसा मैंने पहले कहा कि मालदार और रईसी को खत्म करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उस प्रोग्राम का एक पार्ट यह बिल है। इसलिये मैं माननीय चौधरी चरण सिंह, द्वारा रखा तो दूसरे माननीय सदस्य ने था लेकिन उन्होंने ही सारी वकालत की कि प्रवर समिति को यह बिल भेज दिया जाय, इसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप एक से एक अच्छे सुझाव पांच दिन की यहां बहस में दे सकते हैं। यही बात कह कर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप स्वयं असन्तुष्ट हैं मंत्री हैं, उस पार्टी के।

श्री रियासत हुसेन (जिला खीरी)--

मैं तो स्वयं संतुष्ट हूं हर जगह कह रहा हूं ।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)--

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बिल 31 दिसम्बर से लागू हो या आज अभी, इसी क्षण से, प्रवर समिति में भेजा जाय या न भेजा जाय, ये प्रश्न तो गौण है। इससे पहले भी एक बात विचारणीय है कि क्या हमारे प्रदेश की सरकार को इस बिल को प्रस्तुत करने का कोई नैतिक अधिकार है या नहीं ।

दस साल पहले एक सीलिंग हुई थी। लाखों एकड़ जमीन सीलिंग से निकली थी। उसमें भी यही लक्ष्य था कि वह जमीन गरीबों को, भूमिहीन खेत मजदूरों और हरिजनों को बांटी जायेगी। यह तो हर आदमी स्वीकार करता है कि उसमें से बहुत ज्यादा जमीन ऐसी है जो नहीं बांटी जा सकी है। सबसे ज्यादा जमीन हमारे जिला खीरी में ही उपलब्ध हुई थी और सौभाग्य से वहां के डिप्टी मिनिस्टर माल भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रत्येक सप्ताह वह खीरी जिले में जाते हैं और जब भी वह जाते हैं तो उनके आगे पीछे रेवेन्यू अधिकारियों का एक पूरा काफिला रहता है, क्या वह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वहां 25 फीसदी जमीन भी पुरानी सीलिंग की गरीब, भूमिहीन खेत मजदूरों को पहुंची है ? श्रीमन्, बिल्कुल नहीं पहुंची है। अगर कहीं 10-5 फीसदी पहुंची है तो वह भी फर्जी आंकड़े हैं और जब ये जाते हैं तो सारे जमीन चोर इनके आगे पीछे अधिकारियों के साथ लग जाते हैं। जब पुरानी जमीन, जिसको आपने गरीबों को देने के नाम पर लिया था आप दे नहीं सके और उस जमीन पर कुछ बड़े-बड़े लोग ही काबिज हैं जिनके पास पहले से जमीन थी उन्होंने ही कुछ फर्जी नामों से पट्टे करवा कर और ज्यादा जमीन बढ़ा ली है, तो क्या आपको कोई नैतिक अधिकार है बिना उस जमीन का प्रबन्ध किये नया सीलिंग ऐक्ट लाने का ?

दूसरा एक और प्रश्न है। दो साल पहले, बड़ा शोर था इस सदन के अन्दर, बिड़ला फार्म का। चार हजार एकड़ का शायद प्रदेश में सबसे बड़ा फार्म था, खीरी जिले में उसे जब्त किया इस सरकार ने। उसमें से क्या एक डेसिमल भी जमीन किसी गरीब को अब तक दी गयी जबकि रोज आप उसके किनारे से निकलते हैं ?

जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे, बिड़ला जी के रजिस्टर में भी उनका कहीं नामोनिशान नहीं होगा कि वे अब कहां हैं। उसके आस पास रहने वाले हरिजनों से कभी यह नहीं पूछा गया कि उनको जमीन मिली कि नहीं। जो सूची बन रही है भूमिहीनों की उसमें अधिक शहर के ही लोग हैं। माननीय चरण सिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक विशेष ड्राइव चलाया था। जिसमें हजारों 115-डी के मुकदमे चले। एक साथ जिले में 16 हजार मुकदमे चले। काफी जमीन निकली भी। दो अतिरिक्त जिलाधीश भी भेजे गये कि वे गांव में भूमिहीनों को भूमि दें। मगर किसी भी भूमिहीन को एक इंच भी भूमि नहीं मिली। लाटरी निकाली गयी, जिसका नाम निकला उसको पट्टा नहीं मिला। क्या एक भी सौभाग्यशाली गरीब व्यक्ति को भूमि पर वास्तविक अधिकार मिला ? जब यह दशा है तो आपको आज क्या नैतिक अधिकार है अब फिर सीलिंग बिल लाने का ? उस वक्त 115-डी के जो मुकदमें हुये उनके फैसलों तक से गांव वालों को अवगत नहीं कराया गया। यह जो जमीन निकाली गयी थी उसका एक ही मकसद था निकालने का कि वह बड़े-बड़े लोग जिनकी भूख जमीन की अभी नहीं मिटी है, उनको और जमीन देकर उनकी भूख मिटा दी जाय। आज गरीबी हटाओ के नारे के तहत वह सीलिंग बिल आ रहा है और ऐसा लगता है कि दिल्ली से सारा

समाजवाद किसानों पर ही उतर रहा है। काश गांव के साथ-साथ शहरों में भी सीलिंग होती, वह आप कर नहीं रहे हैं। आज जो विषमता दूर करने की बात करते हैं, इस तरह से तो आप विषमता और बढ़ा रहे हैं। आज किसान गन्ना पैदा करता है मगर शकर खाते शहर वाले हैं। 70 फीसदी शकर सरकार लेती है। हम कहते हैं कि यह 100 फीसदी ले पर खुली बिके, मगर किसान को तो उसकी उपज का, गन्ने का उचित मूल्य दिया जाय। आज गांव में सन् 62 की जन-गणना के हिसाब से परिवारों को शकर दी जा रही है और वह किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। जो आधा किलो आप देते हैं वह भी सब को नहीं मिलती। हालत यह है कि एक परिवार 10-10 मिलों का मालिक है, 5-5 लाइसेंस बसों के लिये हुये हैं, 10-10 कोटे के परमिट भी लिये हुये हैं। एक एक आदमी साझेदारी करके 500 व्यापारिक कम्पनियों में हिस्सा रखता है। तो यह है आपका समाजवाद। सीलिंग, केवल गांव और किसान के लिये ही है। यह दोहरा पैमाना आपके समाजवाद का है। इसको आपको रखने का क्या अधिकार है ?

(इस समय 4 बज कर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जरूरी है कि इस पर विचार करने से पहले, दोनों सीलिंग बिल शहरी और ग्रामीण एक साथ इस सदन में पेश किये जायं। फिर चाहे विचार इसी पर हो, पहले पास यही किया जाये।

इस सीलिंग में जैसे परिवार को आधार माना गया है, उससे सम्पूर्ण भारत की नैतिकता ही खतरे में पड़ गई है। भारतवर्ष में हम आरम्भ से सम्मिलित परिवार के हामी रहे हैं आपने एक ऐसी व्यवस्था जान-बूझ कर की है कि यदि कोई बालिग हो तो झूठ बोलेगा और कहेगा कि हम अलग परिवार हैं। सरकार ने सम्मिलित परिवार की परम्परा तोड़ने की व्यवस्था इसमें की है। उस भाव से सोचना ही आगे के लिये अपने देश में आपने बन्द कर दिया है। श्रीमन्, एक पिता के जितने पुत्र हैं, वे सब आदि काल से अपने पिता की जायदाद में समान भागीदार रहे हैं। लेकिन अब वही, दो दिन बाद और दो दिन पहले वाले में फर्क हो गया और उत्तराधिकार की परम्परा ही नष्ट की जा रही है।

पहले जो बिल रखा गया था वह सोच समझ कर रखा गया होगा। अब इसमें भी कुछ नई जगहें छोड़ दी गई हैं। क्या मैं यह कहूं जहां एक बराबर ढाई एकड़ जोत मान लिया है। तराई के इलाके में दरिया या कछार के बीच ऐसी जमीनें पड़ी हैं, जहां हर साल हमेशा बाढ़, खास कर लखीमपुर के शारदा नदी के दोनों तरफ़, आती हैं। जहां प्रकृति ने यदि कृपा कर दी तो फसल हो गई नहीं तो दो तीन साल तक कोई फसल नहीं होती। उस इलाके को आपने क्यों नहीं इसमें शामिल किया ? यदि यही माप हो कि इम्पार्टेन्ट मिनिस्टर का क्षेत्र हो तब ही शामिल किया जायगा, तो भी वह राजस्व उप मंत्री के इलाके में आता है। इस दृष्टि से कर दिया जाता। लेकिन उनका तो लगाव उन्नाव से है, जहां वे रहते हैं, लखीमपुर के उस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है। वहां की इंडीकेट कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया था और उन लोगों का डेपुटेशन भी आया था और मंत्रीजी से भी मिला था, लेकिन उनको बड़ी निराशा हुई। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जितने जमीन चोर हैं वे उप मंत्री जी अगल-बगल कारों की फ्लीट बना कर चलते हैं। आप हर सप्ताह वहां जाते हैं। जिसकी लाटरी से पट्टे मिले उसमें से किसी व्यक्ति को भी जमीन दिलाई हो तो उसके नाम आप हमें बताइये। मैं सदन के सामने निवेदन करता हूं कि खीरी जिले में सबसे ज्यादा भूमि व्यवस्था गड़बड़ है। इनके दौरे को प्रोग्रामों को उठा कर देखा जाय, हर सप्ताह यह वहां जाते हैं। यह भी सूचना मंगा कर देख ली जाय कि कितने दिन तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और अन्य रेवेन्यू अधिकारी इनके पीछे चलते हैं और इन्होंने कितना ज्यादा सरकारी जीपों का इस्तेमाल किया है। साथ ही यह भी बतायें कि कितने लोगों की नाजायज कब्जा हटाकर जमीन कितने गरीबों

[श्री करन सिंह]

को दिलाई है। 70-75 हजार एकड़ जमीन पड़ी है, उसको कभी नहीं बंटवाया है। गलत कहने को तो सारी चीजों को गलत कहा जा सकता है। आप बुरा मानेंगे तो क्षमा मांग लूंगा, उसके लिये भी तैयार हूं। पर सच्चाई कहने के लिये विवश हूं।

श्री मान्, आखिर बात क्या है ? कौन सा आधार है जिसकी तहत यह सीलिंग का बिल लाये हैं ? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज सरकार के सामने सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि वह अपना नैतिक पक्ष प्रस्तुत करें। अगर आज या कल या एक हफ्ते के अन्दर वह प्रस्तुत कर सकती है, पुरानी जमीनों का सही बटवारा करके, तो 31 तारीख से इसे लागू कर दें। अगर नहीं कर सकते, जब तक पुरानी जमीनों का सही बटवारा न कर दें तब तक इस बिल को मुल्तवी रक्खे।

शहरी और देहाती सम्पत्ति की सीमा के बिल एक साथ जब हमारे सामने आयें तब हम कुछ सही बिचार कर सकें और कुछ निर्णय ले सकेंगे। ऐसा कोई बिधायक नहीं होगा जिसे गरीबों से हमदर्दी न हो और जिसके क्षेत्र में गरीब न रहते हों, और जिसे गरीब के पास वोट मांगने न जाना पड़ता हो। कर्तव्य और नैतिकता सारे आधार सबके सामने हैं। लेकिन किसी काम का कोई कारण होना चाहिये। दोहरा मांपदंड रखना ठीक नहीं। जैसा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी ने कहा है यदि आप सही बात कह सकें साहस के साथ आप सारी जमीनों पर अधिकार कर लेंगें, सारे आय के साधनों पर आप अधिकार कर लें। लेकिन जिन चीजों का आप सरकारी करण कर चुके हैं उनमें एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही। कुछ का सरकारी करण किया भी। जिन चीनी मिलों का सरकारीकरण हुआ उनमें और जो प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, एक नियम यह है कि जो गेट और आउट गेट पर मूल्य 32 पैसे प्रति कुन्तल से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन मेरी सूचना है कि कोई भी सरकारी चीनी मिल नहीं होगी जिसने 50 पैसे प्रति क्विंटल न काटा हो। यह क्यों काटा ?

उत्तर प्रदेश में सरकार के बहुत से फार्म चल रहे हैं वहां पर खेती की लागत क्या है ? प्रति क्विंटल गेहूं पर कितनी लागत आती है यही आंकड़े प्रस्तुत करें। खीरी जिले में 85 रुपये प्रति क्विंटल लागत आयी है। मैंने ऐग्रीकल्चरल आफिसर से पूछा है। 76 रुपये में जो गेंहूं आपने किसान से खरीदा उसी को बीज में 132 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। सबसे बड़ी लालागीरी, बनियागीरी तो आप कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह समाजवाद है। यह समाजवाद खाली हवा में उड़ा रहे हैं।

श्री मान्, सरकार आज उत्तर प्रदेश के उन प्रगतिशील किसानों को इस अधिनियम के द्वारा सजा देने का प्राविधान कर रही है जो जिम्मेदार हैं। इस देश की भुखमरी मिटाने के लिये, जिन्होंने कृषि विभाग को राय मान कर यहां हरित क्रांति पैदा किया इस देश के अन्दर, उनको 18 एकड़ भूमि मिलेगी जो उसमें नहीं शरीक हुए उन्हें 27 एकड़। वह आगे शरीक हो जायं इसलिए अब यह आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त के बाद जिन्होंने ट्यूबवेल लगाये हैं या भविष्य में लगायेंगे उन पर सीलिंग नहीं आयेगी। आपके आश्वासन का मूल्य क्या है ? क्या अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के आश्वासन का कोई मूल्य शेष है ?

कोई भी सरकार, उससे पहले की सरकारें जो कर जाती हैं, उनसे बंधी होती है। इस प्रदेश की पिछली सरकार ने जो यह आश्वासन दिया था 10 गुना देने पर कि वह किसान की जमीनें छुवेगी नहीं 40 वर्ष तक। आज इस प्रदेश की यह सरकार उनकी जमीनों को छू रही है और लगान भी बढ़ाने की व्यवस्था कर रही है नया बन्दोबस्त ला कर। आज जो यह सरकार आश्वासन दे रही है कि तुम अगर ट्यूबवेल लगवाओगे तो वह जमीन सीलिंग में नहीं आयेगी उस पर किसी को विश्वास नहीं रह गया है और सारी हरित क्रांति अवरुद्ध होने वाली है। समाजवाद और चीज है और साम्यवाद और चीज है। हम जा रहे हैं रूस के इशारे पर।

श्री महीलाल—

आप साम्यवाद से क्यों घबड़ा रहे हैं ?

श्री करन सिंह—

मैं घबड़ाने वाला नहीं हूं। आज अमेरिका के अन्न का सबसे बड़ा मार्केट रूस में है और दूसरे नम्बर पर चायना में है। बधाई देना चाहिये उन किसानों को जिनके परिश्रम के बल पर आज यह देश इस काबिल हुआ है कि हम दूसरों के सामने अन्न के दानों के लिये हाथ नहीं पसारते। यदि यही रवैया रहा तो बहुत जल्दी आपको हाथ फिर पसारना होगा। मैं सीलिंग के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन उसका एक नैतिक पक्ष है मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सच्चाई अपनी जगह पर है और उसको कहने में मुझे कोई हिचकिहचाहट नहीं है। मेरा तो इतना निवेदन मात्र है कि शर्मा जी के दल का ही कोई कमीशन चला जाय और जांच कर ले कि आज गांव की क्या दशा है ? आज समाजवाद के नाम पर समाज की दुर्दशा हो रही है और हालत यह है कि सरकार जिस चीज पर हाथ लगाती है तो सोना होने के बजाय वह मिट्टी हो जाती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया लेकिन जिस तरह से किसान को कर्ज मिलता है वह हालत आप देख लीजिये। प्लानिंग विभाग से रोज जोर दिया जाता है कि सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये पंपिंग सेट्स खरीदे जायं। उनका जो रेटकांट्रेक्ट है उस पर 300से 500रुपये तक फी सेट लैण्ड डेवलपमेंट बैंक का कमीशन होता है जो इंजन मिलता है उससे अच्छा इंजन पंजाब में 1200, 1400रुपये में मिल जाता है। मैंने प्लानिंग कमेटी में यह सुझाव दिया था कि पंपिंग सेट्स का रुपया सीधे किसान को दे दिया जाय। भारत सरकार का यह आदेश है कि यह पैसा सीधा किसान को नहीं दिया जायगा। वह रुपया किसी फर्म के नाम से दिया जायगा और यहां फर्म्स फर्जी नामों से काफी व्यापार करती है और ऐसे किसानों के नाम से वह रुपया लिया जाता है जिनके दस्तखत भी नहीं होते, जिनको पंपिंग सेट्स नहीं मिलते। यह आप के समाजवाद का तरीका है। दिल्ली की सरकार ने यह कह दिया कि अगर कोई प्रदेशीय सरकार सीधे पैसा किसानों को देगी तो हम उस प्रदेश को नहीं देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की मेमना हो गई है। जो चीज 14सौ रुपये में पंजाब और हरियाणा में मिल सकती है वही चीज उत्तर प्रदेश में 3हजार रुपये की मिलती है, क्या यही समाजवाद है। और उस पर भी किसान जमीन को बन्धक रखें। इतना जोखिम लेने के बाद तब ग्रीन रिवोल्यूशन में शरीक हों। ऐसी हमने कोई और सरकार नहीं देखी है।

श्रीमन्, मैं आप से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास इस बिल को प्रस्तुत करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं उसी भावना को लेकर इस बिल का विरोध कर रहा हूं। यह सरकार यह प्रमाणित करे कि वह सचमुच में जमीन लेना चाहती है और उसको लेने के बाद गरीबों को बांटना चाहती है। पिछली बार जो जमीन सरकार ने ली थी वही गरीबों को नहीं दे पायी है। मैं कहता हूं कि जब तक उस जमीन का सही वितरण आप न कर दें तब तक नयी सीलिंग लाने का आप को कोई हक नहीं है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब तक आप यह आश्वासन इस सदन को न दे दें कि जो शहरी सीलिंग आप लाने वाले हैं वह गांव और शहर में बराबर होगी तब तक इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वह इस बिल को पास करावें। एक-दो का फर्क हो सकता है किन्तु बहुत ज्यादा अन्तर रखना मुनासिब नहीं होगा। आप को केवल एक आदेश देने की बात है कि एक आदमी को एक से अधिक कंट्रोल की दुकान नहीं दी जायेगी, न उसको परमिट एक से अधिक दिया जायेगा और न किसी अन्य व्यवसाय में एक से ज्यादा चीजों के लिये उसे लाइसेन्स दिया जायगा, क्या यही आप का समाजवाद है कि हिन्डालको और चीनी को जितनी बिजली वह चाहे उतनी उसे मिल जाय और छोटे-छोटे जो क्रेशर हैं उनको आप उस लिस्ट में रखें ही नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

मान्यवर, जो दुबारा सीलिंग का बिल पेश किया गया है और जिसके विषय में बड़े यहां पर जोरों के साथ चर्चा हो रही है। मैं उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि सन् 1947 में इसी हाउस में माननीय श्री रफी अहमद साहब ने जमींदारी उन्मूलन बिल पास कराया था जिससे कि इस देश में बड़ी भारी क्रांति आयी, साथ ही छोटे वर्ग के लोगों को हजारों एकड़ जमीन उससे मिल गई थी। इसी तरीके से माननीय उदित नारायण शर्मा जी, जो कि हमारे राजस्व मंत्री हैं, ने उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण बिल पेश किया है वह इसी आशा से किया गया है कि सीलिंग (हदबन्दी) करके लगभग साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन निकलेगी और वह जमीन यहां के रहनेवाले निवासियों को जो भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, दी जायेगी....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल भी जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक श्री मोहन लाल कपूर की है। "मेरठ जिला केन्द्र मे नसबन्दी करने वाले अधिकारियों द्वारा लोगों से जबरदस्ती नसबन्दी करवाना एवं चन्दा वसूल करना"। यह अस्वीकार किया जाता है।

दूसरा सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, रामधारी शास्त्री और श्री शिव कैलाश का है—"ग्राम सजनी, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी अफवाह फैलाना और साम्प्रदायिक भावना उभाड़ना।"

इसी विषय पर आज सबेरे माननीय अध्यक्ष ने नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया है और इसको मैंने भी स्वीकार किया है। इसमें श्री अनन्तराम जायसवाल आदि का नाम भी जोड़ दिया जायगा। इसमें समय दे दिया जायेगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

इसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस स्टेज पर नाम कैसे जोड़ा जाय। अगर श्री बांकेलाल जी लिख कर दें तो उस पर विचार हो सकता है।

एक सर्वश्री चन्द्रभान शर्मा, सईद मुर्तजा, मनफूलसिंह और मोहम्मद असरार अहमद का है—"जिला मुजफ्फरनगर के पुलिस स्टेशन कैराना की पुलिस द्वारा एक नौजवान व्यक्ति की पिटाई से मृत्यु।

यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

श्री चन्द्रभानु शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इसके लिये तारीख रख दी जाय। क्योंकि 22 तारीख को सदन की बैठक समाप्त हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सबेरे भी निवेदन किया था कि मेरे लिये समय नियत करना मुश्किल है क्योंकि देखना पड़ेगा कि कब समय खाली है। हो सकता है कि उस दिन पहले से ही कुछ लगा हुआ हो। जब आपको समय न मिले और इसकी आवश्यकता समझें तो 22 तारीख को कहियेगा

श्री चन्द्र भानु शर्मा--

यह इतना अर्जेंट है कि पुलिस की मार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं चाहता था कि इसको 22 तारीख के लिए रख दें ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जला फैजाबाद)--

आजमगढ़ वाले के साथ मेरा भी नाम जोड़ दिया जाय ।

उपाध्यक्ष---

ठीक है सजनी वाले में उन तीन नामों के साथ आपका और श्री जायसवाल जी का नाम भी जोड़ दिया जायगा ।

एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम राम बिलास पांडेय और बंशीधर पांडेय का है--"जिला शाहजहांपुर के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन न मिलने से घोर असन्तोष ।"

इसमें नवम्बर 20 तारीख तक अन्तिम है, इस तरह से एक महीने का उनको नहीं मिला तो यह विषय ऐसा नहीं है। आप सरकार को चिट्ठी लिखें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

कृपा करके आप सरकार को इस पर लिख कर भेज दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

एक सर्वश्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय, और विश्वनाथ कपूर का है। "उन्नाव जिले के गुंज मुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम लहरापुर के एक निवासी की गलत नसबन्दी के कारण मृत्यु"। यह स्वीकार नहीं किया गया।

एक सर्वश्री इन्द्रमणि बड़ौनी व राम लाल चतुर्वेदी का है-,'टेहरी गढ़वाल पर्वती अंचलों में ओला वृष्टि के कारण भयंकर क्षति एवं अन्न संकट।"

श्री बड़ौनी जी, क्या आप चाहते हैं कि इसको कार्यवाही के लिये भेज दिया जाय। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो पहले चिट्ठी लिख कर जानकारी प्राप्त कर ल कि सही स्थिति क्या है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरीगढ़वाल)--

ओले व बरसात की वजह से वहां लोगों को राशन बहुत कम मिलता है। यह तो आप लिखकर सरकार को भेज दें कि वहां के लोगों को राशन तो मिलने लगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
15 दिसम्बर, 1972 ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 413 पर)

मांग	स्थिति
1	2
(1) होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान का पृथक निदेशालय हो ।	पृथक होम्योपैथिक निदेशालय की अभी शासन आवश्यकता नहीं समझता है ।
(2) डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पारित जी० एच० एम०एस० कोर्स देकर विश्वविद्यालय से डिग्री दिया जाय ।	यह एक शैक्षिक विषय है और विश्वविद्यालय के अधिक्षेत्र में आता है । शासन द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय को विचारार्थ लिख दिया गया है । शासन अभी इस दिशा में कोई अन्य कार्यवाही नहीं कर सकता ।
(3) विद्यालय के भवन एवं छात्रावास का निर्माण अविलम्ब कराया जाय । ज्ञातव्य है कि अलीगंज विकास योजना में नगर महापालिका, लखनऊ ने 5 एकड़ भूमि नेशनल होम्योपैथिक कालेज के भवन निर्माण हेतु देने का निर्णय शासन को भेज दिया है ।	इस मांग पर यथावश्यक कार्यवाई हो रही है । नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा 5 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है, उसके मूल्य दिये जाने की व्यवस्था अनुपूरक मांग द्वारा की जा रही है तथा भवन के आरम्भिक नक्शे बनाने के लिए उप निदेशक (होम्योपैथी) को आदेश दे दिये गये हैं ताकि भवन निर्माण के लिए विधायी स्वीकृति प्राप्त की जा सके ।
(4) होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित होने वाला दो वर्षीय कन्डेंस डिग्री कोर्स रद्द किया जाय ।	प्रश्नगत कन्डेन्स्ड कोर्स की रूपरेखा आदि के बारे में बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाई की जायगी ।
(5) सर्जरी, गाइनाकालोजी, मिडवाइफरी, आप्थलयालोजी एवं आब्स्टेट्रिक्स आदि के प्रयोगिक ज्ञान के लिए छात्रों को सिविल अथवा बलरामपुर चिकित्सालय में शिक्षा के लिये अधिकारिक तौर पर व्यवस्था किया जाय क्योंकि इसकी व्यवस्था इस कालेज में नहीं है ।	नेशनल कालेज के छात्रों को प्रस्तावित प्रशिक्षण स्थानीय बलरामपुर/सिविल अस्पताल में दिलाया जा सकता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक की प्रतिक्रिया भी आवश्यक है । उसे प्राप्त करने के बाद इस मांग पर विचार किया जायगा ।
(6) मेडिसिन प्रेक्टिस एवं होम्योपैथी मेडिसिन (क्लीनिकल क्लास) के प्रायोगिक एवं ज्ञान के लिये कालेज के वाह्य अन्तः रोगी कक्ष में उचित व्यवस्था किया जाय ।	ऐसी व्यवस्था पहले से उपलब्ध है । इस मांग पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।
(7) मांग नं० 5 को पूर्ण ज्ञान के लिये शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्रों को जिला चिकित्सालयों में 3 माह के लिये सीखने हेतु अधिकारी तौर पर व्यवस्था किया जाय ।	होम्योपैथिक छात्रों का एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रशिक्षण कोई अर्थ नहीं रखता । यह स्थिति मांगकर्ता को स्पष्ट कर दी गई है ।

1	2
(8) जी० एच० एम० एस० डिग्री कोर्स के छात्रों के शिक्षा समाप्त करने के बाद अनिवार्य रूप से 6 माह का इन्टर्नशिप प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दिया जाय ।	होम्योपैथिक डिग्री प्राप्त छात्रों के लिये अनिवार्य इन्टर्नशिप की व्यवस्था के संबंध में कानपुर विश्वविद्यालय को लिखा गया है । उनके विचार प्राप्त कर लेना आवश्यक है । चूंकि इन डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है अतः इस सम्बन्ध में बोर्ड की आख्या भी प्राप्त की जा रही है ।
(9) होम्योपैथिक बोर्ड का संशोधित संविधान अतिशीघ्र लागू किया जाय ।	इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।
(10) प्रदेश के जिलों के समस्त तहसीलों में कम से कम चार होम्योपैथिक चिकित्सालय (चार बेडेड) खोले जायं ।	इस प्रस्ताव को स्वीकार करना फिलहाल सम्भव न होगा ।
(11) इस कालेज में कई विषयों के चिकित्सक (लेक्चरर) नहीं है । उनको नियुक्त किया जाय जिससे शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो सके ।	यह मांग बहुत स्पष्ट नहीं है कि निदेशक से पूछा गया है कि क्या इस समय कालेज का कोई स्वीकृत लेक्चरार का पद रिक्त है और यदि हां, तो उसे भरने की क्या वर्तमान स्थिति है । सम्भवतः मांग का आशय यह है कि कालेज में कुछ विषयों के अध्यापन के लिए पृथक अध्यापकों के पद सृजित किये जायं । मांग पर इस दृष्टिकोण से भी परीक्षण किये जाने के लिये उप निदेशक (होम्योपैथी) को लि ◆ दिया गया है ।
(12) होम्योपैथिक चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित किया जाय ।	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिकित्सकों काव र्तमान वेतनमान 150–260 रु० है। राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों के पुनरीक्षण का प्रश्न वेतन आयोग द्वारा विचाराधीन है । उक्त वेतनमान के पुनरीक्षण के बाद ही यह प्रश्न उठेगा कि उस वेतनमान के कर्मचारी को राजपत्रित घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं । परन्तु विभागीय दृष्टिकोण जो वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि भिन्न पद्धतियों के चिकित्सकों का वेतनमान समान हो ।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 416 पर)

तालिका

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद और स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद के अराजपत्रित कर्मचारियों की मुख्य मांगें

1—संघ को कार्यालय हेतु उपयुक्त स्थान एवं मान्यता दी जाय ।

2—चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जिन्हें एक माह की नोटिस देकर सेवायें समाप्त करने के आदेश दिये गये हैं उनके आदेश तुरन्त वापस लिये जायं ।

3—तीन वर्ष से पुराने कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ।

4—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऋतु के अनुसार वर्दियां दी जायं ।

5—एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त करने की प्रथा बन्द की जाय तथा भविष्य में किसी को नहीं निकाला जाय ।

6—फंड एवं सिक्यूरिटी की रसीदें एवं वेतन समय पर दिया जाय ।

7—साप्ताहिक अवकाश तथा त्योहारों एवं राष्ट्रीय पर्वों पर राजकीय आदेशानुसार अवकाश दिया जाय ।

8—आठ घंटे तथा छः घंटे से अधिक ड्यूटी न ली जाय । अगर इसके अलावा आकस्मिक ड्यूटी ली जाय तो उसका अतिरिक्त भत्ता दिया जाय ।

9—चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से आवास गृहों का किराया न लिया जाय तथा उनसे पार्ट प्रेपरेशन, एनीमा, पल्स, टेम्परेचर न कराये जायं ।

10—ब्लड बैन्क तथा क्लिनिकल पैथोलोजी विभाग का समय अस्पताल के खुलने तथा बन्द होने के समय किया जाय और चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य की जाय ।

11—मेडिकल कालेज कैम्पस के आवास गृहों को उचित ढंग से बनवाया जाय तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना एवं ढंग से बनाया जाय । जब तक वे न बन सकें उनमें रहने वाले कर्मचारियों से प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चरर की भांति स्टैंडर्ड रेंट ही लिया जाय । यही डिमाण्ड मेडिकल कालेज के आवास गृहों तथा स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय के लिए लागू किया जाय । जो कमरे दूसरे तकवे के लोगों को एलाट किये गये हैं तथा वे रह रहे हैं उन्हें खाली कर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जायं ।

12—किसी भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बिना न्यायिक जांच या ऐसी जांच जो अधिकारी वर्ग एवं संघ वर्ग के कर्मचारी दोनों को मिलाकर हो, के बिना कोई भी आर्थिक या किसी प्रकार का दण्ड न दिया जाय ।

13—धोबियों को रहने तथा सरकारी कपड़े को रखने के (गीले या सूखे) अलग-अलग स्थान दिये जायं । जिसका कोई किराया न लिया जाय । कपड़ों को धुलने के समस्त सामान पूरी मात्रा में दिये जायं ।

14—आया एवं स्वीपर्स की ड्यूटी मेल वार्ड में न लगाई जाय तथा नाइट ड्यूटी में काल लेकर न भेजा जाय ।

15—अनट्रेन्ड टेक्निशियन जिनकी सेवायें 8–10 वर्ष की हैं, उनको प्रशिक्षित मान लिया जाय ।

16—जिन कर्मचारियों के दक्षता रोक या इनक्रीमेंट रोके गये हैं उन्हें आर्थिक क्षति से रोकने हेतु अविलम्ब उनके इनक्रीमेंट या दक्षतारोक पास किये जायं, चाहे वे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हों, चतुर्थ के कर्मचारी हों या टेक्निशियन या अनट्रेंड टेक्नीशियन हों या फार्मेसिस्ट ।

17—जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं तथा उनके मुकदमे अदालत में चल रहे हैं उनको नौकरी में लेने हेतु संघ एवं आपकी वार्ता किसी अच्छे वकील की उपस्थिति में मामला तय किया जाय जिससे उनके भी झगड़े खतम किये जा सके तथा अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के कर्मचारी अधिकारी वर्ग से सन्तुष्ट होने के बाद उत्साह एवं लगन से अधिक परिश्रम के साथ राजकीय कार्य को कर सके ।

18—अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के किसी पद पर जो पदोन्नति द्वारा पूरी की जा सकती हो तथा उसके लिए हमारे कर्मचारियों में योग्यता एवं अनुभव हो तो उन्हीं को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाय। बाहरी व्यक्तियों द्वारा पूरी न की जाय ।

19—किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह यदि वह अवकाश पर गया हो तथा उसका किसी प्रकार का अवकाश बाकी हो न रोकी जाय। बल्कि अविलम्ब तनख्वाह दी जाय और छुट्टी स्वीकृत की जाय तथा पिछले इस प्रकार के किये गये कमियों को पूरा किया जाय।

विधान मुद्रण

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 431 पर)

संलग्न उत्तर

कानपुर जिले में त्वरित ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत एक से अधिक तक 18 कि० मी० कैनाल रोड नहर गंगा शाखा इटावा की दांई पटरी को पक्की सड़क बनाये जाने के कार्य में सम्पूर्ण 18 कि०मी० सड़क वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मिट्टी भराई का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण हो चुका है। इस बनने वाली सड़क के अन्तर्गत 1923 वृक्ष वन विभाग के आ रहे हैं जिन्हें कटवाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वन विभाग को 13 जनवरी, 1972 को लिखा था। तदनुसार इन पेड़ों को कटवाने के लिये छापा गया तथा दिनांक 17 मार्च, 1972 को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचने का प्रयत्न किया गया परन्तु पेड़ों की कीमत के अनुसार समुचित बोली न आने के कारण नीलाम स्थगित करना पड़ा। फिर इन्हें 14 अप्रैल, 1972, 31 मई, 1972 तथा 8 जून, 1972 को नीलाम पर रखा गया परन्तु बोली न आने के कारण नीलाम नहीं किया जा सका अतः पेड़ नहीं काटे जा सके। वन विभाग के प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सड़क पर डाली गई मिट्टी बरसात में नहीं बही है बल्कि वृक्षों ने बरसात में मिट्टी को बहने से रोका है। अब उक्त पेड़ों को 14 दिसम्बर, 1972 को नीलाम द्वारा पेड़ों के अनुमानित मूल्य से 21,025 रुपये के घाटे पर बेंच दिया गया है। अधिकांश पेड़ काटे जा चुके हैं और आशा है कि लगभग एक माह के अन्दर सभी पेड़ कट जायेंगे।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ट 434 पर)

जांच रिपोर्ट

श्री बुद्धाराम

उप संचालक, चकबन्दी, लखनऊ,
कैम्प उन्नाव,
दिनांक 31 मार्च, 1972

अ० शा० पत्र संख्या 25/आ०लि०

प्रिय श्री अग्रवाल,

कृपया श्री के० एस० त्रिपाठी के अर्धशासकीय पत्र सं0 307—सी0जी0-35/71, 14 जुलाई, 1971, का अवलोकन करें जो तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी श्री सत्य प्रकाश जी को सम्बोधित था । इस पत्र के साथ ग्राम मरसन्डा जिला सीतापुर के बहुत से काश्तकारों का एक पत्र जो उप मन्त्री परिवहन, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सम्बोधित था संलग्न है। उस समय गांव में चक की पर्चियां बंटी थीं। गांव वालों की शिकायत थी कि बड़े चकदारों के चकों की संख्या कम और कम क्षेत्रफल वाले खातेदारों के चकों की संख्या अधिक दे दी गई है और चकबन्दी अधिकारी ने कुछ लोगों की चक की आपत्तियां लेने से इंकार कर दिया है उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच की प्रार्थना की थी। ऐसी जांच श्री सत्य प्रकाश ने प्रारम्भ की थी परन्तु इससे पूर्व कि वह अपनी जांच पूरी कर सके उनका स्थानान्तरण हो गया था । इस गांव की चक आपत्तियों अपीलों व निगरानियों का अब निपटारा हो चुका है । गांव वालों से मैंने मौके पर जाकर पूछताछ की। वह अब अपने चकों से सन्तुष्ट हैं। शिकायत करने वाले व्यक्तियों ने कहा कि अब इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं और चकों को रद्द किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी दयाल पुत्र टायी व मदारी लाल पुत्र विशम्भर दयाल ने बयान दिया है कि तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के० सी० सक्सेना ने उनसे क्रमशः 50 रु० और 100 रु० की मांग की थी और श्री जश करन ने कहा है कि उनके लड़के द्वारा के० सी० सक्सेना ने 500 रु० की मांग की थी । परन्तु किसी ने रुपया नहीं दिया। श्री के० सी० सक्सेना , इस जिले से स्थानान्तरित हो गये हैं । इस दरख्वास्त पर अब किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती । अतः इसे निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवनिष्ठ,
बुद्धा राम

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार ।

श्री अयोध्या प्रसाद लखनऊ,
संयुक्त संचालक चकबन्दी, लखनऊ ।

उप मन्त्री परिवहन को सम्बोधित शिकायती-पत्र में की गई शिकायतों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(1) छोटे किसानों के भी 2 चक बनाये गये हैं, जबकि 80 प्रतिशत एक चक दिये जाने के आदेश शासन से हैं ।

(2) चक आबंटन के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कुछ की आपत्तियां लेने से इंकार कर दिया गया और उन्होंने अपना प्रतिवेदन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया है ।

(3) कुछ कृपा पात्र किसानों की सारी भूमि एक जगह एकत्र कर दी गई है, यहां तक कि किन्हीं ट्यूबवेल वालों के कई चक और कुछ को एक ही जगह भूमि दे दी गई, जो भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का ज्वलन्त उदाहरण है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 435 पर)

संलग्नक—परिशिष्ट—क

जिला प्रतापगढ़

तहसील का नाम		विभिन्न मदों में 1971-72 में वितरित धनराशि		
		गृह निर्माण अनुदान	गैर खेतिहारों के लिए ऋण	आपदा तकावी
		रुपए	रुपए	रुपए
1—सदर	..	2,30,100	90,000	6,45,000
2—कुन्डा	..	2,09,560	65,000	6,35,000
3—पट्टी	..	1,10,400	36,000	6,35,000
योग	..	5,50,060	2,00,000	19,15,000

शासन की अवितरित वापस धनराशि :—

		रु०
1—गृह निर्माण अनुदान	..	4,69,940

अविभाजित मध्य प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 436 पर)

मंडल का नाम	जनपद का नाम	सेवामुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	विवरण
1	2	3	4
वाराणसी	वाराणसी	शून्य	शून्य
	जौनपुर	21 (दो प्रसार शिक्षक एवं 19 स्वास्थ्य सहायक)	लक्ष्य प्राप्ति में विफलता, असन्तोषजनक कार्य, मुख्यालय तथा क्षेत्र में अनुपस्थित रहना ।
	गाजीपुर	शून्य	शून्य
	बलिया	शून्य	शून्य
	मिर्जापुर	37 (28 स्वास्थ्य सहायक एवं 9 परिवार नियोजन कार्यकर्ता।)	कार्य असन्तोषजनक और पदों के स्वीकृत संख्या से अधिक होने के कारण ।
लखनऊ	लखनऊ	9 स्वास्थ्य सहायक	निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धियां बहुत कम होने के कारण ।
	हरदोई	7 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
	खीरी	5 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
	सीतापुर	7 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
	उन्नाव	17 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
	रायबरेली	5 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
फैजाबाद	फैजाबाद	2 परिवार नियोजन कार्यकर्ता।	एक की सेवा शैक्षिक योग्यता का झूठा प्रमाण-पत्र देने के कारण तथा दूसरे की प्रमाण-पत्र में आयु गलत ढंग से प्रविष्ट होने के कारण समाप्त की गई ।
	गोंडा	सूचना प्राप्त नहीं हुई है	..
	बहराइच	तदैव	..
	प्रतापगढ़	15 स्वास्थ्य सहायक	निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण।
	सुल्तानपुर	12 स्वास्थ्य सहायक	तदैव
	बाराबंकी	7 स्वास्थ्य सहायक	नियुक्ति आदेशों के नियमानुसार ।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 440 पर)

शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

शिकायत नं० 1 चकबन्दी अधिकारी पुरैना में खुरधर खोर, भीमपुर खरौली, कम्हरिया मीटा मरौली, पड़री तिवारी आदि ग्रामों के चक सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी के यहां से कट गये और अधिकारियों ने धन अर्जित करने के पश्चात पूरे कागजात जला दिये, परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

कृत कार्यवाही जांच कराई गई। उक्त गांवों के कागजातों को जलाया गया प्रतीत नहीं होता बल्कि तथा इस प्रकार है कि ग्राम पड़री तिवारी, मारौली, भीमपुर, सरौली तथा खुरधर खोर के समस्त कागजात, कम्हरिया, चक फरीदपुर, पुरैनी, मजुरी खुर्द तथा बहोरवा के कुछ कागजात चोरी चले गये थे। इस सम्बन्ध में थाना इन्चार्ज भटनी तथा थाना इन्चार्ज सलेमपुर को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, जिसकी जांच अभी हो रही है। इस सम्बन्ध में श्री रघुराज तिवारी सहायक, चकबन्दी अधिकारी एवं श्री शब्बीर हसन रिजवी चकबन्दी कर्ता को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। परन्तु उनके प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात उन्हें जिलाधीश ने तब तक के लिये पुनः अपदस्थ कर दिया, जब तक कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अन्तिम निर्णय न हो जाय। श्री रघुराज तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी को जनपद देवरिया से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है। इन सभी ग्रामों के चोरी गये कागजातों को पुनः बनवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

शिकायत नं० 2 चकबन्दी अधिकारी सतराव के यहां से राम दयाल बनाम राम अधार ग्राम चैरो की पत्रावली फैसला सुनाकर जला दी गई तथा शिव पूजन बनाम राम अवध, ग्राम ठाकुर गौरी की पत्रावली पहले से ही गायब कर दी गई तथा इसी प्रकार ग्राम सतरांव पुरैना, मलेवनी तार से दर्जनों पत्रावलियां अधिकारियों ने धन अर्जित करके जला दीं।

कृत कार्यवाही जहां चकबन्दी अधिकारी सतरांव के कार्यालय से रामदयाल बनाम राम अधार ग्राम चीरों की पत्रावली जलाये जाने की शिकायत है, मिसिल बन्द रजिस्टर में कोई वाद दर्ज नहीं है, बल्कि एक वाद श्रीमती प्रभावती बनाम राम अधार दर्ज है, जिसकी पत्रावली खो गई है। इस सम्बन्ध में छानबीन के पश्चात् श्री पुण्डीक लाल न्यायालय लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। दूसरी पत्रावली शिव पूजन बनाम राम अवध ग्राम ठाकुर गौरी के नाम की कोई पत्रावली मिसिल बन्द रजिस्टर पर दर्ज नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई पत्रावली गायब हुई है। फिर भी उपरोक्त पत्रावली के सम्बन्ध में पुनः जानकारी प्राप्त की जा रही है, कि ऐसी कोई पत्रावली थी या नहीं ?

शिकायत नं० 3 ग्राम करौता, पकड़ी लाला, माथापार, भलुवली, कुसमहा, भाटपार, बलुआ, कुटका गांव, चड़ी चक व बिजी कोड़रा आदि ग्रामों में गरीबों के चक बिगाड़ दिय गये तथा छोटे काश्तकारों के खेतों की मालियत अधिक लगाकर छोटे काश्तकारों को चक सीवान पर दे दिये गये हैं।

कृत कार्यवाही कथित ग्राम के सम्बन्ध में शिकायतकर्ताओं ने चकबन्दी आयुक्त के समक्ष ग्राम माथापार की विशेषरूप से शिकायत की थी। उप संचालक चकबन्दी,

जौनपुर श्री गोस्वामी द्वारा मौके पर इस ग्राम में जांच करायी गई। रिश्वत के आरोप सिद्ध नहीं हुये, परन्तु चक आवंटन के कार्य में अनियमितता अवश्य पाई गई अतः सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अभी इस ग्राम की 8 निगरानियां निस्तारण हेतु अवशेष हैं। और उनके निस्तारण के बाद उप संचालक चकबन्दी द्वारा चक आवंटन की शिकायतें ठीक की जाएंगी।

शिकायत नं० 4——चकबन्दी अधिकारी पुरना, सतराव तथा मलुवनों में प्रभावशाली व्यक्तियों से धन अर्जित करके गांव समाज की सम्पत्ति उनको दे दी और ऐसी पत्रावलियों को गायब कर दिया, जिनके उदाहरण ग्राम चकरवा, आमेरदास, कुसमहरा में मिल सकते हैं।

कृत कार्यवाही——गांव समाज सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों को दिये जाने के बारे में चकबन्दी आयुक्त के समक्ष ग्राम चकरवा आसरे दास की विशेषरूप से शिकायत की गई थी और उप संचालक चकबन्दी जौनपुर श्री गोस्वामी ने इस ग्राम में जाकर जांच भी की। गांव समाज से सम्बन्धित किसी पत्रावली के गायब होने की बात नहीं कही गई। मौके पर उपस्थित लोगों को यह बताया गया कि गांव सभा के प्रधान या कोई अन्य सदस्य नियमानुसार कलाबन्धित आपत्ति इस भूमि के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के यहां प्रस्तुत करदें, जिसका निस्तारण समर्थ अधिकारी द्वारा नियमानुसार अब भी किया जा सकता है।

शिकायत नं० 5——सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी श्री प्रहलाद शरण धन अर्जित करके फैसला लिख रहे हैं और चक के फसले मौके पर न जाकर निवास पर ही करते हैं।

कृत कार्यवाही——जांच के दो पत्रावलियों का जिक्र किया गया था। दोनों पत्रावली मुख्यालय से मंगाई गई और उनकी जांच मुख्यालय में कराई गई। संबंधित अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया गया।

शिकायत नं० 6——सतरांव, पुरैना एवं वरहज भलूवनी के कार्यालय बिना पूरा काम हुए हटाकर देवरिया कर दिये गये हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी है।

कृत कार्यवाही संबंधित दोनों चकबन्दी अधिकारियों के क्षेत्रों में कार्य की प्रगति 82 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है, अतः उनके कार्यालय को हटाकर अवशेष कार्य के लिये नियमानुसार जिल के मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया गया है

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 442 पर)

परिशिष्ट 'क'

सूची उन किसानों की जिनकी भूमि सन् 1970-71 में नदी घाघरा में कट गई तहसील घोसी

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम काश्तकार	नाम वल्दियत
1	डुहिया डिलिया	राजनाथ	खरग
2	,,	सीताराम	तुलसी
3	,,	सरजू	श्रीपत
4	,,	बहकू	दवर
5	,,	रामरूप	अमर
6	,,	रघुनन्दन	सूक
7	,,	रामहित	प्रसाद
8	,,	चहकू	ढबर
9	,,	बहादुर	बंगाली
10	,,	अवधेश	गजाधर
11	,,	सुखराज	गल्तू
12	,,	सूखू	रामकरन
13	,,	चन्द्रभान	अयोध्या
14	,,	लहरे	राम लछमन
15	,,	रामलाल	खरग
16	,,	रघू	सुमेष
17	,,	लगन	रघुपति
18	,,	अवधबिहारी	भगवान
19	,,	पुनवासी	कल्लू
20	,,	बेचन	जहू
21	,,	रघू	सुमेर
22	,,	हरदेव	सुखारो
23	,,	चौधी	लछमन
24	,,	सुदामा	धुरहू
25	,,	जहू	बाढ़ू
26	,,	रामजतन	शिवकरन
27	,,	रजिया	रामकिशुन
28	,,	भभूतोनरायन	उ० मा० विद्यालय
29	,,	रामरतन	भिभवरन
30	,,	मुनेसर	सहदेव
31	,,	किशोर	महेश
32	,,	सुखे	मधू
33	,,	अमोल	टहल
34	,,	बंसबहादुर	रामझथ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
35	डुहिया डिलिया	.. भगवान	.. राजबली
36	,,	.. जमुना	.. जगदेव
37	,,	.. रंपो	.. शिवगुलाम
38	,,	.. विन्देश्वरी	.. मोहतो
39	,,	.. रामगुलाम	.. रामजनम
40	,,	.. महावीर	.. वरत
41	,,	.. रामा	.. मगन
42	,,	.. जंगो	.. रामअधार
43	,,	.. सेवक	.. विरजू
44	,,	.. लहरी	.. लछमन
45	,,	.. रामधारी	.. दूखन
46	,,	.. रामकरन	.. लछमन
47	,,	.. द्वारका	.. मथुरा
48	,,	.. मुन्नी	.. रामदेव
49	,,	.. शिवलोचन	.. सूखू
50	,,	.. जंगबहादुर	.. रामबहादुर
51	,,	.. रामदेव	शिलावन
52	,,	.. हंसराज	.. सूखू
53	,,	.. चन्द्रदेव	.. ..
54	,,	.. भोखू	.. सुन्दर
55	,,	.. प्रसाद	.. ..
6	भूसा डोही	रधू	.. सूखू
	,,	.. मगरू	.. डिगम्बर
	,,	.. रामधनी	.. मुसरी
	,,	.. माधव	.. मनीराम
		.. रामप्यारे	.. मिडनी
		.. बुद्धू	.. रामनाथ
		.. लधन	.. पित्तू
		.. रामगोपाल	.. नमेला
		.. साधव	.. जमुना
		.. खेलाड़ी	.. नन्हकू
		.. रामधारी	.. जलमू
		.. दधिवल	.. बटावरी
		.. हरदेव	.. गहवर
		.. शिव प्रसाद	.. गनेश
		. हफीजुल	.. इस्माईल
		परसू	.. दुखी
		वकुनी	.. दुगड़ी
		शिवलोचन	.. महादेव
		विसुन देव	.. रमाकान्त
		रनायन	.. रघुवीर
		इन्द्रासन	.. नाफन

उत्तर प्रदेश गजेटियर

1	2	3	4
77	भूसा डोही	.. सरजू	.. पड़ोही
78	,,	.. झंगरू	.. गरू
79	,,	.. बब्बन	.. माता
80	,,	.. मु० शकील	.. मु० इसमाइल
81	,,	.. फौजदार	.. रामलखन
82	,,	.. श्रीनारायन	.. दूधनाथ
83	,,	.. दुधनाथ	.. जगधारी
84	,,	.. तेजनारायन	.. बीरवल
85	,,	.. प्रभु	.. छाकुर
86	,,	.. संम्पत	.. ठाकुर
87	,,	.. श्याम	.. बुद्धू
88	,,	.. लखन	.. द्वारिका
89	,,	.. स्वागो नाथ	.. भुनेवश्वर
90	,,	.. राजवलि	.. भुसी
91	,,	.. रामदेव	.. रामदत्त
92	,,	.. डोगर	.. रामदास
93	,,	.. ठग	.. रामदास
94	,,	.. कोल्श्वरी	.. कालीचरन
95	,,	.. रामसरन	.. रामपाल
96	,,	.. रामकुमार	.. सहतो
97	भोलनापुर	.. गुलराम	.. रामगोपाल
98	,,	.. परमहंस	.. लोचन
99	,,	.. पलटू	.. सूचित
100	,,	.. पुरवासी	.. रामेश्वर
101	,,	.. भन्वर	.. भरोसा
102	,,	.. बीरबल	.. जंग[illegible]
103	,,	.. रामनगीना	.. रा[illegible]
104	,,	.. रामकरन	.. [illegible]
105	,,	.. त्रिवेनी	.. [illegible]
106	,,	.. सादा	..
107	,,	.. रामदास	..
108	,,	.. रामनारायन	
109	,,	.. राममोच	
110	,,	.. गुखल	
111	,,	.. देवीदीन	
112	,,	.. जगरोपन	
113	,,	.. तपेशर	
114	,,	.. लालू	
115	,,	.. दहारी	
116	,,	.. महियत	
117	,,	.. जमुना	
118	दुकरी	.. सुलही	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
119	दुकरी	.. वीरेन्द्र बहादुर	.. देवकीनन्दन
120	,,	.. जगन्नाथ	.. गंगा विशुनसिंह
121	,,	.. महेन्द्र सिंह	.. कोदई
122	,,	.. चांदी सिंह	.. परामसिंह
123	दुवारी	.. बब्बन सिंह	.. मातादीन सिंह
124	,,	.. रामधीन सिंह	.. हरलाल सिंह
125	,,	.. कपिल देव सिंह	.. इन्द्रपाल सिंह
126	,,	.. बच्चा सिंह	.. रामलखन सिंह
127	,,	.. भगनू	.. ..
128	,,	.. अली हसन	.. बन्धन
129	,,	.. अलम	.. लिल्लू
130	,,	.. जालिम	.. अकबर
131	,,	.. मो० अली	.. अब्दुल
132	,,	.. असगर	.. नक्षेद
133	,,	.. रामानून	.. नायक
134	,,	.. दुखी	.. मोहन
135	"	.. लगन सिंह	.. पदारन सिंह
136	,,	.. रामशंकर	.. अक्षयवर
137	,,	.. लखन	.. बन्धू
138	,,	.. दुरबल	.. भूरी
139	,,	.. ध्यान	.. साधू
140	,,	.. उजागर	.. जोखू
141	,,	.. बेचू	.. लीलाधर
142	,,	.. जगन्नाथ	.. सुकारन
143	,,	.. रामलखन	.. श्यामसुन्दर
144	,,	.. रालबहादुर	.. रामप्रसाद
145	,,	.. सुन्दर	.. करिया
146	,,	.. बोधी	.. ..
147	,,	.. किशोरी	.. देवनारायण
148	,,	.. जमुना	.. तजेश्र
149	,,	.. तपाशि	.. यहि

परिशिष्ट 'ख'

सूची उन किसानों की जिनकी भूमि सन् 1971-72 में नदी घाघरा में कट गई तहसील घोसी, जिला आजमगढ़

क्रमांक	नाम ग्राम		नाम काश्तकार		नाम वल्दियत
1	दुवारी	..	अवधेश	..	सुखंबलि
2	,,	..	सरजू	..	शिवबालक
3	मोलनापुर	..	विश्वनाथ	..	लगन
4	,,	..	रामनारायन	..	धांधुर
5	,,	..	रामनरेश	..	भोला
6	,,	..	रामबहादुर	..	महादेव
7	,,	..	रामगरजन	..	महावल
8	,,	..	हीरा	..	सत्यदेव
9	,,	..	सहदेव	..	बदन
10	,,	..	सुखदेव	..	भिखारी
11	,,	..	सुखदेव	..	बाबूलाल
12	,,	..	श्यामू	..	रामपत
13	,,	..	रामचन्द्र	..	रामशरीफ
14	,,	..	लगन	..	बन्धू
15	,,	..	लखन	..	सिगार
16	,,	..	सदावृक्ष	..	सीताराम
17	,,	..	रामलखन	..	दसड़े
18	,,	..	वचन	..	बल्ली
19	,,	..	वमेल	..	विशम्भर
30	,,	..	महादेव	..	फाग
21	,,	..	मुनीर	..	विसमिल्ला
22	,,	..	राजेंद्र	..	बेचू
23	,,	..	रामबलि	..	सुखदेव
24	,,	..	मुन्नी	..	राममंगल
	,,	..	गुलजार	..	रामोतार
26	,,	..	हरचरन	..	महेश
27	,,	..	चन्द्रदेव	..	मूस
28	,,	..	चेतू	..	सूरज
29	,,	..	गिरिजा	..	ढोंढां
30	,,	..	पुनवासी	..	रामेश्वर
31	,,	..	जमुना	..	गातर
32	,,	..	साहब	..	वदन

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 447 पर)

रबी बीज बिक्री दरों का तुलनात्मक विवरण

क्रम-सं०	नाम बीज	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दरें	तराई विकास निगम की बिक्री दरें	राष्ट्रीय बीज निगम की बिक्री दरें
1	2	3	4	5
1	कल्यान सोना ..	.. 130.00	180.00	200.00
2	सोनालिका ..	.. 130.00	180.00	200.00
3	एस० 227 ..	.. 130.00	..	..
4	सफेद लरमा ..	.. 130.00	..	200.00
5	सर्वती सुनैरा ..	.. 130.00	..	200.00
6	एच०डी०एम० 1593	.. 130.00	..	200.00
7	छोटी लरमा ..	.. 130.00	..	200.00
8	एच०डी०एम० 1553	.. 130.00	..	200.00
9	आर०आर० 21 ..	.. 130.00	180.00	..
10	यू०पी० 301 ..	.. 130.00	180.00	..
11	के० 68 ..	.. 130.00	..	..
12	के० 65 ..	.. 130.00	..	..
13	सी० 306 ..	.. 130.00	..	..
14	हीरा (एच०डी० 1941)	.. 175.00	200.00	250.00
15	मोती (एच०डी० 1949)	.. 330.00	..	300.00
16	चना ..	.. 155.00	..	..
17	मटर ..	.. 135.00	..	..
18	जौ ..	.. 95.00	..	..

अविभाजित भवन

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 449 पर)

जिला बुलन्दशहर में दिसम्बर, 1971 से जून, 1972 तक चेंचक से प्रभावित ग्रामों के नाम

प्रा० स्वा० केंद्र का नाम	ग्राम का नाम	प्रा० स्वा० केंद्र का नाम	ग्राम का नाम
लकहाटी	1—औरंगाबाद	ऊंचा गांव	32—मित्था नन्दपुर नगली
	2—शेखपुर		33—अमर गढ़
	3—चरौरा		34—कनौना
	4—मुडी		35—ऊंच गांव
	5—वेल्ख।		36—मगयां कलां
	6—खनाडा		37—बलरामपुर
	7—जोट		38—अमरपुर
	8—मुरसना		39—लरना
	9—पिपला		
दानपुर	10—सूरखपुर	शिकारपुर	40—सरवा
	11—जिरौली		41—खरवाया
	12—घुसराना		42—सलीमपुर
	13—बगधारी		43—अजनारा
	14—शहदवान		
कसा कलां	15—चिलमांपुर	गुल्हौटी	44—अधवाला
पहसू	16—वजीदपुर		45—लहुगरा
	17—तियोर बुजुर्ग		46—टांडा
	18—कनैनी		47—लोहरेली
	19—दिधी		48—अमचागना
	20—कमौना		49—अलेंदा
	21—घरपा		50—लतीफपुर
		डकौरा जहांगीराबाद	51—परवाना
घरपा	22—मुन्डा खेरा		52—सूरजपुर टिकरी
	23—अल्तयारपुर		53—यमखानपुर
	24—मदोरा		54—सखनी
	25—अरनिया		55—जवासा
	26—मीरपुर		56—गमनपुर
सियाना	27—बिग्राम		
	28—बरोली		
	29—हाजीपुर	ब.यर	57—बोघा
	30—नया गांव		58—रसूलपुर
	31—जलाल पुर		59—जाली

प्रा० स्वा० केंद्र का नाम	ग्राम का नाम	प्रा० स्वा० केंद्र का नाम	ग्राम का नाम
टोली	60—सलामतपुर	बीबीनगर	69—चितसौना
	61—जाटपुरा		70—गंगा-वली
मंसूरपुर	62—महागोवरधनपुर	जेवर	71—जहांगीरपुर
	63—तोराई		
	64—सिरोरा		
	65—सिकोई	मुनी	72—वारिवपुर
			73—चिटोला
बासुदेवपुर	66—आहर		
		मालागढ़	74—सोनली
बीबी नगर	67—तेज गहरी		75—धकोली
	68—तियानी		

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 450 पर)

सची

अस्पताल का नाम	एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पदों की सं०/तिथि जब से रिक्त हैं
1—जिला अस्पताल, नरेंद्र नगर	4	--
2--बी० डी० क्लीनिक, नरेंद्र नगर	1	1/ 7-7-65
3--महिला चिकित्सालय, नरेंद्र नगर	1	1/ 19-5-70
4—पुरुष चिकित्सालय, टेहरी	1	--
5—सिविल अस्पताल, टेहरी	1	—
6--महिला चिकित्सालय टेहरी	1	1/ 22-8-71
7--टी० बी० क्लीनिक टेहरी	2	1/ 12-4-72
8--कीर्तिनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	—
9—देव प्रयाग डिस्पेंसरी	1	—
10—पिल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (गोमती घाट)	1	—
11--नन्दगांव (जखनीधार) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	—
12--थोलधार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	1/ 18-2-69
13--चम्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	--
14--जौनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1 (इन्टीग्रेटेड डाक्टर तैनात है)	--
15--प्रतापगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1	--

उत्तराखण्ड विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 450 पर)

प्रा० स्वा० केन्द्र का नाम	परिवार नियोजन की उपलब्धि								रोगियों की उपस्थिति का औसत प्रतिमास	
	1970–71				1971–72					
	नसबन्दी पुरुष	नसबन्दी महिला	योग	लूप	नसबन्दी पुरुष	नसबन्दी महिला	योग	लूप	70–71	71–72
अकबरपुर	36	7	43	43	25	11	36	46	जिला परिषद्	
अमरौधा	27	4	31	81	40	13	53	54	744	626
बिल्हौरा	41	6	47	91	30	11	41	52	613	516
बिधनू	55	9	64	19	21	24	45	31	355	403
भीतरगांव	33	..	33	12	29	8	37	28	381	425
चौबेपुर	62	5	67	133	41	19	60	146	763	1054
डेरापुर	42	4	46	104	28	7	35	123	जिला परिषद्	
घाटमपुर	79	5	84	44	31	9	40	46	जिला परिषद्	
झींझक	69	3	72	62	17	10	27	68	417	518

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कल्यानपुर	66	13	79	63	43	43	86	104	522	667
कंकबन	33	7	40	53	13	21	34	33	388	509
मैया	48	1	49	32	13	2	15	24	352	487
मलासा	25	5	30	59	19	28	47	64	255	232
पतारा	66	6	72	23	34	20	54	34	331	429
रसूलाबाद	61	3	64	44	28	6	34	37	प्राप्त नहीं	506
राजपुर	36	3	39	69	23	8	31	16	प्राप्त नहीं	732
शिवराजपुर	42	..	42	84	27	26	53	87	275	317
सरसोल	81	..	81	21	23	3	26	35	483	586
सन्डलपुर	24	1	25	11	47	6	53	12	249	222
सबनबेरा	37	9	46	17	17	15	32	42	नहीं बना था	214
योग ..	963	91	1054	1065	549	290	839	1082		

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 249 एल० ए०—1973—835 (मैग०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा